लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

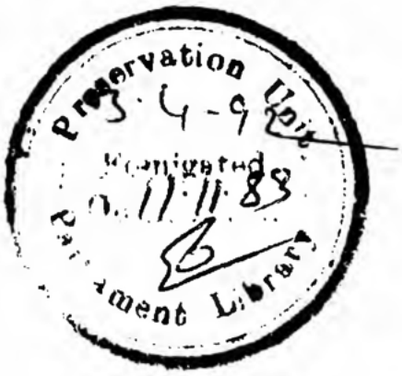

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक सभा

मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उतर

ऐतिहासिक स्मारक

*२५६५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (लोक महत्व की घोषणा) अधिनियम को अनुसूचियों में मिलाने के लिये उपयुक्त स्थानों और भवनों आदि के बारे में राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं से कोई सुझाव निमंत्रित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय को याद है कि जब संसद् में इस विषय से सम्बन्धित कानून पर विचार किया जा रहा था, तो श्री मालवीय ने यह आश्वासन दिया था कि छोटे-मोटे संशोधनों पर विचार न करके इस तरह के सब सुझावों को एक बार एकत्र किया जायेगा और उन पर विचार किया जायेगा मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्यों द्वारा जो भी संशोधन प्रस्तुत किए गए थे अथवा जिनके बारे में नोटिस दिए गए थे, वे सभी हमारे पास है, और हमारे पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी उन स्मारकों और स्थानों का दौरा कर रहेहैं और उनके संबंध में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितनी राज्य सरकारों ने अपने यहां पुरातत्व विभाग स्थापित किए हैं और जिन राज्यों में स्थापित नहीं किए गए हैं, क्या उन्हें ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि वे जल्दी पुरातत्व विभाग स्थापित करें ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कुछ दिन पूर्व भी पूछा गया था ।

डा० राम सुभग सिंह : जब इस बिल पर संसद् में विचार हो रहा था, तो एक सुझाव यह पेश किया गया था कि कुंवरसिंह, जिसने १८५७ की जन-क्रान्ति में भाग लिया था, के किले और अहाते को बिल के शिड्यूल में शामिल कर लिया जाय। सरकार की ओर से कहा गया था कि चूंकि वह किला कुंवरसिंह के वंशजों के अधिकार में नहीं है, इसलिए इस पर बाद में विचार किया जायगा । क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उसके बारे में भी आफिसर्ज को हिदायत दी गई थी कि वह वहां जा कर जानकारी प्राप्त करें? इस बारे में क्या किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य किसी विशेष प्रश्न के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या माननीय सभासचिव यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों ने इस सम्बन्ध में किस-किस स्थान का दौरा किया है ?

डा० एम० एम० दास: हमने राज्य सरकारों को भी कहा है कि वे अपने राजस्व पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसा निदेश भेजें कि उन्हें ज्यों ही किसी विशेष स्थान का पता चले वे उसके सम्बन्ध में हमें तत्काल ही सूचित कर दें। अतः राज्य सरकारों के पदाधिकारियों द्वारा भेजी गई इस प्रकार की सूचियां और माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी संशोधन-सूचियाँ हम प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे पदाधिकारी उन स्थानों का दौरा कर रहे हैं। जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब हम इस आशय का एक संशोधक विधेयक सभा के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, कि राष्ट्रीय महत्व के इन स्मारकों और पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों को भी सरकार अपने संरक्षण में ले ले ।

संसदीय हिन्दी संस्था

*२५६६. **श्री केशवैयंगार**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का संसदीय हिन्दी संस्था दिल्ली का वार्षिक अनुदान बढ़ाने का विचार है, और यदि है तो कहां तक?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : नहीं, श्रीमान् ।

श्री केशवैयंगार : क्या सरकार संसद् के सदस्यों की सहायता करने में यही कुछ कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य के मन में कोई मिथ्या भ्रम है । अतः इसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक उत्तर देना चाहता हूँ । इस संस्था को हमने प्रथम वर्ष १५,००० रुपये दिए थे, और दूसरे वर्ष ६,००० रुपये । परन्तु गत वित्तीय वर्ष के दौरान में भारत सरकार इस संस्था के कार्य के विषय में कोई विशेष जानकारी चाहती थी। वह जानकारी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री केशवैयंगार : यह जानकारी कब मांगी गई थी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : बार बार तलब की जा चुकी है लेकिन जरूरी कागज़ात नहीं मिले हैं।

गांधीवादी दृष्टिकोण तथा प्रविधि

*२५६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के कार्य पालक बोर्ड और महानिदेशक ने, राष्ट्रों के पारस्परिक खिंचाव को कम करने में 'गांधी वादी दृष्टिकोण तथा प्रविधि' द्वारा दी गई सहायता सम्बन्धी उस संकल्प में प्रस्तावित कार्यवाहियों को कार्यान्वित किया है, जिसे यूनेस्को ने अपने पैरिस के साधारण सम्मेलन में स्वीकार किया था; तथा

(ख) यदि हाँ, तो उस कार्यान्विति के क्या परिणाम हुए हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). यूनेस्को ने १९५५-५६ के अपने कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए हैं :—

गांधी जी की शिक्षाओं से सम्बन्ध रखने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए सुलह तथा

मध्यस्थता से सम्बन्ध रखने वाली बातों का अध्ययन करना, और शक्ति के प्रयोग का निवारण करने के सम्बन्ध में अध्ययन करना।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : गांधीवादी दृष्टिकोण तथा गांधीवादी प्रविधि का प्रश्न यूनेस्को के सामने कैसे आया था ? क्या हमारी सरकार ने इस संकल्प को पैरिस सम्मेलन में प्रस्तुत किया था ?

डा० एम० एम० दास : भारत सरकार ने गांधी वादी दृष्टिकोण तथा गांधीवादी प्रविधि द्वारा की गयी सहायता के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए १९५३ में दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन की कार्यवाही का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया गया था और यूनेस्को के पैरिस के साधारण सम्मेलन के सम्मुख रखा गया था। यूनेस्को के पैरिस सम्मेलन ने इस पर सोच विचार किया और इसके सम्बन्ध में एक संकल्प पारित कर दिया।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस अध्ययन से भारत का सम्बन्ध भी होगा ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य यूनेस्को के उस दूसरे संकल्प से है जो कि कुछ मास पूर्व ही मॉन्टवीडियो सम्मेलन द्वारा पारित किया गया था, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस संकल्प को स्वीकृत हुए कुछ अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, अतः उसके सम्बन्ध में ब्योरा अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने एक संकल्प पारित किया था कि यह शिक्षा स्कूलों और कॉलिजों में भी दी जानी चाहिए। क्या इस संकल्प को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है।

डकैतियां

*२५६८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चोरियों और डकैतियों के दमन को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार भारतीय पुलिस अधिनियम और भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : प्रश्न में कहे गए उद्देश्य के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार देखती है कि आजकल गांवों में चोरियां और डकैतियां बहुत बढ़ रही हैं और इन कानूनों की वजह से चोर और डकैत छूट जाते हैं ? क्या सरकार जानती है कि चोरियों और डकैतियों का दमन करने के लिए बन्दूकों में बड़ी शक्ति है और क्या सरकार इनकी शक्ति को महसूस करती है ?

श्री दातार : माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में बहुत कुछ अतिश्योक्ति से काम लिया गया है और इन शस्त्र अधिनियम के संशोधन के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसके बारे में सरकार उसके गुणों के आधार पर सोच-विचार कर रही है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : देश में डाकुओं के बड़े-बड़े गिरोहों को समाप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री दातार : जहां तक दिल्ली सरकार का सम्बन्ध है, सरकार अपराधों की प्रगति को रोकने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां कर रही है। हम सदैव इस बारे में सचेत रहते हैं कि जहाँ तक हो सके आस-पास के राज्यों से कोई गिरोह यहाँ घुसने न पाए।

बाढ़

*२५७०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं ने १९५४-५५ में आसाम के बाढ़ ग्रस्त लोगों की किस प्रकार सहायता की थी और कैसे काम किया था ;

(ख) उन्होंने कितने व्यक्तियों को बचाया था;

(ग) क्या यह सत्य है कि सशस्त्र सेनाओं और विशेषकर सेना-इंजीनियरों ने बाढ़ के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों में पुलों और सड़कों की मरम्मत की थी और संचार कार्य को जारी रखा था;

(घ) क्या इन सेनाओं ने वहां पर डाक्टरी सहायता भी दी थी; तथा

(ङ) यदि हाँ तो वे वहाँ पर कितने समय तक ऐसी सहायता करते रहे और उस पर कितना खर्च आया?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ग). भारतीय विमान सेना ने ऊपर से खाद्य तथा सामग्री गिराने और बाढ़ संरक्षण उपायों के लिए विस्फोटकों को हवा के मार्ग से उठा कर ले जाने में सहायता की थी। सेना इंजीनीयरों ने संचार-कार्य को जारी रखने, मकानों को गिराने, सामान निकलवाने और शरणार्थियों के लिए हटमैन्ट बनाने में सहायता की थी।

(ख) गिरते हुए मकानों अथवा बाढ़ से लोगों को बचाने के सम्बन्ध में सेना को कोई अवसर नहीं मिला।

(घ) नहीं; और न ही इस प्रकार की सहायता मांगी गयी थी।

(ङ) भारतीय वायु सेना को इस कार्य के लिए ४० घण्टे तक उड़ना पड़ा। सेना इंजीनियरों ने जितना काम किया है, वह लगभग २,००,००० कार्य-घण्टों के बराबर है।

साधारण व्यवहार के अनुसार, विभिन्न कार्यों में लगाया गया केवल अतिरिक्त खर्च ही सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। इस अतिरिक्त खर्च का ठीक-ठीक प्राक्कलन इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह खर्च बहुत अधिक नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारतीय वायु सेना ने विमानों द्वारा खाद्य फैंकते समय पेल्यूड्रीन आदि कोई दवाई भी फेंकी थी ?

डा० काटजू : इसक बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि डिफ़ेन्स फ़ोर्सज़ इस तरह की जो सहायता सिविल अधिकारियों को देती हैं, वह किन शर्तों पर दी जाती हैं ? आया वह खर्चा रक्षा मंत्रालय का होता है और बाद में सिविल अधिकारियों से ले लिया जाता है या ये वस्तुएं निःशुल्क दी जाती हैं ?

डा० काटजू : इसमें कोई बंधे हुए कायदे नहीं हैं। बाज़ वक्त कोई चार्ज नहीं किया जाता है और बाज़ वक्त एक्स्ट्रा चार्ज होता है और उम्मीद की जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट वह हम को दे देगी।

पिछड़ी हुई जातियों को छात्रवृत्तियां

*२५७३. **श्री इब्राहीम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक क उपरान्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी छात्र वृत्तियाँ दी जाएँगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ऐसी आशा है कि १९५५-५६ के दौरान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य प्रकार की पिछड़ी हुई जातियों के अभ्यार्थियों को २५,००० छात्रवृत्तियाँ दी जाऐंगी।

श्री इब्राहीम : गत वर्ष कितनी छात्र-वृत्तियाँ दी गयी थीं ?

डा० एम० एम० दास : गत वर्ष इन तीन जातियों से सम्बन्ध रखने वाले २०,६९२ अभ्यार्थियों को सरकार की ओर से छात्र-वृतियाँ प्राप्त थीं ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि छात्रों को जो छात्रवृतियाँ दी जाती हैं वे छः-छः महीने में न दी जाकर तीन-तीन महीने में दी जाया करें ?

डा० एम० एम० दास : यह सच है कि हम छः-छः मास के उपरान्त ये वृत्तियां देते हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उस पर विचार किया जाएगा ।

श्री मात्तन : क्या सभा सचिव यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों को अलग-अलग कितनी छात्रवृतियाँ दी गयी हैं ?

डा० एम० एम० दास : १९५४–५५ के वर्ष में अनुसूचित जातियों को कुल १०,०६९ अनसूचित आदिम जातियों को २,३६० और अन्य पिछड़ी हुई जातियों को ८,२६३ छात्र-वृत्तियाँ दी गयी हैं।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को ज्ञात है कि एसे बहुत से विद्यार्थी, जो छात्र-वृत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वह प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार नम्बर पद्धति का अनुसरण कर रही है।

डा० एम० एम० दास : अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां दी गयी हैं।

श्री अच्युतन : क्या हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि सरकार वर्तमान वर्ष में छात्र-वृतियाँ बांटते समय पिछड़ी जातियों के आयोग की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखेगी ?

डा० एम० एम० दास : हमने एक छात्र-वृत्ति बोर्ड बनाया हुआ है, जो कि इन सभी प्रश्नों के बारे में सोच विचार करता है मेरा विचार है कि बोर्ड इस मामले पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करेगा ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : १९५४-५५ में पिछड़ी हुई जातियों के कितने विद्यार्थियों के आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए थे ।

डा० एम० एम० दास : मैं ने यह तो बता दिया है कि कुल कितनी छात्रवृतियाँ दी गयी हैं । और मैं आपको आवेदन पत्रों की कुल संख्या भी बता देता हूँ । अतः इसमें से प्रथम संख्या घटा कर आप जान सकते हैं कि कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए। पिछड़ी हुई जातियों से प्राप्त हुए कुल आवेदन पत्रों की संख्या थी —२२, २९४ ।

शिल्पिक स्कूल तथा कालिज

*२५७४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय शिल्पिक शिक्षा परिषद् ने कितने शिल्पिक स्कूल तथा कालिज खोलने के बारे में सिफारिश की है; तथा

(ख) अभी तक कितने स्कूल और कालिज खोले जा चुके हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १७**]

डा० राम सुभग सिंह : अखिल भारतीय शिल्पिक शिक्षा परिषद् ने चार उच्च शिल्पिक संस्थाओं के लिए सिफारिश की है, परन्तु अभी तक केवल एक ही संस्था स्थापित की गयी है ।

अन्य तीन संस्थाओं को स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

डा० एम० एम० दास : इसके कारण निम्नलिखित हैं:–(१) पूर्वी संस्था के लिए भी निपुण कर्मचारियों की नियुक्ति ने कई समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं और इसीलिए ऐसा विचार किया गया था कि इस प्रथम संस्था की स्थापना और अन्य संस्थाओं की स्थापना के बीच पर्याप्त समय होना चाहिए;

(२) युद्धोत्तर विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप देश में वर्तमान इंजीनियरिंग और शिल्पिक संस्थाओं का इतना अधिक विकास हो चुका है कि इस स्थिति ने हमारे मन में इस बात का सन्देह उत्पन्न कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अन्य उच्च शिल्पिक संस्थाओं को स्थापित करने का कोई लाभ न होगा । योजना आयोग ने, उपलब्ध संपत्ति-स्रोतों और बढ़िया शिल्पिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा परामर्श दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में केवल एक ही संस्था अर्थात्––पूर्वी उच्च शिल्पिक संस्था की स्थापना के कार्य को प्रारम्भ किया जाए ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सभा सचिव ने इन तीन संस्थाओं की स्थापना में जिन संशयों का उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वे संशय किस प्रकार के हैं, और इन तीन संस्थाओं की स्थापना में कितना समय लग जाएगा ।

डा० एम० एम० दास : इन तीन संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना को तैयार करते समय पुनः विचार किया जाएगा ।

श्री आर० एस० दीवान : अभी-अभी ऐसा कहा गया था कि शिल्पज्ञों की कमी के कारण ही ये संस्थाएँ नहीं खोली जा रही हैं । यदि निजी संस्थाएँ और संघठन अपने शिल्पिक कमचारा लकर उपस्थित हों तो क्या सरकार इन संस्थाओं की उदारहृदयता से सहायता करेगी और उन्हें प्रोत्साहन देगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : गवर्नमेंट जरूर इस पर ग़ोर करेगी––लेकिन जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्ज़ मुल्क में मौजूद हैं और जो कुछ और जैसा कुछ इनका स्टाफ़ है, वह पूरी तरह गवर्नमेन्ट के सामने आ चुका है ।

भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना

*२५७७. **श्री सुबोध हासदा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम जर्मनी के उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना १९५४–५५ के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के लिये कितने उमीदवारों ने (राज्यवार) आवेदन-पत्र दिये थे ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री सुबोध हासदा : क्या आवेदनपत्र औद्योगिक सार्थों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं या राज्य सरकारों द्वारा?

डा० एम० एम० दास : सरकारी विभागों, शिक्षा संस्थाओं और विख्यात औद्योगिक सार्थों द्वारा भेजे गये उम्मीदवार जिनके पास अच्छी डिग्री, दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो और जिनकी आयु ३५ वर्ष से कम हो इसके पात्र होते हैं ।

श्री सुबोध हासदा: अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने उमीदवारों ने आवेदनपत्र दिये थे और चुनाव किस प्रकार किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : चुनाव योग्यता के आधार पर किया गया था । अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अभ्यंश निश्चित नहीं किया गया था ।

श्री सुबोध हासदा : क्या चुनाव किया जा चुका है और कितने उम्मीदवार चुने गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : वर्ष १९५४–५५ में ५३ उम्मीदवार चुने गये थे जिनमें से ४ ने इनकार कर दिया । ४९ अब भी हैं ।

संचित निधि

*२५७९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद २९२ के अन्तर्गत सरकार की उधार लेने की शक्तियों के बारे में एक विधेयक संसद् में लाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) सरकार इस विषय पर कितनी देर से विचार कर रही है; और

(ग) कब तक विधेयक पुनः स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) से (ग). संविधान के अनुच्छेद २९२ के अन्तर्गत विधेयक लाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या ऐसी विधि बनाने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री एम० सी० शाह : मैं वर्तमान के बारे में कह सकता हूँ ।

श्री के० सी० सोधिया : संविधान के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने अधिकतम कितना समय रखा है ?

श्री एम० सी० शाह : जब कभी आवश्यक होता है हम विधान बनाते हैं जब उसकी तुरन्त आवश्यकता नहीं होती तब हम नहीं बनाते ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार का विचार है कि इस प्रकार का विधान इस क्षेत्र में उनकी असीमित स्वतन्त्रता को सीमित कर देता है ?

श्री एम० सी० शाह : यह कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि आयव्ययक पर संसद् और विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है, जब कभी सरकार उधार लेना चाहती है उसे संसद् और विधान मंडलों की सहायता लेनी पड़ती है । जहां तक उधार लेने का सम्बन्ध है सरकार के ऊपर संसद् और विधान मंडल एक प्राधिकार के रूप में हैं ।

लोक निर्माण विभाग कार्य

*२५८०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य लोक निर्माण विभाग कार्यों के लिये आय-व्ययक में दी गई राशियों का अधिकतर भाग प्रत्येक वर्ष व्ययगत हो जाता ह; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें दिखाया गया है कि त्रिपुरा में लोक निर्माण के लिये रखी गयी निधि का कहां तक उपयोग नहीं किया गया और इसके क्या कारण थे **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री बीरेन दत्त : विवरण में दिखाया गया है कि लोक निर्माण के लिये गत कई वर्षों से टैक्निकल कर्मचारियों की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री दातार : इस राज्य में पदाधिकारियों को ले जाने के लिये सरकार शर्तों को उदार बनाती रही है। सरकार ने अब सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर नियुक्त किया है और अन्य एक

डिवीज़न बनाया है जिसके पांच सब-डिवीज़न होंगे। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि आय-व्ययक में दी गई राशियों का अधिकतर भाग व्यय हो जाये।

श्री बीरेन दत्त: प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित सामग्री का प्रबन्ध करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

श्री दातार : सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री एन० एम० लिंगम : एक ओर तो राज मार्ग इंजीनियरिंग के कई सनातक बेरोज़गार फिर रहे हैं और दूसरी ओर सड़क कार्य के अन्तर्गत बड़ी-बड़ी राशियों को व्ययगत होने दिया जाता है इसके क्या कारण हैं ?

श्री दातार: कुछ क्षेत्रों में लोग नौकरियां स्वीकार नहीं करते और ऐसे अलग अलग स्थानों पर नहीं जाना चाहते।

आदिम जाति मुखियों का बन्दी किया जाना

*२५८२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से मनीपुर का वर्तमान सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ है कितने आदिम जाति मुखिया, मंत्री, चिंगशांग लक्पा और ग्राम पदाधिकारी जेल भेजे जा चुके हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उन में किसी एक को भी "ग" से ऊपर की श्रेणी में नहीं रखा गया है;

(ग) आदिम जातियों के इन प्रमुख सदस्यों को "ग" से ऊपर की श्रेणी में रखने में क्या कठिनाइयां थीं;

(घ) क्या बन्दियों ने कोई अभ्यावेदन भेजा है कि उन्हें "ग" की बजाये "ख" श्रेणी में रखा जाये; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ४३

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ). बन्दियों ने उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिये अभ्यावेदन भेजा था परन्तु राज्य प्रशासन ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करना उचित नहीं समझा।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं कि जिस दंडाधिकारी ने उनकी दोष सिद्धि की उसने उन्हें पहले "ख" श्रेणी में रखा था पर दस दिन के बाद उन्हें "ग" श्रेणी में भेज दिया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री दातार : दंडाधिकारी दोष सिद्धि अथवा दंड देते समय उन्हें अस्थायी रूप से किसी श्रेणी में रख देते हैं और तब वे अन्तिम कार्यवाही करने के लिये जानकारी एकत्र करते हैं और जब उनके पास सामग्री पहुंच जाती है तो वे बन्दी को या तो उसी श्रेणी में रहने देते हैं या यथा स्थिति "ग" अथवा "क" श्रेणी में भेज देते हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को विदित है कि लगभग ३०० बन्दियों ने चार दिन तक भूख हड़ताल की और ज़िला दंडाधिकारी के आश्वासन देने पर कि उनकी मांग स्वीकार कर ली जायेगी उन्होंने हड़ताल समाप्त की परन्तु बाद में सरकार ने उनके मामले पर पुनर्विचार करने से पुनः इनकार कर दिया ? यदि हां तो क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करके उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ताकि आगे के लिये ऐसी बात न हो ?

श्री दातार: मैं बचन देता हूं कि जांच की जायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं कि बन्दियों का सामान्य श्रेणीकरण उनके सामाजिक स्तर के आधार पर किया जाता है, और माननीय मंत्री द्वारा दिये गये (क) के उत्तर से पता चलता है कि इनमें से अधिकतम लोग ग्रामों के उच्चतम प्राधिकारी हैं। ऐसा होने पर भी उन्हें "ग" श्रेणी में रखने का क्या औचित्य है ?

श्री दातार : त्रिपुरा में नियम आसाम जेल मैनुअल के अधीन हैं और उनमें सिद्धान्त रखे गये हैं, यदि वे किसी राज्य के गांव के उच्चतम वर्ग में से भी हों तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें उच्च श्रेणी का अधिकार है, पर श्रेणी उनके रहने सहने के ढंग के अनुसार है।

श्री रिशांग किशिंग : इस बात को सामने रखते हुए कि इन आदिम जाति मुखियों का स्तर सामाजिक-राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से आदिम जाति के लोगों में उच्चतम है क्या सरकार के लिये उचित न होगा कि वह इन्हें कम से कम "ख" श्रेणी में रखे ?

श्री दातार : मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ कि वे विशेष ग्राम के उच्चतम वर्ग में से हैं पर आसाम जेल मैनुअल के अन्तर्गत केवल इसी आधार पर उन्हें उच्च श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसे सब मामलों में यदि उच्च श्रेणी देने के लिये कोई विशेष परिस्थितियां हों तो सरकार उन पर भी विचार करती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सामाजिक स्तर अथवा आर्थिक स्तर क्या है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम स्तर के बारे में तर्क-वितर्क में जा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने कहा है कि आसाम जेल मैनुअल में.....

अध्यक्ष महोदय : यह इतने महत्व का विषय नहीं कि प्रश्नकाल की समाप्ति तक इसपर अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री ने बन्दियों के अभ्यावेदन पर विचार करने और उनकी जांच करने का और माननीय सदस्य के कथनानुसार प्राधिकारियों द्वारा दिये गये वचन की जांच करने का आश्वासन दिया। यह पर्याप्त उत्तर था।

श्री वी० पी० नायर : वह दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : अधिक तर्क देने का कोई लाभ नहीं है।

संस्कृत शिक्षा सम्बन्धी आयोग

*२५८४. **श्री राम शंकर लाल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी के संस्कृत मंत्रणा (ऐडवाइज़री) बोर्ड ने देश भर में संस्कृत भाषा की शिक्षा की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां जी।

(ख) राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके क्षेत्रों में संस्कृत पढ़ाने के क्या प्रबन्ध हैं, और क्या वे संस्कृत पढ़ाई की मौजूदा दशा को सुधारने के लिये कुछ पग उटाना चाहती हैं।

श्री डाभी : क्या सरकार ने संस्कृत, जो कि उन भाषाओं में से एक है जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है, के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

डा० एम० एम० दास : प्रथमता यह राज्य सरकारों का काम है। दूसरे, जब शिक्षा मंत्रालय को यह संकल्प भेजा गया तो उन्होंने राज्य सरकारों से उनके क्षेत्रों में संस्कृत की शिक्षा के वर्तमान प्रबन्धों के बारे में सूचना देने को कहा और यह भी पूछा कि क्या वे संस्कृत शिक्षा की वर्तमान हालत को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती हैं।

श्री बी० के० दास : क्या इस आयोग के निर्देश पदों के बारे में कोई विनिश्चय अथवा सिफारिश की गई है?

डा० एम० एम० दास : जी नहीं; साहित्य अकादमी के संस्कृत मंत्रणा बोर्ड ने केवल संकल्प पारित किया और उसे शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी के संस्कृत मंत्रणा बोर्ड ने संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तकें मंगवाई और बोर्ड के पास अब तक कोई अच्छी पुस्तकें नहीं पहुंची हैं?

डा० एम० एम० दास : वह अलग प्रश्न है, इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : अभी बतलाया गया कि गवर्नमेंट इस दिशा में कुछ पग बढ़ाना चाहती है, मैं जानना चाहता हूँ कि वह पग कितनी तेजी से बढ़ायेंगे और किस दिशा में बढ़ाये जायेंगे?

डा० एम० एम० दास : हमने राज्य सरकारों से पूछा है कि क्या वे अपने राज्यों में संस्कृत शिक्षा का सुधार करने के लिये आगे कार्यवाही करना चाहते हैं।

ट्रकों का निर्माण

*२५८५. **श्री विश्व नाथ रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवाओं द्वारा अपेक्षित बड़े ट्रकों का निर्माण करने के लिये सरकार का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : रक्षा सेवाओं को प्रत्येक वर्ष कितने ट्रक बदलने पड़ते हैं?

श्री सतीश चन्द्र : संख्या आवश्यकताओं के वार्षिक निर्धारण पर निर्भर करती है। यह निश्चित संख्या नहीं है। स्टाक में पड़े ट्रकों और उनकी हालत को देखते हुए प्रत्येक वर्ष आवश्यक ट्रकों की गिनती की जाती है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि कुछ समय हुआ मोटर-गाड़ियों पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने सभा को आश्वासन दिलाया था कि रक्षा सेवाओं की मांगों को पूरा करने के लिये थोड़े ही समय में ट्रक निर्माण करने वाला कारखाना स्थापित किया जायेगा? यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की है?

श्री सतीश चन्द्र : देश में पहले ही कुछ कारखाने हैं। ३ टन के सब ट्रक हिन्दुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ओटोमोबाइल से प्राप्त किये जाते हैं। बड़े ट्रकों के भारत में निर्माण आरम्भ करने के प्रस्तावों पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय विचार कर रहा है। मोटर गाड़ी उद्योग रक्षा मंत्रालय के आधीन नहीं है। यदि माननीय सदस्य अधिक जानकारी चाहते हों तो वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से एक पृथक प्रश्न पूछ लें।

श्री मात्तन : क्या रक्षा सेवाओं के लिये उपलब्ध मोटर गाड़ियां हिन्दुस्तान मोटर्स

और प्रीमियर ओटोमोबाइल्ज द्वारा अमरीकन पुर्जों को जोड़ कर तैयार की गई हैं ? यदि, हां तो पाकिस्तान को सैनिक सहायता को दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित होगा कि इन मोटर गाड़ियों के....

अध्यक्ष महोदय : उन्हें तर्क प्रस्तुत नहीं करने चाहिएं। वह इस प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं कि क्या अमरीका में निर्मित पुर्जों को जोड़ने के लिये भारत में कारखाने हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : भारत के कारखानों में ट्रक निर्माण करने का कार्यक्रम बनाया गया है और कुछ भारत में प्रगतिशील ढंग में निर्मित किये जा रहे हैं।

श्री मात्तन : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री मात्तन : नहीं।

सैनिक स्कूल

*२५८७. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : रक्षा मंत्रालय के अधीन जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उन में इस समय अनुसूचित जाति का कोई विद्यार्थी नहीं है। अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए हाल में कुछ छात्रवृत्तियां और फीस में रियायतें देने का निर्णय किया गया है।

श्रीमती गंगा देवी : क्या डिफेंस मिनिस्टर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी तक शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी बच्चा इतना एफिशिएंट नहीं मिला है जो मिलेटरी स्कूल में दाखिल किया जा सके ?

डा० काटजू : मैं पिछले जमाने के बारे में कोई इतमीनान के साथ अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन आजकल कोई नहीं है, क्योंकि दाखिला जितना होता है वह सब मेरिट के ऊपर होता है और उसमें कोई लिहाज किसी कास्ट और क्रीड का नहीं किया जाता है।

श्री बालकृष्णन् : अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ?

डा० काटजू : स्थान अनुसूचित जातियों के लिये नहीं, विभिन्न राज्यों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं।

श्रीमती गंगा देवी : इंडिया में ऐसे मिलिटरी स्कूल कितने हैं और क्या इन स्कूलों में शेड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों के लिये फ्री एजुकेशन का प्राविजन होगा ?

डा० काटजू : डिफेन्स मिलिटरी के मातहत तो सिर्फ पांच मदर्से हैं। बाकी छोटे छोटे मदर्से मुख्तलिफ यूनिट्स में कायम किये जा रहे हैं।

चलार्थ

*२५८८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का किंग जार्ज के जमाने के चलार्थ नोट प्रचलन से वापस लेने का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : किंग जार्ज के जमाने में भारत सरकार के चलार्थ नोट और बैंक नोट शनैः शनैः प्रचलन से वापस लिये जा रहे ह।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को विदित है कि किंग जार्ज के जमाने के बर्मा और पाकिस्तान के नोटों के प्रचलन के कारण रेलवे क्लिंग क्लर्कों को बहुत कठिनाई हो रही है और क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई पग उठाना चाहती है ?

श्री ए० सी० गुह : कुछ समय पूर्व इस आशय के समाचार प्राप्त हुये थे। सरकार ने इसे रोकने के लिये कुछ पग उठाये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस प्रकार के बहुत से नोट प्रचलित हैं, सरकार का उन लोगों को क्या सुविधायें देने का विचार है, जो इन नोटों को बदलना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : इसीलिये इन नोटों का विमुद्रीकरण नहीं किया गया था। हम इन लोगों को नोट बदलने की सुविधायें देना चाहते हैं। लोग इससे लाभ उठा रहे हैं और बहुत से नोट वापस ले लिये गये हैं। कुल १४९ करोड़ रुपये के नोट प्रचलित हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने इन नोटों को वापस लेने के लिये कोई कालावधि निश्चित की है ?

श्री ए० सी० गुह : जी नहीं। इन्हें १९५२ के उत्तरार्ध से वापस लेना आरम्भ किया गया था किन्तु अभी तक कोई कालावधि निश्चित नहीं की गई।

कलानिधियां और ऐतिहासिक प्रलेख

*२५९०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंग्लैंड में भारत की जो कलानिधियां और ऐतिहासिक प्रलेख हैं उन के लौटाये जाने के लिये भारत के दावों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार हमें बतायेगी कि ये कलानिधियां और ऐतिहासिक प्रलेख हमें कब वापिस मिलेंगे ?

डा० एम० एम० दास : शिक्षा मंत्रालय ने भारत स्थित विदेशी दूतावासों के अध्यक्षों को पत्र लिखे थे कि उनके देशों में यदि कोई भारतीय कलानिधियां हैं तो वे उन की सूची तैयार करने में सहायता दें। एक और पत्र हमने विदेशों में अपने दूतावासों को लिखा था जिस में उन से कहा गया था कि वे उन देशों में भारतीय कला की वस्तुओं की सूची तैयार करें। इस के प्राप्त होने पर सब भारतीय दूतावासों को एक स्मृति पत्र भेजा जायेगा जिसमें उन भारतीय कला की वस्तुओं की वापिसी के लिये जो कि उन देशों में हैं, बातचीत करने के लिये कहा जायेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : ब्रिटिश म्यूजियम और विक्टोरिया ऐन्ड अलबर्ट म्यूजियम में रखी हुई कलानिधियों और ऐतिहासिक प्रलेखों की और इंडिया आफिस के पुस्तकालय में रखे हुये चित्रों तथा रेखा चित्रों की पूरी सूची बनाने सें क्या कोई प्रगति हुई है ?

डा० एम० एम० दास : हमारे लन्दन स्थित उच्चायुक्त ने एक सूची भारतीय कला चित्रों की एक छोटी पुस्तक १९४८ की संख्या ७ जो कि विक्टोरिया ऐंड एलबर्ट म्यूजियम लन्दन द्वारा प्रकाशित है, प्राप्त की है। यह हमें भेजी गई है और हम कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सत्य है कि ये सब कलानिधियां अविभक्त भारत की थीं ? अब जब कि विभाजन हो गया है इन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच किस आधार पर बांटा जायेगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ताल्लुक तो है। यह कहा गया है कि रिस्टोरेशन होगा तो उन का सवाल यह है कि चूंकि उसमें पाकिस्तान भी हिस्सा मांग सकता है इसलिये किस प्रकार से इसका निर्णय किया जायेगा कि कौनसा हिस्सा हिन्दुस्तान का है और कौन सा पाकिस्तान का ?

मौलाना आजाद : पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई डिमांड हमारे सामने नहीं आई है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या भारत सरकार ने कोहेनूर हीरे के भारत को वापस दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन किया है।

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न का उत्तर सभा में कई बार दिया जा चुका है।

हिन्दी आयोग

*२५९१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच करने के लिये कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में जारी करने में किस हद तक प्रगति हुई है सरकार का एक आयोग नियुक्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं; और

(ग) इस की निर्देश्य शर्तें क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). यह मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचारा धीन है और एक घोषणा की शीघ्र ही आशा की जा सकती है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: यह आयोग किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखेगा और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुये इसका अध्यक्ष कौन होगा ?

श्री दातार : इस अवस्था पर मैं इस आयोग के अध्यक्ष का या सदस्यों के नाम प्रकट करना नहीं चाहूंगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत काम करेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इसमें संविधान में स्वीकृत १४ भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे और ये प्रतिनिधि किस आधार पर नियुक्त किये जायेंगे ?

श्री दातार : जी हां। सिद्धान्त यह है कि जहां तक संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, वे उचितरूप से सरकार को परामर्श देने के योग्य होने चाहियें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या संसद् के कोई सदस्य भी इस आयोग के साथ सम्बद्ध किये जायेंगे या उसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद संसद् की एक अलग समिति बनाई जायेगी ?

श्री दातार: जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है स्वयं संविधान में एक उपबन्ध है कि हिन्दी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, संसद के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जायेगी।

कोलम्बो योजना

*२५९२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन सहायता लेने वाले देशों का इस बात की चर्चा करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया है कि योजना के अधीन दी जाने वाली अमेरिकन सहायता का उपयोग कैसे किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

(ग) इस सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा किये जाने की आशा है ?

राजस्व और अनैतिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि न केवल वर्तमान द्विपक्षीय देश कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुये बल्कि उन परियोजनाओं को भी विशेष रूप से ध्यान में रखते हुये जो कि अन्तर-प्रादेशिक व्यापार और प्रादेशिक विकास बढ़ाने के लिये बनाई गई है भविष्य में अमरीकी सहायता के प्रयोग के तरीके पर विचार किया जायेगा। बैठक में उन मामलों की भी चर्चा हो सकती है जिन पर कि कोलम्बो योजना परामर्श दाता समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या अमरीका सरकार ने भारत सरकार से यह सम्मेलन बुलाने के लिये कहा है या भारत सरकार स्वयं यह सम्मेलन बुला रही है ?

श्री एम० सी० शाह : अमरीकी सरकार के कहने या भारत सरकार के स्वयं बुलाने का प्रश्न नहीं है। अन्तर-प्रादेशिक व्यापार के विकास के लिये दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को लगभग २००० लाख डालर की विशेष निधि दी गई है। अत: वे देश जो कोलम्बो योजना के अधीन सहायता ले रहे हैं इन बातों पर चर्चा करने और इन्हें अन्तिम रूप देने के लिये बैठक करेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या किन्हीं सरकारों ने सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार किया है और यदि हां, तो वे देश कौन से हैं ?

श्री एम० सी० शाह : अब तक कोलम्बो योजना के निम्न एशियन सदस्यों को निमंत्रण भेजे गये हैं : बर्मा, कम्बोडिया, सीलोन, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, मलाया, सिंगापुर, थाइलैंड और वियटनाम। कम्बोडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, थाइलैंड और वियतनाम की सरकारों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिये हैं। आशा है कि मलाया और सिंगापुर की सरकारें भी कर लेंगी। सीलोन और बर्मा की सरकारों की सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है किन्तु स्पष्टीकरण के लिये एक तार भेजा गया है। आशा है कि ये भी अपने प्रतिनिधि भेज देंगी नेपाल, पाकिस्तान और फिलिपाइन्स से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ किन्तु आशा है कि वे भी सम्मिलित होंगी ।

श्री एस० एन० दास : इस बैठक में सम्मिलित न होने के लिये बर्मा और सीलोन ने क्या कारण बताये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : उन की इच्छा नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है अत: हमने स्पष्टीकरण के लिये तार भेजे हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : यदि सीलोन इस में न हो, तो कोलम्बो योजना कैसे हो सकती है ?

खनिज सर्वेक्षण

*२५९३. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सोने, चांदी, तांबे और इलमेनाइट की कच्ची धातुओं के लिये सलेम के चाक पहाड़ी क्षेत्रों के उचित सर्वेक्षण के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी नहीं, क्योंकि ये खनिज वहां नहीं पाये जाते ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सरकार का ध्यान दक्षिण से आने वाले इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि एक

भूतत्वज्ञ ने ऐसे दुर्लभ खनिजों का पता लगाया है जिन में सोना और चांदी होते हैं और क्या सरकार इसकी पुनः जांच करना वांछनीय समझती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे माननीय मित्र ने कल इस विषय की ओर मेरा ध्यान दिलाया था। किन्तु सरकार के विचार में यह जानकारी ठीक नहीं है। हमारे विशेषज्ञों की राय यह है कि उस क्षेत्र में सोने चांदी की खोज करना व्यर्थ होगा और रुपये का अपव्यय होगा।

खोटे सिक्के

*२५९४. **श्री कासलीवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली म ऐसे दल काम कर रहे हैं जो कि राजधानी में खोटे सिक्के फैला रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या पग उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गत बारह मासों में इस प्रकार के किसी मामले का समाचार नहीं मिला। १९५४ में ११ इक्के दुक्के मामले हुये थे जिन में से तीन अपराधी उत्तर प्रदेश के, एक पंजाब का और आठ बंगाल के थे।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार का ध्यान हाल में **टाइम्स आफ इंडिया** में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया ह जिसमें इस सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और कहा गया है कि सैकड़ों लोग यह अवैध काम कर रहे हैं और जनता को बहुत कष्ट हो रहा है ?

श्री दातार : मुझे इस समाचार का ज्ञान नहीं है किन्तु कुछ समाचार पत्रों में छप जाने का अर्थ यह नहीं कि कोई दल काम कर रहा है, जब तक उनकी कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही पकड़ी न जाये।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार को विदित है कि इस समाचार में यह भी कहा गया था कि पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने खोटे सिक्के बनाने के लिये अवैध कार्यवाही की थी ?

श्री दातार : मुझे मालूम नहीं है।

श्री केशव्पन : क्या सरकार इस जानकारी को लेकर एक जांच करेगी ?

श्री दातार : सरकार सभा में दी जाने वाली जानकारी को सदा लेने के लिये तैयार है।

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय टीम

*२५९५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों की वृद्धावकाश आयु बढ़ाये जाने के बारे में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय टीम की सिपारिशों की कार्यान्विति के लिये सरकार क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : यह प्रश्न मुख्यतः राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है और उन्हें माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय टीम के प्रतिवेदन की प्रतियां भिजवा दी गई हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत सरकार को राज्य सरकारों से इस विषय में कोई उद्गार प्राप्त हुये हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस योजना की सिफारिशों की अभिपूर्ति राज्य सरकारों का काम है। अतः उनके लिये यह आवश्यक

नहीं है कि वे केन्द्रीय सरकार को यह सूचना दें कि वे इस विषय में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : यदि वस्तुस्थिति इस प्रकार है तो यह माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की क्या आवश्यकता थी ?

डा० एम० एम० दास : क्योंकि सरकार को यह अनुभव हुआ कि ऐसे आयोग के स्थापित किये जाने की आवश्यकता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : सारे भारत में अध्यापकों के वृद्धावकाश के बारे में समान नीति बनाने के प्रयोजन से सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार इस विषय में भरसक प्रयत्न कर रही है और करती रहेगी किन्तु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सके हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : सरकार ने जो भरसक प्रयत्न अब तक किये हैं वे क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कुछ हो पाया है ?

डा० एम० एम० दास : मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा हूं, क्या प्रश्न को दुहराने की कृपा करेंगे ?

राष्ट्रीय अभिलेखागार

*२५९६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री २४ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के प्रति दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान राष्ट्रीय अभिलेखागार और उसकी प्रस्थापित अनेकसी में शीतोष्ण नियंत्रण की व्यवस्था करने के हेतु अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है और खर्च हो चुकी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : क्रमशः २,५०,००० और १,१४,५४० रुपये ।

जहां तक प्रस्थापित अनेकसी में शीतोष्ण नियन्त्रित व्यवस्था किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में व्यय के प्राक्कलन अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या शीतोष्ण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना के साथ साथ सरकार का विचार वर्तमान भवन के ऊपर और मंजिले बनाने का विचार भी है ?

डा० एम० एम० दास : अभी तो प्रस्थापित अनेकसी के निर्माण सम्बन्धी योजना भी पूर्णरूपेण तैयार नहीं हो पाई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह अनेकसी दक्षिण की ओर किंग्ज़वे तक जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता ।

भूतपूर्व ब्रिटिश पदाधिकारियों के लिये निवृत्ति वेतन

*२५९७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों ने इस देश में ब्रिटिश सम्राट की सेवा की थी, उन्हें अथवा उनके सम्बन्ध में निवृत्ति वेतनों का भुगतान करने, नियंत्रण करने तथा प्रशासन करने और अन्य दायित्वों को पूरा करने के उत्तरदायित्व का इंगलिस्तान की सरकार को हस्तान्तरण करने के परिणाम स्वरूप क्या कोई बचत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अनुमानतः कितनी वार्षिक बचत हुई है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग १० लाख रुपये प्रति वर्ष ।

डा० राम सुभग सिंह : जिन निवृत्ति वेतनों का भुगतान, हस्तान्तरण की तिथि के पूर्व नहीं होता, उन के भुगतान का उत्तरदायित्व किस पर होगा ?

श्री एम० सी० शाह : ब्रिटिश सरकार पर ।

श्री जोकोम आल्वा : जिन ब्रिटिश पदाधिकारियों ने भारत में असैनिक अथवा सैनिक सेवा की है, उनको अन्तिम निवृत्ति वेतन किस साल तक दे दिया जायेगा ?

श्री एम० सी० शाह : हमें इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार निवृत्ति वेतनों के भुगतान का प्रबन्ध करेगी और हम १९४८ में पहले ही २२४ करोड़ रुपया दे चुके हैं। अब इस पर पूरी तरह से विचार कर लिया गया है और हमें ५० करोड़ रुपये वापस मिलेंगे तथा आयकर के रूप में लगभग ८ करोड़ रुपये मिलेंगे । इस प्रकार हमको कुल ५८ करोड़ रुपये मिलेंगे । सारा उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। यदि भारत सरकार के विरुद्ध कोई दावा किया जाता है, तो ब्रिटिश सरकार उसके लिये उत्तरदायी होगी ।

युद्धप्रतिकर

* २५९९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के उन क्षेत्रों से जहां आसाम सहायता उपाय किये गये हैं, प्रतिकर के भुगतान के लिये सरकार ने दावे सम्बन्धी कितनी याचिकायें स्वीकार की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि युद्ध प्रतिकर का भुगतान दो विभिन्न अवधियों में किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो प्रथम और द्वितीय भुगतान कब तक किये जायेंगे ; और

(घ) क्या यह सच है कि यदि लोग उस सत्याग्रह में भाग लेंगे, जो कि आजकल मनीपुर में चल रहा है, तो वे प्रतिकर से वंचित कर दिये जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ४२,१२१ । दावे सम्बन्धी २००० अतिरिक्त याचिकाओं की जांच की जा रही है ।

(ख) जी नहीं । जैसे ही दावे स्वीकार कर लिये जाते हैं, उनका भुगतान कर दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग : यह देखते हुये कि पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार के अभिकर्त्ताओं द्वारा बराबर प्रचार किया जा रहा है, सरकार अथवा माननीय मंत्री किस प्रकार सभा को यह आश्वासन देंगे कि ऐसी घटनायें नहीं होंगी ? मैं भाग (घ) के उत्तर के बारे में कह रहा हूं, जिसका माननीय मंत्री ने नकारात्मक उत्तर दिया है ।

सरदार मजीठिया : मैंने ऐसा कहा है । सदस्य मेरा उद्धरण दे सकते हैं कि मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि किसी भी ऐसे आन्दोलन में भाग लेने के लिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या किसी पदाधिकारी के खिलाफ न्यायालय में कोई ऐसा दावा पेश हुआ है, जहां उसने आदिम जाति के लोगों को यह झूठा आश्वासन दे कर

कि प्रतिकर के रूप में मांगी गई उनको पूरी राशि मिल जायेगी, उन लोगों से रुपया एकत्र किया है, और यदि हां, तो सरकार इन मामलों को किस प्रकार निपटायेगी ?

सरदार मजीठिया : जहांतक मुझे मालूम है, ऐसा कोई दावा पेश नहीं हुआ है ।

सचिवालय के कर्मचारियों के लिये सुविधायें

*२६०२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४–५५ में सचिवालय के कर्मचारियों को सुविधायें देने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय को कोई विशेष धन राशि दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि किस प्रकार खर्च की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) वार्षिक अनुदान के रूप में ५५,००० रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ख) यह सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबंध संख्या २०]**

श्री एस० सी० सामन्त : सामान्यत : कौन कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री दातार : सामान्यत: खेल की सुविधायें दी जाती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस निधि के खर्च पर खेल के किन्हीं दलों को भेजा गया था ?

श्री दातार : बहुधा अन्तर्मंत्रालय टूर्नामेंट तथा प्रतियोगितायें होती हैं । एक बार एक दल भेजा गया था, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि उसको इस निधि के खर्चे पर भेजा गया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस धन का प्रबन्ध कौन करता है ? क्या कोई समिति अथवा इसी प्रकार की कोई संस्था इसका प्रबन्ध करती है ?

श्री दातार : एक केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी कल्याण तथा सुविधा समिति है और एक कर्मचारी कल्याण पदाधिकारी नियुक्त हुआ है । फिर विभिन्न मंत्रालय से सम्बन्धित उपसमितियां भी हैं ।

आदिमजाति के सरदारों के लिये कम्बल

*२६०३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य में १९५४–५५ में आदिम जाति के सरदारों के लिये कितने लाल कम्बल दिये गये ; और

(ख) क्या सरकार ने इन लाल कम्बलों को प्राप्त करने वालों में से किसी भी व्यक्ति से यह कहा है कि मनीपुर के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के परिणामस्वरूप उसे वह कम्बल वापस कर देना चाहिये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) २७२ ।

(ख) जी नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार लाल कम्बल पाने वालों को सरकारी नौकर समझती है ?

श्री दातार : केवल लाल कम्बल प्राप्त करने से ही उनको सरकारी नौकर नहीं मान लिया जाता है । यदि वे पहले से ही सरकारी नौकर हैं, तो स्वभावत: बात दूसरी है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि आदिम जाति के सरदारों ने पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के लिये सरकार की प्रशंसनीय सेवा की है और उसी कारण से उनको

लाल कम्बल दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन लाल कम्बलों को, जो कि उनको दिये जा चुके हैं किसी समय भी वापस ले सकती है ?

श्री दातार : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, वह काफी सीमा तक सही है। सरकार ने १९०२ में नियम तैयार कर लिये थे, और सरकार लाल कपड़े के इन टुकड़ों को लोक अथवा समाज हितकारी सेवा के उपलक्ष में देती है । इसके पश्चात, कुछ उचित मामलों में जब कभी यह देखा जाता है कि वे समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं तो सरकार को उन्हें वापिस लेने का अधिकार है ।

सोवियट रूस से सहायता

*२५७८. **श्री राधा रमण :** क्या वित्त पंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिल्पिक सहायता योजना के अधीन सोवियट संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिये हाल ही में किसी करार पर हस्ताक्षर हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) कुल कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी जायेगी तथा वह किस रूप से प्राप्त होगी ; और

(घ) क्या उस सम्बन्ध में रूस के कुछ विशेषज्ञ भी इस देश में आने वाले हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारत सरकार ने किसी ऐसे करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री राधा रमण : क्या किसी ऐसे करार पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर होने की आशा है ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसे करार पर हस्ताक्षर होने की कोई आशा नहीं है । ऐसा करार आवश्यक नहीं है । वस्तुतः रूस ने हमको बताया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की विस्तृत शिल्पिक सहायता योजना के अन्तर्गत ४० लाख रूबल (लगभग ५० लाख रुपये) की एक धन राशि देने को तैयार है और उसमें से एशिया कुछ विशेषज्ञों अथवा उन विशेषज्ञों के लिये उपकरण का लाभ उठा सकता है ।

श्री राधा रमण : क्या भारत उन ५० लाख रुपयों में से अंश प्राप्त करने के लिये उस योजना में भाग लेना चाहता है ?

श्री एम० सी० शाह : यह अंश प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है । भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की विस्तृत शिल्पिक सहायता के प्रशासन को कुछ प्रस्थापनायें भेजी हैं । अतः भारत कुछ पदाधिकारियों को जिनकी संख्या लगभग १८ है यह मालूम करने के लिये कि क्या कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं और कुछ उपकरण भी हैं जो भारत के उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं भेजना चाहता है ।

हिन्दी का टाइप राइटर

*२५६९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दी टाइप राइटरों के लिये एक प्रमाणित की-बोर्ड निकाला गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : हां, श्रीमान्, किन्तु उस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री डी० सी० शर्मा : हिन्दी के टाइप राइटरों का एक रूप की-बोर्ड बनाने का कार्य किस अभिकरण को सौंपा गया है ?

डा० एम० एम० दास : मुद्रण तथा स्टेशनरी नियंत्रक, डाक तथा तार महानिदेशक और शिक्षा मंत्रालय के एक एक प्रतिनिधि

ले कर एक समिति नियुक्त की गई है ताकि वह निर्णय दे कि हिन्दी टाइप राइटरों में किस प्रकार का की-बोर्ड प्रयोग करना चाहिये।

श्री डी० सी० शर्मा : इस अभिकरण ने अब तक कितने प्रकार के की-बोर्डों की परीक्षा की है ?

डा० एम० एम० दास : अब विभिन्न संयुक्ताक्षरों की परीक्षा की जा रही है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या जब कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा तो किसी प्रख्यात हिन्दी लेखक को समिति में लिया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : यह लगभग टेक्नीकल विषय है और इसके लिये लेखकों की बजाये टेक्नीशनों की आवश्यकता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने वर्षों से इस समस्या पर विचार किया जा रहा है और कितने और वर्ष इसमें लगने वाले हैं ?

डा० एम० एम० दास : मेरा विचार है कि इस मामले का निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन

*२५७१. **चौ० रघुबीर सिंह :**
श्री ए० आर० सेवल :
श्री रनदमन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्ग आयोग ने अपने प्रतिवेदन में मुख्य क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) अब तक आयोग पर लगभग क्या व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) प्रतिवेदन अभी हाल में मिला है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। सिफारिशें यथाशीघ्र सभा के समक्ष रखी जायेंगी।

(ख) ५ लाख रुपये।

अंदमान

*२५७२. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में बसने के लिये अंदमान द्वीप समूह में भेजे गये भारतीय परिवारों में से कितने परिवार वापस लौट आये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कुटुम्ब के मुखिया के अस्वस्थ होने के कारण चार सदस्यों का एक कुटुम्ब द्वीप से लौट आया।

राजस्थान में किलों का संरक्षण

*२५७५. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य के जो किले इस समय सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन हैं उन के सरक्षण के लिये सरकार ने यदि कोई योजना बनाई हो तो वह किस प्रकार की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस कार्य के लिये कोई विशेष योजना नहीं हो सकती। प्रत्येक स्मारक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है।

जापान से सहायता

*२५७६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जापान की उपलब्ध सहायता से लाभ उठाना चाहती है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : संभवतः माननीयसदस्य उस टेक्नीकल सहायता की ओर निर्देश कर रहे हैं जो कोलम्बो योजना की टेक्नीकल सहकारी

योजना के अधीन जापान से प्राप्त हो सकती है। सामान्य रूप से निम्न ढंग में इस सहायता से लाभ उठाने का विचार है :

(१) जापान से शिल्पज्ञों (टेक्नीशनों) और विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करके और उनके कार्य के लिये अपेक्षित उपकरण प्राप्त करके, और

(२) उच्च शिल्पिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतीयों को जापान भेज कर।

दस्युता

*२५८१. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३ और १९५४ में भारतीय सागरों में कोई दस्युता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कुल कितनी डकैतियां हुईं और कितनी राशि की हानि हुई ; और

(ग) क्या कोई समुन्दरी डाकू पकड़े गये थे और यदि हां, तो वे किन किन देशों के थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) भारत सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सचिवालय में भर्ती

*२५८३. **डा० सत्यवादी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की भर्त्ती के सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्री को कुछ प्रतिशत संख्या अपनी राय से नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्री को कितना कोटा नियत किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक मंत्री ने गत वर्ष उपर्युक्त कोटे में से कितनी नियुक्तियां की हैं और उन में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). ऐसा कोई कोटा नियत नहीं है। वास्तव में किसी भी मंत्री को विशेष रूप से अधिकार नहीं है कि अपनी राय से किसी को नियुक्त करे। सब नियुक्तियां या तो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से या सरकार के अधीन उनके द्वारा होती हैं जो नियुक्त करने का अधिकार रखते हों। अपने निजी स्टाफ के लिये यह स्वाभाविक है कि सम्बन्धित मंत्री की अपनी राय काफी बल रखती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक योग व्यायाम

*२५८९. **बाबू रामनारायण सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यायाम शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की उप-समिति ने देश के कालिजों और स्कूलों में विशेष रूप से शारीरिक योग व्यायाम आरम्भ करने के सम्बन्ध में क्या उपपत्तियां दी हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : व्यायाम शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की जो उपसमिति १९५३ में नियुक्त की गई थी उसने स्कूलों और कालिजों में शारीरिक योग व्यायाम आरम्भ करने की ओर कोई निर्देश नहीं किया। परन्तु अब आशा है कि बोर्ड ने विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये दो और समिति नियुक्त की हैं वह शारीरिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बना रही हैं, उस पाठयक्रम में योगासनों को भी रखा जायेगा।

लौह अयस्क

*२५९८. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५४ की तुलना में जनवरी १९५५ में लौह अयस्क के उत्पादन में किन कारणों से कमी हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : दिसम्बर, १९५४ और जनवरी १९५५ के उत्पादन के आंकड़े क्रमश: लगभग ३,८२,००० और ३,५७,००० टन थे । २५,००० टन का अन्तर कोई महत्व-पूर्ण नहीं समझा जा सकता जब तक कि बाद के महीनों में कमी निरन्तर होती रहे ।

अजंता की गुफाएं

*२६००. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी के चित्र लेने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ किये गये संविदा की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबंध संख्या २१]**

सीमा शुल्क

*२६०१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आने वाले विदेशी पत्र और पारसलों में आई हुई वस्तुओं पर सीमा शुल्क संग्रह करने के लिये कौनसा अभिकरण उत्तरदायी है ;

(ख) १९५४–५५ में इस प्रकार शुल्क की कुल कितनी राशि एकत्र की गई ; और

(ग) इस शीर्षक के अधीन कितना व्यय किया गया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारतीय डाक तथा तार विभाग ।

(ख) १९५४–५५ के लेखे अभी बन्द नहीं किये गये, डाक घर द्वारा वसूल किये गये सीमा शुल्क की राशि अभी उपलब्ध नहीं है । पहले १० महीनों (जनवरी १९५५ तक) के आंकड़े १,०७,०९,००० रुपये हैं ।

(ग) वर्ष १९५४–५५ में ८,३५,००० रुपये व्यय किये गये ।

युवक छात्रावास

*२६०४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री (राज्यानुसार) युवक छात्रा-वासों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : युवक छात्रावासों (राज्यानुसार) की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २२]**

सोना

१०४४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से हैदराबाद में हट्टी की सोने की खानों में प्रति वर्ष कुल कितने पत्थर का चरा किया गया ; और

(ख) १९५० से वहां कितना सोना निकाला गया ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख). अपेक्षित जान-कारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २३]**

भारतीय छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां

१०४५. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से विदेशी सरकारों और अन्य अभिकरणों के भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये कितनी छात्रवृत्तियां देने का वचन दिया ;

(ख) छात्रों की संख्या (राज्यानुसार) क्या है और उन्हें इन छात्रवृत्तियों के लिये किस प्रकार चुना गया ;

(ग) उन के अध्ययन के विषय क्या हैं ; और

(घ) देशों के नाम क्या हैं और वे कितने कितने समय के लिये वहां गये हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ). पूछी गई सारी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । जिन दी गई छात्रवृत्तियों का शिक्षा मंत्रालय को पता है उनका विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २४]**

अपंगों के लिये संस्थायें

१०४६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अपंगों के लिये कितनी शिक्षा संस्थायें हैं ;

(ख) उनकी (राज्यानुसार) संख्या क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की और सस्थायें स्थापित की जा रही हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). अंधों और बहरों की शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २५]**

अन्य प्रकार के अपंगों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) जी हां, बम्बई सरकार अंधों के लिये दो नई संस्थायें खोल रही है ।

खुदाई

१०४७. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पुरातत्व विभाग द्वारा १९५५ में अब तक कितनी नई और किस प्रकार की खुदाइयां आरम्भ की गई हैं ; और

(ख) क्या खुदाई में कोई ऐतिहासिक महत्व की वस्तुयें निकाली गई हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ख) हां श्रीमान् ।

जम्मू में एम० ई० एस० श्रमिक

१०४८. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू में एम० ई० एस० द्वारा लगाये गये श्रमिकों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) उस अभ्यावेदन में क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान्

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२ अनुबन्ध संख्या २७]**

पंजी-बद्ध मतदाता

१०४९. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में निर्वाचक नामावलियों में (राज्यानुसार) पंजीबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या क्या है और उन की संख्या क्या है जो गत सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं के रूप में पंजीबद्ध हुये थे ; और

(ख) उन लोगों की संख्या (राज्यानुसार) क्या है जो निर्वाचन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप अनर्हत किये गये हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): (क) तथा (ख). जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबंध संख्या २८]**

मंत्री के विवेक पर छोड़ी गई निधि

१०५०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में शिक्षा मंत्री के विवेक पर छोड़ी गई निधि में से कुल कितनी राशि के अनुदान दिये गये ;

(ख) गत तीन वर्षों में तत्सम्बन्धी राशियां क्या हैं ;

(ग) १९५४–५५ में दी गई राशियों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या १९५४–५५ के अन्त में कोई अतिरिक्त राशि बाकी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) २,४९,५७५/७/- रुपये।

(ख)

	रुपये
१९५१-५२	१,७०,७२६/-
१९५२-५३	१,३४,६६८/-
१९५३-५४	२,३८,५३३/८/-

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २९]**

(घ) ४२४/१२/–रुपये।

खनिज पदार्थों की खोज

१०५१. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि माला नागपुर, ज़िला गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में कोई नये खनिज पदार्थ मिले हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : नहीं श्रीमान्।

लौह-अयस्क

१०५२. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य में, किस्टना ज़िला के जग्गाथ्पेट में कितना लौह अयस्क मिला है ; और

(ख) जो धातु मिली है उसकी किस्म क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) उस क्षेत्र में लौह अयस्क की खानों की खोज अभी पूरी नहीं हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार उस क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क का अनुमान १० से २० लाख टन है।

(ख) यह पता लगा है कि परख करने पर इस लौह अयस्क का औसत मूल्य ६०·८ प्रतिशत एफ० ई० (लौह) है।

भाग 'ग' राज्य में जनसंख्या सर्वेक्षण

१०५३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य की वर्तमान जन-संख्या कितनी है ;

(ख) क्या १९५१ की जन गणना की तुलना में इसमें वृद्धि या कमी का होना बताया गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि या कमी कितनी है ;

(घ) क्या दिल्ली राज्य के अर्थशास्त्रीय और सांख्यकी कार्यालय (ब्यूरो) ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ;

(च) मासिक जन्म-दर और मृत्यु-दर कितनी है ;

(छ) क्या एसा सर्वेक्षण दूसरे भाग 'ग' राज्यों में भी किया गया है ; और

(ज) यदि हां, तो इस बारे में प्राप्त हुये प्रतिवेदनों का स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५१ की जनगणना के अनुसार दिल्ली राज्य की जन संख्या १७,४४,०७२ है। वर्ष १९५४ के मध्य की प्राक्कलित जन संख्या १९,९९,१३८ है।

(ख) हां। प्राक्कलित मध्य वर्ग की जन संख्या से वृद्धि का पता चलता है।

(ग) १९५१ की जनगणना की संख्या पर २,५५,०६६ की वृद्धि हुई है।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३०]

(छ) और (ज). महा पंजीयक (भारत) ने भारत के कई राज्यों के साथ साथ अजमेर, बिलासपुर, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मनीपुर, त्रिपुरा और विन्ध्य प्रदेश में १९५२–५३ में जन्म, मृत्यु, और प्रसूति सम्बन्धी विशेषताओं की एक नमूने की जनगणना की थी। प्रतिवेदन मुद्रित हो रहा है और उसके जुलाई १९५५ में प्रकाशित होने की संभावना है।

आदिमजाति की शिक्षा

१०५४. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद् ने त्रिपुरा सरकार के पास आदिम जाति की शिक्षा की उन्नति के लिये एक ज्ञापन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित ज्ञापन में दिये गये प्रस्ताव की जांच त्रिपुरा सरकार कर रही है।

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

१०५५. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य म यदि सूचना उपलब्ध हो तो, कुल कितने स्वयं-सेवक कल्याण संगठन है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बन्दूकों के लिये अनुज्ञप्तियां

१०५६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य में वर्ष १९५४–५५ में बन्दूकों के लिये कितनी अनुज्ञप्तिय दी गयी थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि बीस मकानों से कम वाले गांवों में बन्दूकों के रखने की अनुपति नहीं दी जाती ;

(ग) क्या यह सत्य है कि मनीपुर सरकार ने हाल ही में वहुत सी बन्दूकें और अनुज्ञप्तियां छीन ली हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार छीनी गई बन्दूकों और अनुज्ञप्तियों की संख्या ; और

(ङ) ये किस कारण छीनी गई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ६७९ (१ अप्रैल, १९५४ से ३१ मार्च १९५५ तक)

(ख) और (ग). नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

देहाती बैंकिंग जांच समिति

१०५७. सरदार इकबाल सिंह : क्या **वित्त मंत्री** ११ दिसम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में विभिन्न राज्यों में भारत के इम्पीरियल बैंक की कितनी शाखायें खोली गईं ;

(ख) १९५५-५६ में कितनी शाखायें खोलने का विचार है ; और

(ग) ये शाखायें किन स्थानों पर खोली गई हैं या खोले जाने का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) इम्पीरियल बैंक द्वारा १ अप्रैल, १९५४ से ३१ मार्च, १९५५ तक विभिन्न राज्यों में खोली गई शाखाओं की संख्या १९ है ।

(ख) १ जुलाई , १९५१ से आरम्भ होने वाले अपने पंचवर्षीय विस्तार कार्यलय के अन्तर्गत भारत का इम्पीरियल बैंक सब मिला कर ११४ शाखायें खोलने के लिये सहमत हो गया है । ३१ मार्च, १९५५ तक ६२ शाखायें खोली जा चुकी हैं । शेष समय में अर्थात् १ अप्रैल, १९५५ से ३० जून, १९५६ तक खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या ५२ है ।

(ग) उन स्थानों के नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है । जहां भारत का इम्पीरियल बैंक अपनी शाखायें ३१ मार्च, १९५५ तक खोल चुका है और जहां पर तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार शेष समय में अर्थात् ३० जून, १९५६ तक इन शाखाओं के खोलने का विचार है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३१]**

तांबे के अयस्कों का निकालना

१०५९. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राज्य में तांवे के अयस्कों की पेटी में खुदाई का काम समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य का क्या प्रतिफल हुआ ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबंध संख्या ३२]**

आस्तियों का बंटवारा

१०६०. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र, मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे सम्बन्धी सभी प्रश्न शान्तिपूर्वक निबटाये जा चुके हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो किन किन मामलों में समझौता नहीं हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मद्रास उच्च न्यायालय की आस्तियों के मद्रास और आन्ध्र राज्यों के बीच बंटवारे के प्रश्न को छोड़कर अब तक भारत सरकार को भेजे गये सभी प्रश्न शान्ति पूर्वक निबटाये जा चुके हैं । यह प्रश्न विचाराधीन है ।

चित्तौड़

१०६१. श्री विश्वनाथ राय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग की मरम्मत के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इसे किसी राष्ट्रीय कार्य के सम्बन्ध में प्रयुक्त करने को कोई योजना विचाराधीन है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). जी हां ।

छात्रवृत्तियां

१०६२. डा० सत्यवादी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश उद्योग संघ द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों के लिये प्रत्येक राज्य से चुने गये उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन के प्रशिक्षण के विषय क्या हैं ; और

(ग) उन के प्रशिक्षण के स्थान कौन कौन हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२ अनुबन्ध संख्या ३३]**

सोने पर रायल्टी (स्वामित्व)

१०६३. श्री कासलीवाल : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार कोलार सोना क्षेत्र खनन कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली रायल्टी को दुगना कर देना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सोना उद्योग पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) इससे उद्योग की उत्पादन लागत अनिवार्य रूप से बढ़ जायेगी ।

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा केन्द्र

१०६४. श्री रघुनाथ शरण : क्या शिक्षा मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) कितने एसे बुनियादी स्कूल और सामाजिक शिक्षा केन्द्र हैं, जिन की स्थापना के लिये वर्ष १९५४ में उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी गई ;

(ख) यह सहायता कितनी राशि की थी और उस कालावधि में सारे देश में इस काम पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) आजकल उत्तर प्रदेश मैं केन्द्र द्वारा सहायता पाने वाली इस प्रकार की कुल कितनी संस्थायें हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर

रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट १२ अनुबंध संख्या ३४]

योग सबंधी गवेषणा

१०६५. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैवल्यधाम श्रीमन्माधव योग मन्दिर समिति, लोनावला द्वारा किये जाने वाले योग सम्बन्धी गवेषणा कार्य की ओर जन साधारण का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख). भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

संघ लोक सेवा आयोग

१०६६. **श्री के० सो० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा उन उम्मीदवारों को कितना यात्रा भत्ता दिया गया, जिन की परीक्षा या इंटरव्यू नियुक्ति के लिये १९५४-५५ में लिये गये थे;

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) कितने मामलों में विदेश से आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दिया गया ? और इस प्रकार कुल कितना यात्रा भत्ता दिया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ३,७३,३४२ रुपये ।

(ख) ४,१२९ ।

(ग) भारत के बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को भारत गणतंत्र के अन्दर-अन्दर की गई यात्राओं के लिये ही यात्रा भत्ता दिया जाता है इन्टरव्यू में बुलाये गये इस प्रकार के उम्मीदवारों की संख्या और उनको दिया गया यात्रा भत्ता ऊपर दिये गये आंकड़ों में शामिल है । इन उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

छात्रवृत्तियां

१०६७. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब राज्य के पशु चिकित्सा कालेज में इस समय पढ़ने वाले उड़ीसा राज्य के छात्रों को भारत सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों के अनियमित भुगतानों के कारण दिक्कत उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). पंजाब राज्य के पशुचिकित्सा कालेज में इस समय उड़ीसा राज्य का एक ही ऐसा छात्र पढ़ रहा है, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्ग छात्र वृत्ति योजना के अधीन भारत सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है । १९५४-५५ की छात्रवृत्ति के लिये उसका पूरा भरा हुआ आवेदन २५ नवम्बर, १९५४ को प्राप्त हुआ था । उसकी छात्रवृत्ति की दोनों किश्तों की राशि जनवरी, १९५५ में उसके कालेज के प्रिंसिपल के पास उसे भुगतान करने के लिये भेज दी गई थी । अतः भुगतान करने में कोई देर नहीं हुई है ।

रक्षा लेखा नियंत्रक

१०६८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा नियंत्रक (पदाधिकारी) पूना के कार्यालय के लिये कितना मासिक किराया दिया जाता है ;

(ख) क्या कार्यालय को दक्षिण में किसी स्थान पर भेज देने या पूना में एक स्थायी कार्यालय बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई विनिश्चय किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) २,५०० रुपये ।

(ख) रक्षा लेखा नियंत्रक (पदाधिकारी) पूना के कार्यालय को पूना से बाहर किसी स्थान पर ले जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । कार्यालय के लिये पूना में एक भवन बनाने का प्रस्ताव अवश्य विचाराधीन है।

(ग) अब तक कोई भी विनिश्चय नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम

१०६९. **डा० रामा राव :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा निम्नलिखित विषयों में की गई खोजों को कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है :

(१) स्याही विकास परियोजना,

(२) विटामिन-सी

(३) श्लिषि (गैलेटिन)

(४) बच्चों और अपाहिजों का भोजन; और

(५) गाढ़ा किया गया संतरे का र

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३५]**

एलायन्स बैंक (शिमला)

१०७०. **श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला का एलायन्स बैंक कब दिवालिया घोषित हुआ था ;

(ख) इसके दायित्व किसने लिये थे ;

(ग) अब तक कितने लाभांश घोषित किये गये हैं :

(घ) अन्तिम लाभांश कब घोषित किया जायेगा ; और

(ङ) इस अन्तिम लाभांश में इतनी देर का कारण क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) ९ मई, १९२३ को बैंक द्वारा पास किये गये संकल्प के अनुसार बैंक स्वतः बन्द हो गया ।

(ख) जहां तक सरकार को पता है ९ मई, १९२३ को शिमला का एलाएन्स बैंक लिमिटेड की विशेष साधारण सभा द्वारा पास किये गये संकल्प की प्रति के अनुसार सर्व श्री डुगल्ड मैकेनी, चार्ल्स अर्नेस्ट वाकर, केनथ ब्लेअर डनलप और क्लेरेंस जार्ज आशवर्थ, जो सभी सर्वश्री लवलौक एंड लीविस शासन प्राप्त (चार्टर्ड) लेखापाल कलकत्ता नामक फर्म के सदस्य थे, संयुक्त और पृथक शक्तियों के साथ बैंक का अवसान करने के लिए बैंक के परिसमापक पदाधिकारी

नियुक्त किये गये थे। उपर्लिलखित परिसमापक पदाधिकारी के भारत से निवृत्ति प्राप्त करने के बाद उन के स्थान पर प्रत्येक के नाम के आगे बतायी गई तिथियों को परिसमापक पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं :

(१) श्री आर० एडम ब्राउन २१-२-४७

(२) ,, ए० के० जोशेलिन
(३) ,, जे० एस० एफ० गिब
(४) ,, ए० एम० एस० फोर्गी
(५) ,, जे० सी० लैंग
} १-४-४९

(ग) बैंक के परिसमापक पदाधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सात लाभांश घोषित किये गये हैं और वे सब भारत में स्वीकार किये गये रु० ७,९३,०३,१७९/तक के दावों के सम्बन्ध में रुपये में १२ आने १० पाई की दर से दिये गये हैं।

(घ) बैंक के परिसमापक पदाधिकारियों ने सूचित किया है कि लाभांशों का भुगतान सभी मुकदमों और अन्य बचे हुये मामलों के अन्तिम रूप से निपटाये जाने के बाद ही किया जायेगा।

(ङ) और कुछ लाभांश देना संभव नहीं हुआ, क्योंकि लगभग २० मकद्दम जो बैंक के अवसायन से पहले चलाये गये थे, और बैंक के पस्त ऋणों की वसूली की सम्बद्ध अपीलें अब भी उत्तर प्रदेश के कई न्यायालयों में चल रही हैं।

GIPD—H—101—LSD—9-3-56—240.

खण्ड ४—अंक ४९
२६ अप्रैल, १९५५ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

Session IX

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

६ आने (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

109 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बंधी प्रतिवेदन, १९५१-५२ खंड १ (साधारण) . .	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	४८७९-८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४८८०—८७
श्री बी० आर० भगत . .	४८८०—८२, ४८८५—८७
श्री के० के० बसु . . .	४८८२—८४
श्री मात्तन	४८८४-८५
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	४८८७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४८८७—४९१६
श्री ए० सी० गुह . . .	४८८७—९४, ४९१२—१६
श्री राधवाचारी . . .	४८९४—९६
श्री एस० एस० मोरे . . .	४८९६-९७
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४८९७—९९
श्री शेषगिरि राव . . .	४८९९—४९०१
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४९०१—०७
श्री एस० एन० दास . . .	४९०७—१०
श्री एन० राचय्या . . .	४९१०—१२
खंड १ से ११	४९१६—२०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४९२०
श्री ए० सी० गुह . . .	४९२०
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४९२०—२२
श्री अलगेशन	४९२०—२२
खंड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४९२२
श्री अलगेशन	४९२२
हिन्दू विवाह विधेयक— . .	४९८२—८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४९२४—८४
श्री पाटस्कर	४९२४—५६
श्री वी० जी० देशपांडे . . .	४९५६—७४
श्री वीर किशोर रे . . .	४९७४-७५
श्रीमती सुभद्रा जोशी . . .	४९७६—८२
श्री एन० सी० चटर्जी . . .	४९८२—८४
राज्य सभा से संदेश	

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

लोक सभा ग्यारह-बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-५२ म० प०

पटल पर रखे गये पत्र

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा २२, उप-धारा (३) के अधीन निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई-२-२४ (१)।५५, दिनांक २५ मार्च १९५५ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० १४८/५५**]

भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन १९५१--५२, खंड १ (साधारण) की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० १४९/५५**]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख, उप-धारा (४) के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या १६ और १७, दिनांक १२ फरवरी, १९५५ की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एस० १५०/५५**]

बीमा संशोधन विधेयक

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि बीमा अधिनियम, १९३८ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूपमें विचार किया जाये।"

यह बड़ा छोटा और साधारण विधेयक है जिसका उद्देश्य बीमा अधिनियम, १९३८ में इस प्रकार संशोधन करना है कि जिससे केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार मिल सके कि वह इस अधिनियम के वांछित उपबन्धों को स्वयं चलाये गये बीमा व्यवसाय में लागू कर सके। इस समय जैसी धारा है उसके क्षेत्र के अन्तर्गत बीमा अधिनियम के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले बीमा व्यवसाय नहीं आते और इससे केन्द्रीय सरकार को अधिनियम में किसी भी दशा में ऐसे अपवाद लागू करने की शक्ति नहीं मिलती जो राज्य चालित बीमा व्यवसाय की विशेष स्थिति की भावना का किसी तरह उल्लंघन नहीं करते।

[श्री बी० आर० भगत]

इस बात का उदाहरण देने के लिये कि ये वर्तमान उपबन्ध कितने कठोर हैं, मैं यह बताना चाहूंगा कि कभी-कभी धारा ११८ सद्भावना से किये जाने वाले सुधार के भी विपरीत हो जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया गया बीमा व्यवसाय अर्थात् डाक जीवन बीमा में बीमा अधिनियम की धारा ३९-के उपबन्धों के लागू न होने से उत्पन्न हुये स्थिति की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बीमा अधिनियम की धारा ३९ से पालिसी धारणकर्ता को यह विशेष लाभ होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात् धन प्राप्त करने के लिये उसका नामनिर्देशन कर सकता है। इन उपबन्धों के बिना नामनिर्देशन का अधिकार बड़ा सीमित होगा जो यदि सभी अथवा बच्चों के पक्ष में लागू किया जायेगा तो नामनिर्देशन सदा के लिये अप्रतिसंहरणीय हो जायेगा। दूसरी ओर धारा ३९-के अधीन पालिसी धारणकर्ता नामनिर्देशन का प्रतिसंहरण कर सकता है अथवा भुगतान की अवस्था पर पहुंचने से उसको परिवर्तन कर सकता है और बाद में पालिसी के नियत हो जाने अथवा पालिसी धारणकर्ता के जीवन में ही जिसका नाम निर्देशन किया गया है, उसकी मृत्यु हो जाने से वह नाम निर्देशन आप से आप रद्द हो जाता है और पालिसी धारणकर्ता जिस रूप में भी चाहे उसमें उसका उपयोग कर सकता है; उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धारा ३९ से ये जो विशेषाधिकार पालिसी धारणकर्ता को मिलते हैं, डाक जीवन बीमा के पालिसी धारणकर्ता को नहीं मिलते क्योंकि बीमा अधिनियम की धारा ३९ डाक जीवन बीमा में लागू नहीं होती और यदि केन्द्रीय सरकार इन उपबन्धों को लागू भी करना चाहे तो वह बीमा अधिनियम की धारा ११८ के वर्तमान उपबन्धों के कारण वैसा नहीं कर सकती।

इस स्थिति का सामना करने के लिये धारा ११८ मे संशोधन करने की आवश्यकता समझी गई है और मैं आशा करता हूं सभा इस संशोधनकारी विधेयक के पक्ष में विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"बीमा अधिनियम, १९३८ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूपमें, विचार किया जाये।"

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : यद्यपि यह विधेयक छोटा है फिर भी महत्वपूर्ण है। जहां तक बीमा अधिनियम द्वारा प्रभावित रूप में डाक जीवन बीमा के कार्य-संचालन का सम्बन्ध है, उसकी विद्यमान स्थिति में इस विधेयक के द्वारा सुधार किया गया है। इसमें एक ऐसा भी उपबन्ध है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को इस बात को कि बीमा अधिनियम के उपबन्ध डाक जीवन बीमा के मामले में कहां तक लागू हो; तय करने का अधिकार देने का विचार है। यह अपवाद स्वरूप होगा। धारा ३८ और ३९ के प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार का उदाहरण दिया गया। निश्चय ही यह एक सुधार है। इसके फल-स्वरूप लोगों को डाक जीवन बीमा का लाभ प्राप्त हो सकता है। यह सच है कि डाक बीमा सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध और कुछ विशेष शर्तें हैं क्योंकि मूलत: यह बीमा डाक विभाग के कर्मचारियों के लिये आरम्भ किया गया था और बाद में इसे केन्द्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियो के लिये भी खोल दिया गया। परन्तु इस विधेयक को समझाया जाना चाहिये था क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि इस डाक जीवन बीमा से बहुत से लाभ

हैं जो सामान्य व्यक्ति को भी उपलब्ध किये जाने चाहियें ।

गत २५ वर्षों म भारत में गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों में बहुत विस्तार हुआ है, परन्तु फिर भी हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बीमा की कोई गुंजाइश नहीं है । इस दिशा में विस्तार तो बहुत हुआ है, परन्तु कार्य-संचालन के कुछ तरीके उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं । अधिनियम के उपबन्धों के और बीमा नियंत्रक जैसे संस्थापन के होते हुए भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी-बीमा कम्पनियां बन्द हो गई हैं अथवा सरकारी प्रशासकों ने उनको अपने अधिकारमें ले लिया है । अत : अभी तक गैर-सरकारी बीमा कम्पनियां ऐसी अवस्था पर नहीं पहुंची हैं कि हम यह आशा कर सकें कि वे बीमा सम्बन्धी सुविधायें सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध कर सकेंगी अभी उस दिन वित्त मंत्री ने किसी प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में मैं अभी अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में बीमा कम्पनियां काफी हद तक सामान्य व्यक्ति अथवा मध्यवर्ग के लोगों की बचत को प्राप्त कर सकती हैं । हमारी सरकार को इससे लाभ उठाना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी बचतों का उपयोग देश की आर्थिक दशा को सुधारने वाली हमारी विकास परियोजनाओं के लिये हो । बीमा उच्च नियम में गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों द्वारा पूंजी-विनियोजन के तरीकों सम्बन्धी सीमायें निर्धारित हैं । फिर भी आमतौर पर ऐसी कम्पनियों के पूंजी विनियोजन उचित नहीं होते जिसके फल स्वरूप बीमाधारियों को नुकसान होता है ।

डाक बीमा में औसत किस्त कम है । हम समझते हैं कि गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों के लिये अपनी किस्तों की दर कम करने के लिये अभी गुंजाइश है ।

हम यह चाहते हैं कि जब तक सम्पूर्ण बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण न हो तब तक इस प्रकार की बीमा-सुविधायें भारत के सामान्य नागरिकों को भी उपलब्ध की जायें । इससे सरकार और जनता दोनों को ही बहुत लाभ होगा । अत: डाक जीवन बीमा सभी प्रकारके लोगों के लिये खोल दिया जाना चाहिये । आशा है सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और अग्रेतर संशोधन करने वाला विधेयक पुर:स्थापित करेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं । बीमा कम्पनियों को मिलने वाले लाभ सरकारी कम्पनियों को भी देना बहुत उपयोगी है ।

इस विधेयक का सम्बन्ध केवल उन कम्पनियों से है जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं । परन्तु मंत्री महोदय को यह नहीं भूल जाना चाहिये कि कुछ राज्यों ने भी अपनी बीमा कम्पनियां चालू की हैं ।

बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में मैं अपने मित्र श्री के० के० बसु के विचारों से पूर्णरूपेण सहमत हूं ; परन्तु मैं इन कम्पनियों के पूरी तौर से राष्ट्रीयकरण का सुझाव नहीं दूंगा क्योंकि व्यक्तिगत रूपसे मैं यह चाहता हूं कि साथ ही साथ गैर-सरकारी कम्पनियां भी काम करें ताकि इससे सरकारी कम्पनियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल सके । यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य बैंक विधेयक के आधार पर ही राज्य बीमा निगम आरम्भ किया जाये । हमारे मस्तिष्क में समाजवादी ढांचे की एक रूपरेखा है, उसको दृष्टि में रखते हुए इस कार्य को राज्य ही सब से अच्छी तरह

[श्री मात्तन]

कर सकता है। बहुत सी गर-सरकारी बीमा कम्पनियों में काम ईमानदारी से नहीं होता है। उन में निधियों के उपयोग के सम्बन्ध म काफी धांधली होती है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि हम एक राज्य बीमा निगम स्थापित करें वस्तुत : यह चीज राज्य बैंक विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने से पहले ही की जानी चाहिये थी। राज्य बीमा निगम स्थापित करने से सरकार को विकास सम्बन्धी प्रयोजनों में काफी सहायता मिलेगी।

श्री बी० आर० भगत : श्री बसु ने इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में एक दो बातें ऐसी कहीं जो बहुत प्रासंगिक नहीं हैं। उन्होंने गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों के कार्य संचालन आदि सम्बन्धी बुराइयों की चर्चा की और लोगों की बचत को विकास कार्यों के लिये प्राप्त करने का सुझाव दिया। वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जो विभिन्न उपाय किये हैं उनका उद्देश्य यह है, अर्थात् रक्षित राशियों और बचतों को विकास कार्यों में लगाना। मैं समझता हूं, यह समय इस बात पर विचार करने का नहीं है कि गैर-सरकारी कम्पननियों को अपनी निधियों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये। अतः मैं इस विषय को यहीं पर छोड़ देता हूं।

श्री मात्तन : परन्तु यदि कुप्रबन्ध के कारण सरकार कम्पनी को अपने अधिकार में ले-ले-तो ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : सरकार कई कम्पनियों का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले चुकी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री बी० आ० भगत : इसके बाद एक सदस्य ने कहा कि कुछ ऐसी राज्य बीमा कम्पनयिां हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है राज्य सरकारों के लिये ऐसा करना वैधानिक अथवा संवैधानिक दृष्टि से कहां तक उचित है। शीघ्र ही इस विषय में कोई निश्चय किया जायेगा।

श्री बसु ने पहले यह प्रश्न उठाया कि डाक बीमा की सुविधायें सामान्य नागरिकों को भी उपलब्ध की जायें। विचार तो अच्छा है; परन्तु ऐसा करने में प्रशासनिक कठिनाइयां अत्यधिक हैं। डाक जीवन बीमा की एक यह विशेषता है कि उस पर प्रशासन सम्बन्धी व्यय बहुत कम होता है और इसीलिये वह इतना लोकप्रिय होता जा रहा है। यदि इसको सामान्य जनता के लिये खोल दिया जाये तो तुरन्त ही प्रशासनिक व्यय बढ़ जायेगा। अभी तो बीमे की किस्तें सरकारी कर्मचारियों के वेतन से ही ले ली जाती हैं। यह काम उनके वेतन वितरण के समय ही हो जाता है। अतः इसके लिये अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। परन्तु, यदि इसे सामान्य जनता के लिये खोल दिया जाये तो उसी काम के लिये बहुत से कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा और इस प्रकार प्रशासनिक व्यय बढ़ जायेगा।

हम लोग इस सुविधा का यथासंभव विस्तार कर रहे हैं। हाल ही में--इस सुविधा को सरकार द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी--उपलब्ध करने का निश्चय किया गया है। परन्तु अभी इसे सामान्य जनता को उपलब्ध करना संभव नहीं होगा।

दूसरी बात एक राज्य बीमा निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में कही गई है

मैं समझता हूं कि वह एक काफी बड़ा विषय है और इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आ सकता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि बीमा व्यापार में राज्य को अधिकाधिक भाग लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम १९३८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २

उपाध्यक्ष महोदय : इनमें से किसी भी खंड के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

खण्ड १ और २, नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बी० आर० भक्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं गत शुक्रवार से लगभग एक ही विषय, ग्रामीण-ऋण सम्बन्धी एक गैर-सरकारी संकल्प पर बोल रहा हूं। यह विधयक भी ग्रामीण-ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये है। सभा को इस सर्वेक्षण का महत्व ज्ञात है तथा यह भी ज्ञात है कि इस समिति की सिफारिशों के अभतपूर्व परिणाम निकलेंगे। मेरे विचार से यह कहा जा सकता है कि भारत तथा अन्य अविकसित देशों में इस प्रकार का यह प्रथम प्रतिवेदन है इससे पूर्व कहीं भी ग्रामीण-ऋण पद्धति का इतना पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया गया। समिति ने कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जसे "ग्रामीण-ऋण सर्वेक्षण की एकीकृत समस्या" आदि तथा सभा ने इस शब्दावली का समर्थन किया है। भारत के राज्य बैंक विधेयक पर चर्चा के समय सदस्यों ने बताया कि वह विधेयक ही केवल सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं था। मैंने यह भी बताया कि वह विधेयक ग्रामीण-ऋण पद्धति को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में पहला कदम था और जो विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे उनमें से यह भी एक है। मैंने यह भी बताया था कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय भी इसी प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रहा है। इस विधेयक के द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को अपना विधेयक प्रस्तुत करने में सुविधा होगी।

इस विधेयक के द्वारा रिजर्व बैंक कुछ संगठनों तथा संस्थाओं को जिनको खाद्य तथा कृषि मंत्रालय स्थापित करेगा अग्रिम धन दे सकता है। कुछ दिन पूर्व दिल्ली में सहकारी आन्दोलन से सम्बद्ध राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उन्होंने सहकारी आन्दोलन के विकास से सम्बन्धित ग्रामीण-ऋण सर्वेक्षण की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने भी इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा रक्षित बैंक इन सिफारिशों को लागू करना चाहता है और उत्तरदायित्व लेने को सहमत है।

मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण-ऋण के लिये रिजर्व बैंक गत कुछ वर्षों में क्या करता रहा है जब केन्द्रीय विधान सभा में रिजर्व बैंक आफ इंडिया विधेयक पर चर्चा हुई थी उस समय

[श्री एसी० गुह]

राष्ट्रवादी सदस्यों ने जो भावनायें प्रकट की थीं, वह आपको ज्ञात हैं। उस समय के राष्ट्रवादी सदस्यों के जो कि कांग्रेसी सदस्य थे, ज़ोर दिये जाने पर ही धारा ५५(१) में एक उपबन्ध किया गया था, और जिसके अधीन रिजर्व बैंक ग्रामीण-ऋण दशा की जांच करे तथा केन्द्रीय सरकार को कृषि वित्त के सुधार के सम्बन्ध में तथा कृषि उद्योगों और बक के कार्यकरण में निकट सम्बन्ध स्थापित करने के विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम के इस उपबन्ध के अनसार १९३७ में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। परन्तु मेरे विचार से यह प्रतिवेदन कुछ अस्पष्ट था। इसके अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि वित्त के सम्बन्ध में कुछ किये जाने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक थीं। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी जिसने इस प्रश्न पर भी विचार किया था तथा इसका प्रतिवदन अधिक निश्चित था और उसमें कुछ निश्चित कार्य बताये गये थे। उसमें बताया गया था कि यदि सहकारी आन्दोलन को स्वयं अपने प्रयत्न से पुनः संगठित करने का अवसर दिया गया तो बहुत अधिक समय लग जायेगा। कुछ वर्षों के पश्चात् रिज़र्व बक ने ग्राम्य ऋण के लिये कुछ धन देना प्रारम्भ किया। रिज़र्व बैंक में एक कृषि ऋण विभाग भी जो तब से इसी प्रश्न की जांच कर रहा है। मैं यह नहीं कहता कि रिज़र्व बक द्वारा इस प्रकार दिया गया अग्रिम धन आवश्यकता के लिये पर्याप्त था, परन्तु इसकी सराहना अवश्य की जानी चाहिये कि रिज़र्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति तो की। मेरे विचार से, माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व रिज़र्व बैंक अथवा किसी भी सरकारी संस्था से राष्ट्रीय विकास के किसी कार्यक्रम के प्रारम्भ किये जाने की आशा नहीं की जा सकती थी। १९४७ तक रिज़र्व बैंक से इस ओर अधिक ध्यान देने की वस्तुतः आशा नहीं की जा सकती थी। परन्तु फिर भी १९४४–४५ में उसने कुछ कार्य आरम्भ किया था। सहकारी समिति को १२५,००० रुपये का ऋण देकर यह कार्य प्रारम्भ किया गया था। परन्तु १९४७ अथवा १९४८ से अधिक प्रगति हुई। गत वर्ष १५ करोड़ रुपया दिया गया था। मैं एक अवसर पर पहले भी बता चुका हूं कि यह धन राशि रिज़र्व बैंक की किसी नीति के कारण अथवा धन की कमी थी, के कारण सीमित नहीं की गई थी प्रत्युत यह विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों की रूपरेखा से ही जिसके कारण वह इससे अधिक धन नहीं ले सकी थीं सीमित हुई थी।

हमारे देश की सहकारी समितियों के संगठन के सम्बन्ध में इन दो तीन दिन में बहुत कुछ कहा गया है। इसलिये इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना व्यर्थ ही है। परन्तु केवल इतना बता सकता हूं कि सरकार तथा रिज़र्व बैंक ने इस सम्बन्ध में सहकारी आन्दोलन की कार्य कुशलता की ओर से अपना ध्यान हटा नहीं लिया है। मेरी अपनी तो यह धारणा है कि केवल सहकारी संगठन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ग्राम्य ऋण की समस्या सुलझाई जा सकती है, और इसलिये गत दो तीन वर्षों से रिज़र्व बैंक सहकारी संगठनों के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, सहकारी सगठन राज्यों से सम्बन्धित विषय है। प्राविधिक तौर पर रिज़र्व बैंक को सहकारी आन्दोलन पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परन्तु प्रायः सभी राज्य सहकारी संगठनों

ने रिज़र्व बक के आदेशों के अनुसार कार्य करने की स्वीकृति दे दी है ।

उन्होंने स्वयं ही यह भी स्वीकार कर लिया है कि रिज़र्व बैंक के निरीक्षक उनका निरीक्षण कर सकते हैं । रिज़र्व बैंक सहकारी समितयों को आदेश तथा अनुदेश भेजता रहा है, तथा मैं कह सकता हूं कि सहकारी संगठनों ने अपनी शक्ति भर इन आदेशों को पूर्णतया लागू किया है । रिज़र्व बैंक ने सहकारी संगठनों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रशिक्षण स्कूल भी प्रारंभ किया है । इस कार्य में भी विभिन्न राज्यों के सहकारी संगठन रिज़र्व बैंक की सहायता कर रहे हैं ।

सरकार की यह निश्चित नीति रही है कि कृषि ऋण अथवा ग्राम्य ऋण, केवल सहकारी संगठनों द्वारा ही दिये जायें तथा यह विधेयक, इस कार्य की पूर्ति के लिये है ।

सब से पहले सहकारी ऋण समिति की परिभाषा जानना आवश्यक है । इस परि-भाषा से रिज़र्व बैंक की ऋण तथा अग्रिम धन देने की सीमा बढ़ जायेगी । अब विपण तथा अन्य इसी प्रकार की बातें जिनके लिये रिज़र्व बैंक से धन नहीं मिल सकता था अब उससे सहायता प्राप्त कर सकेंगी ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रिज़र्व बैंक को दो निधियां, राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालिक कार्यकरण) निधि तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि, स्थापित करने का अधिकार प्रदान करना है । ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण ने सिफारिश की है कि दीर्घ-कालिक कार्यकरण निधि ५ करोड़ रुपये के प्रथम अनुदान से प्रारम्भ की जानी चाहिये । केन्द्रीय सरकार तथा रिज़र्व बैंक से मूल रकम को ५ करोड़ रुपये से बढ़ा कर १० करोड़ रुपये कर देना स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक पांच करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्तक अनुदान भी इस निधि को देगा । इस निधिका मुख्य कार्य राज्य सरकारों को सहकारी सस्थाओं की अंशपूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अंशदान देना है जो कृषि कार्यों या ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में अल्प कालिक मध्यम कालिक या दीर्घ कालिक ऋण देती हैं जैसा कि मैंने भारत के राज्य बैंक विधेयक पर हुई चर्चा के समय बताया था कि इन सहकारी संस्थाओं में राज्य भी सम्मिलित रहेगा जिसका यह अर्थ है कि राज्य सरकारें शिखर सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में योग देंगी तथा यह शिखर सहकारी बैंक, केन्द्रीय बैंक को अंश पूंजी देंगे । इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक प्रारंभिक सहकारी बैंक की अंश-पूंजी में दीर्घकालिक ऋणों के सम्बन्ध में राज्य सरकारें भी भूमि बन्धक बैंकों को ऋण तथा अग्रिम धन देंगी ।

स्थिरीकरण निधि केवल राज्य सहकारी बैंक को मध्यकालिक ऋण देने के लिये है जिससे कि वह आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी अवधि के ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में परिर्वातित कर सकें । हमारा यह अनुभव रहा है कि कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि के कारण कभी कभी सहकारी बैंक मूल कृषकों को ऋण के रूपमें दिया गया अपना रुपया वसूल नहीं कर सके हैं जिसके कारण कितने ही सहकारी बैंक दिवालिये हो गये हैं । इन्हीं कठिनाइयों के लिय, इस विधेयक में यह व्यवस्था रखी गई है कि अल्पकालिक ऋण मध्यकालिक ऋणों में बदले जा सकते हैं जिससे कि सहकारी समिति को १५ मास के अन्दर ही अपना धन उगाहने पर बाध्य न होना पड़े । केवल पुस्तकों में लिखना पड़ेगा और अल्पकालिक ऋण को मध्यकालिक ऋणों में बदलना होगा । इस प्रकार देश में आने वाली प्राकृतिक दुर्घटनाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से यह सह-

श्री ए० सी० गुह]

कारी संस्थायें बच जायेंगी । इस निधि में रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष एक करोड़ रुपया देगा ।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक दीर्घकालिक कार्यकरण निधि के लिये पांच करोड़ रुपया तथा स्थिरीकरण निधि के लिये एक करोड़ रुपया कम से कम देगा । आवश्यकता होने पर रिज़र्व बैंक इस निधि को बढ़ा सकता है, परन्तु अभी हमारा ऐसा विचार है कि इतने से आवश्यकता पूर्ति हो जायेगी तथा व्यर्थ में ही किसी निधि में अतिरिक्त धन जमा कर देने की कोई आवश्यकता भी नहीं

इस विधेयक में एक उपबन्ध के द्वारा हम विदेशी प्रभाव का एकदम अन्त कर देना चाहते हैं । रिज़र्व बैंक अधिनियम के एक उपबन्ध के अनुसार एक कार्यालय लन्दन में होना चाहिये । हम इस उपबन्ध को निकाल रहे हैं । लन्दन में रिज़र्व बैंक का एक कार्यालय आवश्यक हो सकता है, परन्तु इसकी आवश्यकता की जांच की जायेगी यदि आवश्यकता हुई तो वैसा कर दिया जायेगा । परन्तु इस समय इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार रिज़र्व बैंक को लन्दन में एक कार्यालय रखना अनिवार्य है । कुछ समय पूर्व इस सम्बन्ध में इस सभा में एक प्रश्न भी किया गया था यद्यपि प्रश्नकर्ता इस उपबन्ध की उपलक्षणाओं को समझ नहीं सके थे । परन्तु हमने इस प्रश्न पर विचार किया है तथा निर्णय किया है इस उपबन्ध को हटा दिया जाये । यदि रिज़र्व बैंक अपना एक कार्यालय लन्दन में रखना आवश्यक समझेगा तो वह रख सकता है नहीं तो उस कार्यालय को बन्द कर सकता है ।

मेरे विचार से इस विधेयक में कोई विवादास्पद विषय नहीं है । मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कल मुझ पर अत्यधिक आशावादी होने का आरोप लगाया था । परन्तु फिर भी मेरा विचार है कि प्रस्तुत विधेयकों द्वारा हम निश्चित रूपसे देहाती क्षेत्रों का हित कर सकेंगे । इस विधेयक के परिणामों के सम्बन्ध में मैं अब भी आशावादी हूं । दामोदर घाटी निगम का जो चित्र श्री गाडगिल नें खींचा उसके सम्बन्ध में जो व्यक्ति बंगाल में रहते हैं वही बता सकेंगे कि उन्हें पूर्ण आशा है कि दामोदर घाटी निगम के पूर्ण रूपसे बन जाने पर बंगाल के ग्राम को नवजीवन प्राप्त होगा तथा राज्य की आर्थिक दशा में उन्नति होगी । तथा मुझे पूर्ण आशा है कि इन विधेयकों से, जो हम ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत कर रहे हैं, देहाती क्षेत्रों में खुशहाली आयेगी तथा कृषकों को ऋण से छटकारा मिलेगा ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं इस विधेयक के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं पिछले वर्ष भारत के रक्षित बैंक विधेयक पर हुई चर्चा के समय यह कहा गया था कि रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया विधेयक में जिस धन राशि का उपबन्ध किया जा रहा था, वह बहुत थोड़ी थी । इस वर्ष के विधेयक में इस कमी को दूर कर दिया गया है । माननीय मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि समिति ने केवल ५ करोड़ रुपये के प्रथम अनुदान की सिफारिश की थी तथापि सरकार ने उसे बढ़ा कर १० करोड़ रुपये कर दिया है । हम सब जानते हैं कि देश में सहकारी आन्दोलन को बढ़ाये बिना उन्नति नहीं हो सकती है । प्रजातंत्र की सफलता दैनिक जीवन में अपनाई गई सहकारिता पर निर्भर करती है । यह आन्दोलन वर्तमान रूपमें निर्धन उत्पादकों को लाभ नहीं पहुंचा रहा है । पहले तो गांवों का अधिकतर कच्चा माल विदेशों को निर्यात कर दिया जाता था । अब भी बहुत कुछ माल बाहर के केन्द्रों को जाता है और विदेशों उत्पादकों का स्थान देशी उत्पादकों तथा नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों ने ले लिया है । किसानों को अब भी अपना

माल सस्ते में बेचना होता है। कृषि उत्पादों के मूल्य गिरने से स्थिति और भी विषम हो गई है ऋण व्यवस्था के उचित प्रबन्ध द्वारा किसानों की दशा सुधारी जानी चाहिये पुराने महाजनों के स्थान पर सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। रिज़र्व बैंक की सहायता से अब दीर्घकालिक ऋण भी दिये जा सकेंगे।

जिन क्षेत्रों में अकाल अथवा अन्य दैवी आपत्ति हो वहां के अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में बदलने की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसी आपत्तियां देश में सदैव आती ही रहती हैं। सहकारी केन्द्रीय बैंकों को ऐसे समय उनकी सहायता करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि इस विषय में अधिक आवश्यकता पड़ने पर अधिक सहायता भी दी जा सकती है। जैसे, पिछले वर्ष, इसके लिये १५ करोड़ रुपये दिये गये थे।

जहां तक बन्धक बकों का प्रश्न है मुझे यही कहना है कि उनमें किसानों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें क्योंकि बन्धक के रूपमें प्रायः वे लोग अपनी भूमि को बन्धक रखते हैं। यदि उन पर कोई आपत्ति आ जाती है तो वे अपनी भूमि खो बैठते हैं। अन्त में मैं एक बार पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसमें उपबन्धित रकम में और वृद्धि की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये कुल आधे घंटे का समय निश्चित है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हमें अनेक सुझाव देने हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री ए० सी० गुह : भारत के राज्य बैंक विधेयक तथा रिज़र्व बैंक विधेयक के लिये कुल बीस घंटे का समय था। उसमें से बारह घंटे तो पहले ही राज्य बैंक के लिये व्यतीत हो चुके हैं। उसमें अनेक संशोधन भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा १–३० बजे समाप्त की जा सकती है। दो बजे तक खंडवार विचार समाप्त हो जायेगा और बीस मिनट तृतीय वाचन के लिये पर्याप्त होंगे। अतः प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री एस० एस० मोरे : सहकारी ऋण समिति की जैसी परिभाषा दी गई है उसके अनुसार उसका मुख्य कार्य ऋण का प्रबन्ध करना होगा किन्तु हम देखते हैं कि सहकारी समितियां और भी अनेक कार्य करती हैं। अतः इस परिभाषा में परिवर्तन किया जाना चाहिये। साथ ही स्वीकृत रकम में भी वृद्धि की जानी चाहिये।

हमारे देश में ऋण समितियां लगभग साठ वर्ष से चली आ रही हैं किन्तु कृषक के उत्पादन और उसकी आमदनी को इस प्रकार संतुलित किया जाना चाहिये कि वह ऋण को चुकाने के योग्य बन सके। किसानों को केवल ऋण दिये जाने से कोई लाभ नहीं होगा। उनकी आय का अनुपात भी बढ़ाया जाना चाहिये। केवल इतना ही नहीं बल्कि सरकार को किसानों की हानि में भी हिस्सा बटाना चाहिये। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि विविध परिस्थितियों में जब किसानों को हानि हो रही हो तो उनके साथ रियायत कर के उनके कष्टों को कम किया जाय। उनकी हानि को सारा देश बाँटने के लिये तैयार रहे ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये।

अंत में, मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि जो रकम इस कार्य के लिये निश्चित

[श्री एस० एस० मोरे]

की गई है वह अपर्याप्त है । उसमें वद्धि की जानी चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, फिर भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इसमें जितनी रकम उपबन्धित है वह बहुत कम है । उससे देश की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती ।

यह विधेयक सहकारी समितियों के पुनर्गठन में रक्षित बैंक द्वारा सहायता दिये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है । केवल राजकीय साझादारी हो जाने से ही काम नहीं चलेगा । हमें प्रशासकीय प्रणालियों में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे । अनेक अधिकारी स्थानीय महाजनों से मिले रहते हैं। इन महाजनों का सहकारी समितियों में भी बोल-बाला रहता है। अतः राजकीय साझेदारी को व्यवहार में लाते समय यह सब बात भली-भाँति विचारणीय हैं।

हमारे देश में लगभग पाँच लाख गाँव हैं। दो लाख सहकारी समितियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं। विधेयक में जितनी रकम का उपबन्ध है वह इनके लिये कम है । विधेयक के अन्तर्गत दो प्रकार की निधियां बनाई गई हैं। एक तो राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालिक कार्यकरण) निधि है और दूसरी है राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि। प्रथम के लिये दस करोड़ रुपये निश्चित किये गये हैं और उसमें पाँच करोड़ रुपये प्रति वर्ष जोड़े जायँगे ।

दूसरी निधि भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश में अनेक प्रकार के संकट आते रहते ह। कई बार कई राज्यों में अकाल, जलाभाव आदि दैवी आपत्तियाँ आती रहती हैं। अतः इस निधि की रक़म में भी वृद्धि की जानी चाहिये ।

ऋण व्यवस्था का प्रश्न कोई नया नहीं है। १९३३ में भी जब रिज़र्व बैंक विधेयक पर चर्चा हुई थी तब श्री सीताराम जाजू तथा अन्य लोगों ने कहा था कि कृषि सम्बन्धी ऋण-व्यवस्था पर भली भाँति ध्यान दिया जाय। किन्तु, उस समय से इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। अब सरकार इस काम में दिलचस्पी ले रही है। अतः इसका प्रबन्ध भी उचित रीति से किया जाना चाहिये ।

इस विधेयक के खंड ४ द्वारा अधिनियम की धारा ८ के प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जिसमें दो के बजाय तीन उपशासक रखने का उपबन्ध किया गया है मुझे केवल इतना ही कहना है कि नयी सहकारी समितियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए यदि तीन उपशासक रखना आवश्यक ही हो तो यह आवश्यक है कि रिज़र्व बैंक के उच्च-पदाधिकारियों के वेतन ढाँचे का वैज्ञानिकन किया जाय। विशेषकर इस देश में समाजवादी ढंग की व्यवस्था स्थापित करने सम्बन्धी घोषणा दृष्टि में रखते हुए, मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन उच्च पदाधिकारियों से इस देश के शीघ्र विकास के लिये और हमारी जनता के कल्याण के लिये कुछ त्याग करने के लिये कहेगी ।

मेरा दूसरा निवेदन उस अवधि के सम्बन्ध में है जिसके लिये ऐसे ऋण उपलब्ध किये जायेंगे। यह ठीक है कि सरकार रिज़र्व बैंक के ज़रिये राज्य सरकार को २० वर्ष के लिये और राजकीय सहकारी बैंकों जैसे अन्य संगठनों को १५ महीने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये ऋण देगी किन्तु हम यह देखते हैं कि स्थानीय प्राथमिक समितियों और स्थानीय केन्द्रीय सहकारी बकों के मामले में, सहकारी समितियों के प्राथमिक सदस्यों को ऋण चुकाने के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया

जाता है क्योंकि ऋण चुकाने के लिये १५ महीने तक की अवधि होते हुए भी पाँच या छः महीने बाद ही उन्हें ऋण चुकाने के लिये कहा जाता है । पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर ज़िले में घाटल केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में, इस बात के बावजूद भी कि प्राथमिक सदस्य बहुत कठिनाई में थे और वहाँ अकाल की सी स्थिति थी, उन्हें अपना ऋण चुकाने के लिये कहा गया, अन्यथा सहकारी बैंक अगले वर्ष में ऋण देने के लिये धन प्राप्त न कर सकता । ऐसे मामलों में अपनी स्थिरीकरण निधियाँ स्थापित करने के लिये, यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये भी उन्हें ऋण दे ।

माननीय सदस्य श्री एस० एस० मोरे ने बताया था कि इन सहकारी समितियों के पुर्नस्संगठन के लिये यह देखना आवश्यक है कि वे अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये कृषकों के हित में आवश्यक कार्य भी करें। यहाँ कई बार उत्पादन-लागत और पर्याप्त मूल्य का प्रश्न उठाया गया है । अतः कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि यथासंभव अधिकाधिक स्थानों में गोदाम की सुविधायें दी जाये और उसके लिये सहकारी विपणन संस्थायें बनायी जायें । जब तक यह नहीं किया जायगा तब तक इनको महाजनों के पंजे से छुड़ाना संभव नहीं होगा । यदि वास्तव में आप उनको दासता और बंधन से छुड़ाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि सरकार और अधिक धन प्राप्त करे और अधिक उपबन्ध करे ।

श्री शेषगिरि राव (नंदयाल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्यों कि ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में यह दूसरी कार्यवाही है । मैं इस विधेयक के विस्तारों म नहीं जाना चाहता क्योंकि उन सब का उद्देश्य सहकारी समितियों को पुनस्संगठित करना है । यदि हम उन सहकारी समितियों को पुर्नस्संगठित करना चाहते हैं तो हमें यह कार्य पूर्व अनुभव के आधार पर ही करना होगा । मझे प्रसन्नता है कि सहकारी समितियों में अब भी हमारे मंत्री का विश्वास है । दूसरी ओर हम यह चाहते हैं कि वह उसी प्रकार से पुर्नस्संगठित की जायें जिस प्रकार कि उन्हें पुर्नस्संगठित किया जाना चाहिये । उनमें पहले यह दोष था कि वे या तो अधिक प्रशासित थीं या उनके पास वित्त की कमी थी । उस दोष को दूर करने के लिये रिज़र्व बैंक और वर्तमान विधान द्वारा अधिक वित्त उपलब्ध किया गया है । किन्तु जैसा कि मेरे मित्र श्री राघवाचारी ने कहा है, ये धनराशियाँ अपर्याप्त हैं और इसलिये अधिक निधियाँ उपलब्ध की जानी चाहियें ।

दूसरी बात यह है कि पहले सहकारी समितियां इसलिये असफल रहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन या गाँव का मुखिया ही सर्वेसर्वा होता था और ग़रीब किसानों को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता था । अतः इन सहकारी समितियों को इस प्रकार पुनस्संगठित करना होगा जिससे कि ग़रीब से ग़रीब आदमी को भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो ।

रिज़र्व बैंक न केवल निधियां ही उपलब्ध करें बल्कि वह इस ओर भी ध्यान दें कि उनका उचित उपयोग किया जाय । प्रमुख सिफारिशों में यह कहा गया है कि इन निधियों का उपयोग करना और कार्यक्रम तथा नीतियाँ बनाना और उनको कार्यान्वित करना रिज़र्व बैंक और उसके बोर्ड का उत्तरदायित्व होना चाहिये और यह उत्तरदायित्व किसी अलग संस्था निहित नहीं होना चाहिये । माननीय वित्त-मंत्री ने अभी कहा था कि सहकारी समितियां राज्य सूची के अधीन आती हैं और इसलिये कुछ निर्देश देने के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता । मझ संदेह है कि रिज़र्व बैंक से

[श्री शेषगिरि राव]

भेजे गये निर्देशों का वहाँ पालन किया जयेगा और उस दशा में निधियों का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। अतः मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, हमें कठोर कार्यवाही करनी होगी और हमें ऐसी प्रक्रिया ढूंढ़ निकालनी होंगी जिससे कि उन निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जाय जिसके लिये कि वे दी गयी हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): डिप्टी स्पीकर साहब, गुह साहब ने कल जो मैंने इसके बारे में अर्ज़ किया, उसको गलत समझा और दरअसल मेरे कहने का मंशा यह नहीं था कि गुह साहब का जो यह सारा जोशख़रोश है, वह सारे का सारा असली नहीं है। असलियत यह है कि इस मामले को जिस तरह से मैंने एक छोटी सी किताब है उसको पढ़ा है और जिस तरह से समझा है, शायद हमारे गुह साहब ने उसको उस तरह से नहीं समझा है। मेरे दिमाग में यह चीज़ आई है कि रिज़र्व बैंक ने जो स्टेप लिया ह, दुनिया में किसी रिज़र्व बैंक ने ऐसा स्टेप नहीं लिया यह निहायत आला दर्जे की नेकनीयती से लिया है और वह यह चाहते हैं कि जितनी हमारी रूरल हालत ह उसको हम सारी को रेवेलूशनलाइज़ कर दें और तबदील कर दें और मैं यह समझता हूं कि उनकी यह मंशा है कि वह शख्स जिसको कि पहले किसी तरह की इमदाद नहीं थी, वह ज़मीन का मालिक नहीं था, वह ज़मीन से पैदावार तो करता था लेकिन उसकी हालत यह थी कि हमेशा कर्जे में डूबा रहता था, उसको चाहते हैं कि वह जो अंडर-डौग है वह सरफ़ेस पर आये और उसको फ़ायदा हो, अगर यह बात दुरुस्त है तो मैं अदब से पूछता हूं कि जिस आदमी की आज ढाई आने आमदनी है वह बेचारा ग़रीब कितने अर्से में आपका क़र्जा पूरा करेगा और वह क़र्जे के भार से कैस बाहर निकलेगा यह इसी तरह से हो सकता है जब कि उसके साथ वह सलूक न हो जो अब तक कोआपरटिव बैंक उसके साथ करते चले आये हैं। मेरे ज़िले में मुझको मालूम है जिस पंजाब का यह जिक़र करते हैं और कहते कि पंजाब बड़ा मालदार है, तो मैं उनको बतलाऊं कि मैं पंजाब के ज़िले हिसार से आता हूं और जो ज़िला हिसार देश भर में क़हत के वास्ते सबसे ज्यादा मशहूर है, उसकी दो चीजें बहुत मशहूर हैं एक क़हत, और दूसरी मवेशी। क़हत का यह हाल है कि आप रेकार्डस् मुलाहिज़ा फ़रमायें तो देखेंगे कि करोड़ों रुपये पुरानी सरकार ने भी ख़र्च कर दिये लेकिन कुछ नहीं बना। वहां होता यह है कि कोआपरेटिव बैंकों के बड़े-बड़े अफ़सर लोगों से क़र्जा वसूल करने के वास्ते बैंक लगाते हैं और ऐसे मौके आये हैं जब कोआपरटिव वालों ने पुलिस का काम वहां पर किया है। क़हत जब वहां पड़ता है तो मुझे तजुर्बे हासिल हैं कि वहां पर क्या हालत होती है, मैं उस हालत को जानता हूं, शायद गुह साहब को उसका तजुर्बा न हो, लेकिन मुझको है और मैं उनको बतलाऊं कि क़हत के ज़माने में हालत इतनी बदतर हो जाती है कि ३०० एकड़ जमीन रखने वाले मालिक को ६ पैसे रोज़ के वास्ते क़हत के कामों पर जाना पड़ता है और काम पर उनको दस-दस और बारह-बारह मील रोज़ चलना पड़ता है। मैं उन लोगों की हालत बख़ूबी जानता हूं और मुझे मालूम है कि इनको मदद करने और उबारने का काम जो हमारे गुह साहब ने अपने हाथ में लिया है वह कितना महीद, कितना मुश्किल और किस मैग्नीच्यूड का है और उसी वजह से मैंने अर्ज़ किया था कि देखना है कि बावजूद इनकी सारी कोशिशों और और रुपये के वे अपने मक़सद में कहां तक कामयाब होंगे, यह मुझे पता नहीं। मुझ गुहा साहब की जो रेवेलूशनलाइज़ करने की नियत है उस पर शक़ नहीं है और उसका तो

में स्वागत करता हूं, मेरा शक़ जो है वह इस कारण है कि क्या जो रुपये का उसमें प्रावज़िन रक्खा है वह काफ़ी होगा और क्या इस थोड़ी सी रक़म से वे अपने मक़सद में कामयाब हो सकेंगे ? हिन्दी में मसल मशहूर है और जनाब को भी याद होगा और वह इस तरह है। एरन की चोरी करी, दियो सुई को दान। ऊपर चढ़ चढ़ देखते, कब आवत विमान।। आइरन की चोरी करी, काम तो इतना बड़ा है, देश के तमाम ग़रीब आदमियों को ऊपर उठाना है, उनको मायर में से निकालने का काम है और जो उसके लिये रक़म रक्खी गई है वह निहायत ही नाकाफ़ी है और सूई का दान देने के समान है। जनाबवाला, दस करोड़ तो पहले देते हैं और पांच करोड़ हर साल लौंग टर्म लोन्स, सैंट्रल लैंड मोर्टगेज बैंकों को देते हैं और एक करोड़ रुपया स्टैबिलाइज़ेशन फंड में देते हैं जो कि समस्या को देखते हुए निहायत ही नाकाफ़ी है और ड्रौप इन दी ओशन के बराबर है। क़हत के बारे में मैं दसियों दफ़ा कह चुका हूं कि उसका सामना करने के लिए आपको नया फैमीन कोड बनाना होगा, यह नहीं कि ६ पैसे दे दिये और दस मील चला कर उनसे काम कराया जाय, जब कभी क़हत का ख़तरा हो तो उसका सामना करने के लिए आपको फैमीन कोड बनाना होगा, और आपको हर एक आदमी को मदद पहुंचानी होगी और हर एक की तरफ़ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आख़िर हमारी वेलफ़ेयर स्टेट है और इस नाते मैं समझता हूं कि आपकी यह एक करोड़ की रक़म नुकसान का मुकाबला करने के लिए बिलकुल नाकाफ़ी है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

इस वास्ते मैं ने डरते-डरते आप के रूबरू इस्तदुआ की है कि कम से कम ३ करोड़ तो कर दें१ करोड़ का। दूसरी बात यह है कि 'इफ यू मीन बिजिनेस' जहां यह रक्खा है कि '१० करोड़ देंगे, वहां २० करोड़ कर दीजिये और जहां ५ करोड़ है वहां १० करोड़ कर दीजिये। अभी आप को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी तकलीफ़ लोगों को होती है। पहले सरकार तकावी देती थी, पर तकावी उस आदमी को देती थी जिसके पास जमीन होती थी, जो दो गारन्टियर लाता था जो कि इसका जिम्मा लेते थे कि कर्जा चुका दिया जायेगा। लेकिन अब तो आप यह नहीं करने वाले हैं। आपने जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि हम इतना पैसा देंगे कि आदमी अपना कुल काम पूरा कर सकेगा। यहां तक कि आपने इसमें चिट फंड तक चला दिया है, जिस से लोग शादी गमीं पर भी फायदा उठा सकेंगे। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने किताब लिखी और सारी रूरल लाइफ का नक्शा खींच कर एक ऐसी तजवीज निकाली है कि जिसको देख कर बड़ी तसल्ली होती है। लेकिन जब मैं रकम की तरफ़ देखता हूं तो मेरी वही हालत होती है जो कि उस मोर की होती है जो कि अपने जिस्म की तरफ देख कर बड़ा खुश होता है लेकिन जब पैर की तरफ देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। उसी तरह से जब मैं ५ या १० करोड़ रुपये देखता हूं तो समझ नहीं पाता हूं कि यह स्कीम किस तरह से इम्प्लिमेन्ट होगी। इसीलिये मैंने यह अर्ज किया। आइन्दा आप को कुल प्रोड्यूस के ऊपर कर्ज देना होगा, पर प्रोड्यूस पर कर्जा देने का सवाल यहां कैसे पैदा होता है। हमारे दोस्त श्री निकुंज बिहारी और श्री शेषगिरि राव ने भी शिकायत की कि आखिर जिसको आप कर्ज देते हैं उसके कुछ प्रोड्यूस में से बचेगा क्या कि वह आपका कर्जा अदा कर सके। इसके माने यह हुए कि सारी स्कीम में प्राइस कंट्रोल इम्प्लिसिट है। अगर आप प्राइस कंट्राल नहीं करेंगे तो आप की सारी स्कीम खत्म हो जायेगी। कल यह कहा गया कि आप जिस जमींदार को कर्जा देते हैं अगर उसके साथ आप माई-बाप

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वाला हिसाब नहीं रखेंगे, उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं करेंगे जैसा उस शख्स के साथ होता है जो कि एक फैमिली का एक जुज होता है तब तक न वह जमींदार ही कामयाब होगा और न यह स्कीम ही कामयाब होगी । इसलिये इस स्कीम का जो असली जुज है वह यह है कि अगर आप सच्चे माने में वेलफेअर स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों को कर्जा देना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से रूरल बैंकरों को भी साथ लीजिये । मैं बैंकरों के वास्ते कोई ब्रीफ नहीं रखता हूं , लेकिन मुझे यकीन है कि महाजन भी जमाने की रफ्तार को देखते हैं, वह भी दिल दिमाग रखते हैं । वक्त आयेगा जब कि उसकी सारी कोशिशें और रुपये आपके साथ होंगे । हमेशा एक हवा चला करती है, जब गांव के अन्दर इस स्कीम की हवा चलेगी तो थोड़े दिन तो महाजन जरूर रेजिस्ट करेंगे, लेकिन बाद में गांव के और आपके सच्चे मददगार बन जायेंगे । उनका सारा रुपया आपके साथ होगा । लेकिन जब तक सरकार की मेहरबानी नहीं होगी उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे । आप बेजा तौर पर नाराज न हों, नकशा खींचते वक्त अत्योक्ति से काम लिया ही जाता है । लेकिन कामयाब वही होता है जो करे ज्यादा और कहे कम । नीज़ मसल मशहूर है, अगर चीते के शिकार के लिए जायें तो शेर के शिकार का सामान करें । आप देखिये कि इस देश में एक साल क अन्दर कहीं न कहीं कहत पड़ता है । कहीं फल्ड आता है कहीं कहतसाली होती है । हर साल ही कुछ न कुछ मुसीबत आ खड़ी होती है । इसलिये एक साल में एक करोड़ रुपये से कुछ नहीं होगा । अगर आप सही माने में लोगों का कुछ भला करना चाहते हैं तो १ करोड़का ३ करोड़ कर दीजिये, ५ करोड़का १० करोड़ कर दीजिये और १० करोड़ का २० करोड़ कर दीजिये । कम से कम इतनी तो मेहरबानी आपको कर ही देनी चाहिये । यहां पर इसको रिड्यूस करने का सवाल नहीं है, रिड्यूस का लफ्ज तो आपको डिक्शनरी से ही इस मामले में निकाल देना चाहिये । यहां तो रुपया बढ़ ही सकता है, और इस सिलसिले में आप को और बैंकों की भी मदद लेनी चाहिये । इस किताब में लिखा हुआ है कि जो रुपया हम कर्जे में देंगे हम उसके ऊपर नजर रखेंगे । कोई भी काश्तकार उसको लेकर के नाजायज तौर पर खर्च नहीं कर पायेगा । यहां तक कि शादी ब्याह तक में उसको जरूरत से ज्यादा नहीं खर्च किया जा सकेगा । अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं, अगर आप यह जिम्मेदारी लेते हुए देश का भला करना चाहते हैं और सचमुच यह बातें हो पाती हैं, तो देश में फिलवाक्या रामराज्य आयेगा । आज गांव के आदमी हमारी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि लैंड रिफार्म और इस तरह की हज़ारों बातें चलती हैं । लेकिन यह एक भलाई की चीज आई है । मैं चाहता हूं कि यह कामयाब हो और इसकी तरकीब यही है कि आप इसमें रुपया बढ़ाइये । आपको अख्त्यार है आप चाहे जितना रक्खें, मैं तो रख नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप इतना ही दे कर चुप चाप बैठ जायेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा ।

मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं, बड़े जोर से अर्ज करना चाहता हूं कि जो स्कीम इस किताब में लिखी हुई है वह आपने इस एक्ट में नहीं दिया है, लेकिन आपने अपना इरादा जाहिर कर दिया है । कल मैंने अर्ज किया था कि गवर्नमेन्ट ने इसमें बिजनेस प्रिंसिपिल को रक्खा है । लेकिन बिजिनेस प्रिंसिपिल के माने यह हैं कि आपने किसी शख्स को रुपया दे दिया और इकरार करा लिया कि वह रुपये दे देगा, लेकिन अगर वह रुपया नहीं दे सकता है तो भी आप उसकी प्रोड्यूस छीन लें। मैं समझता हूं कि आपकी

मंशा यह नहीं है, न ही यह मेरी मंशा है, और न यह प्रिंसिपिल चल ही सकता है। इस क्रेडिट सोसायटी का प्रिंसिपिल यह है कि आप रिअल मानों में काश्तकारों की मदद करें और यह जाहिर कर दें कि यह पुलिस स्टेट नहीं है वह एक वेलफेअर स्टेट है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश का भला किया जाय तो मेहरबानी कर के और रुपया दीजिये। बगैर रुपया दिये, काम नहीं चलेगा।

इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप जिन ऐमेन्डमेन्ट्स का मैंने जिक्र किया उनको मंजर कीजिये। मैं इस बिल को स्ट्रांगली सपोर्ट ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं १०० नहीं २०० परसेन्ट इस बिल के साथ हूं।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा केन्द्रीय) : यह संशोधक विधेयक भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त निर्देशन-समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये है: इसमें संदेह नहीं कि यह एक उत्तम विधान है किन्तु यह केवल पहला क़दम है।

उक्त समिति ने बताया था कि कृषि-सम्बन्धी कार्यों पर खर्च करने के लिये कम से कम ७५० करोड़ पये अपेक्षित होंगे। इसमें से केवल ३ प्रतिशत केन्द्रीय और राज्य सरकारों का अंशदान है और ३ प्रतिशत अंश-दान सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों का है। अतः यह एक बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इन निधियों का संचालन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाय। अब भी मेरी यह राय है कि यदि कोई केन्द्रीय संगठन इस कार्य को अपने अधीन ले, तो अधिक अच्छा हो।

भारत का रिज़र्व बैंक १९३४ में स्थापित किया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वह इस विस्तृत देश क कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये बहुत बड़े पैमाने पर वित्त देने का उत्तरदायित्व न ले सका। विभिन्न राजकीय बैंकों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली धन-राशि बहुत ही थोड़ी थी और वह भी किसानों तक नहीं पहुँचती थी। इन बैंकों ने यह धन-राशि पूर्णतः कृषि सम्बन्धी कार्यों में नहीं लगायी है। यद्यपि ऐसा एक उपबन्ध है कि भारत का रिज़र्व बैंक जाँच करे और यह देखे कि उसके द्वारा दी गयी धन-राशि उसी उद्देश्य के लिये व्यय की जाय जिसके लिये वह दी गयी थी, फिर भी रिज़र्व बैंक के प्रतिवेदन से यह दिखायी पड़ता है कि यह जाँच पर्याप्त नहीं है। अतः यह उपबन्ध निरर्थक सिद्ध हुआ है।

भारत जैसे ग्रामीण देश में, कृषि सम्बन्धी कार्यों और कुटीर उद्योगों के वित्त पोषण के लिये, वह अत्यन्त आवश्यक है कि केन्द्रीय कृषि निगम जैसा एक केन्द्रीय संगठन स्थापित किया जाय। निर्देशन समिति के इस प्रतिवेदन के बावजूद कि भारत का रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय सरकार, और विभिन्न राज्य सरकारे कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये धन दें, मेरे विचार से इस संशोधक विधेयक के बाद भी, भारत के रिज़र्व बैंक का ढाँचा इस उद्देश्य के लिये उपयुक्त नहीं होगा। इस संशोधक विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी, सरकार विशेष-कर कृषि के लिये वित्त का उपबन्ध करने की दृष्टि से एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करें।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ कालिक कार्य करण) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि के लिये दी गयी प्रारंभिक धन-राशि बहुत ही कम है। अतः मेरा सुझाव है कि यह प्रारंभिक धन-राशि पंचगुना बढ़ा दी जानी चाहिये।

मैं श्री मोरे का समर्थन करता हूँ कि सहकारी समिति की परिभाषा में यह स्पष्ट कर

[श्री एस० एन० दास]

दिया जाना चाहिये कि ग्राम्य ऋण कुटीर उद्योग और ग्राम्य-विकास सम्बन्धी अन्य चीजों के लिये कार्य करने के लिये स्थापित अथवा स्थापित की जाने वाली बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियों को ग्राम्य-विकास कार्य करने के लिये ऋण दिये जाने चाहिये । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा सहकारी समितियों की परिभाषा इतनी व्यापक बनायी जाय कि उसके अधीन विभिन्न प्रकार की समितियां भी आ सकें ।

संशोधन में यह कहा गया है कि भारत के रिज़र्व बैंक के तीन उपशासक होंगे । मेरे विचार से उद्देश्य यह है कि रिज़र्व बैंक के बढ़ते हुए कार्य और कृषि वित्त के उत्तरदायित्व को देखते हुए बैंक के लिये एक उपनिर्देशक होगा जो कृषि सम्बन्धी विभाग की देख-भाल करेगा ।

मूल अधिनियम में एक उपबन्ध यह था कि बैंक में एक कृषि सम्बन्धी विभाग होगा । किन्तु वह विभाग बहुत ही छोटा था । प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि १९५२ और १९५३ में रिज़र्व बैंक केवल दो राजकीय सहकारी बैंकों के लेखों का ही परीक्षण कर सका है । अतः मेरे विचार से इस विभाग में अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जायें जिससे कि वह प्रभावोत्पादक हो सकें ।

केन्द्र में और राज्यों में स्थापित संगठनों में हम ऐसे व्यक्ति पाते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की दशाओं की पूरी-पूरी जानकारी नहीं है । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि रिज़र्व बैंक अथवा अन्यत्र स्थापित संगठनों में जिनका सम्बन्ध इन निधियों के प्रशासन से अथवा सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों को कार्यरूप में परिणत करने से है, ऐसे लोग चुने जाने चाहिये जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की दशाओं के बारे में पूरी जानकारी हो और जिनमें अपने देशवासियों की सेवा करने की प्रबल भावनायें हों ।

मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार केन्द्रीय कृषि निगम जैसे केन्द्रीय संगठन की स्थापना पर, जिसकी सारे देश में शाखायें फैली हों, एक बार फिर विचार करेगी और निर्देशन समिति की सभी सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही करगी । जैसा कि मैंने बताया, यह सिफारिशें एक बहुत महत्वपूर्ण एकीकृत योजना का एक भाग हैं और एक भाग को कार्यान्वित करने और दूसरे भाग को वैसे ही छोड़ देने से सारी योजना असफल हो जायगी । अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर अर्थात् केन्द्र में, राज्यों में, और गाँवों में ये सिफारिशें तुरन्त कार्यान्वित की जाँय ।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित-अनुसूचित जातियाँ) : मैं इस सरल से विधेयक का समर्थन करता हूँ । भारत की ग्रामीण जनता का सभी प्रकार से सामाजिक और आर्थिक शोषण किया गया है । अखिल भारतीय ग्राम्य-ऋण सर्वेक्षण की निर्देशन-समिति के प्रतिवेदन के अध्याय ३ में दी गई इन प्रतिशतताओं से यह संकेत मिलता है कि किसान के कुल ऋणों में ग्राम्य-ऋण के मुख्य अधिकरणों का कितना अंश है :

सरकार—३.३ प्रतिशत
सहकारी संस्थायें—३.१ प्रतिशत
वाणिज्यिक बैंक—०.९ प्रतिशत
रिश्तेदार—१४.२ प्रतिशत
जमींदार—१.५ प्रतिशत
कृषि सम्बन्धी महाजन—२४.९ प्रतिशत
परम्परागत महाजन—४४.५८ प्रतिशत

व्यापार और कमीशन एजेन्ट—५.५ प्रतिशत

अन्य—१.८ प्रतिशत

अतः इस समय यह अत्यन्त आवश्यक है कि किसान को ऋण-सुविधायें देकर सभी संभव प्रोत्साहन दिया जाय ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सिफारिशों में देश के सहकारी ढाँचे के पूर्ण पुनर्स्संगठन की कल्पना की गयी है। यह विधेयक का बहुत आवश्यक अंग है। विधेयक में राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ कालिककार्य-करण) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना का उपबन्ध है। विधयक के इन उपबन्धों का समर्थन करते हुए, उनकी व्याख्या के लिये और किसानों को ऋण देन के लिय मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के दावों पर भी विचार किया जाय । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को रोज़गार दें। ग्रामीण क्षत्रों में भूमिहीन मजदूरों को ज़मींदारों पर निर्भर रहना पड़ता है जिसका परिणाम यह होता है कि उनका अधिक शोषण किया जाता है और उनसे बेगार ली जाती है। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन भूमि-हीन मज़दूरों को भी ऋण सुविधायें दी जानी चाहियें और वह इस प्रकार दी जानी चाहियें जिससे कि वास्तव में गरीब आदमियों को अपने कर्ज़ों का बोझ कम करने में ये निधियाँ सहायक हो सकें।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि सभी-वर्तमान अथवा स्थापित की जाने वाली सहकारी समितियां बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियां बनायी जानी चाहियें । कांग्रेस अंतरिम सरकार ने मैसूर में १९४९ में बहु-प्रयोजनीम सहकारी समितियों की एक योजना चालू की थी जो बहुत सफल रही थी। इन बहु-प्रयोजनीय समितियों को यह देखना चाहिये कि ऋण-सुविधाओं से ग्रामीण-क्षेत्रों की सभी आवश्यकतायें चाहे वह उद्योग कृषि अथवा वाणिज्य किसी के लिये भी क्यों न हों, पूरी हो जाँय ।

सहकारिता आन्दोलन में निदेशक अथवा कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति के संबंध में मैं एक पहलू की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि पदाधिकारी केवल गाँव के प्रमुख व्यक्ति पटेल के पास ही जाते हैं और ग़रीब किसानों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। यदि पदाधिकारियों का यही रुख रहा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि गाँवों में रहने वाली अनुसूचित जातियों के प्रति उनका व्यवहार किस प्रकार का होगा । यदि ग़रीब जनता की उपेक्षा की जाय तो लोकतंत्र में क्रांति की हमेशा संभावना रहती है क्योंकि ये खेतिहर मज़दूर सदा किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा उत्तेजित किये जाते हैं। अतः ऐसी बात को रोकने के लिये, यह आवश्यक है कि किसानों और खास कर भूमिहीन मज़दूरों की ओर जो अधिक तर ज़मींदार, महाजन या अन्य शोषकों पर निर्भर रहते हैं, पर्याप्त ध्यान दिया जाय। क्योंकि वही वास्तव में ग़रीब हैं और उन्हीं के लिये संविधान में सभी संरक्षणों के उपबन्ध हैं। इन शब्दों से मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्नता है।

श्री ए० सी० गुह : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सभा के प्रायः प्रत्येक सदस्य ने इस विधेयक का समर्थन किया है किन्तु कुछ उपबन्धों के विरुद्ध जो आलोचना की गयी है वह सदस्यों की अधीरता के कारण है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय में मैं इस अधीरता को सभ्य समझता हूँ ।

मैं कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों के बारे में बाद में उत्तर दूंगा । गत तीन या चार दिनों में पंडित ठाकुरदास भार्गव ने पंजाब में खेतिहर मज़दूर की प्रति व्यक्ति आय का कई बार उल्लेख किया है मेरे विचार से उन्होंने यह नहीं समझा है कि

[श्री ए० सी० गुह]

अधिकतर राज्यों में कृषि-सम्बन्धी सुधार लागू किये जाने के कारण यह भूमि-हीन मज़दूर एक बीती बात हो जायेंगे। अधिकतर राज्यों ने बड़े-बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेकर भूमिहीन किसानों को ज़मीनें बांटने की व्यवस्था की है। अन्य व्यवस्थाओं में अर्थात ग्रामीण उद्योगों में भी कुछ कृषिकार चले जायेंगे।

पंडित के० सी० शर्मा—(मेरठ ज़िला—दक्षिण) : वह कितने एकड़ जमीन है?

श्री के० के० बसु : वे कौन कौन से राज्य हैं? वह एक काल्पनिक प्रस्थापना पर तर्क कर रहे हैं।

श्री ए० सी० गुह : भूमि-हीन मज़दूरों की समस्या अब बहुत अंशों में कम हो जायगी। उनकी प्रति व्यक्ति आय अवश्य बढ़ जायेगी।

इस योजना में फ़सल ऋण की भी एक प्रस्थापना है। अभी तक तो ऋणू भूमि अथवा अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर दिये जाते थे पर अब खड़ी फ़सलों के आधार पर भी दिये जायेंगे। गोदाम व्यवस्था की जायेगी जिनमें कृषक अपनी फ़सल रख कर ऋण ले सकेंगे। इस प्रकार उनको नये ऋण लेने से रोका जायेगा और पहले के ऋणों के भुगतान में सहायता दी जायेगी।

सभी सदस्यों ने उपबन्धित निधि की अपर्याप्ता के विषय में कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों ने केवल परन्तुक को ही पढ़ा है मूल खंड को नहीं पढ़ा है। परन्तुक में न्यूनतम सीमा दी हुई है, उसमें कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। स्थिरीकरण निधि के सम्बन्ध में भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका भी एक परन्तुक है जो इस निधि की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये निर्धारित करता है।

माननीय सदस्यों ने जल्दबाज़ी में इस उपबन्ध का सम्पूर्ण चित्र नहीं देखा है। एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि होगी, एक राष्ट्रीय गोदाम योजना विकास निधि होगी और भारत सरकार राष्ट्रीय गोदाम योजना विकास निधि में पांच करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनावर्त्तक अनुदान देगी और प्रत्येक वर्ष कम से कम पांच करोड़ रुपये का आवर्त्तक अंशदान करेगी।

श्री के० सी० शर्मा : यह तो सिफ़ारिशें हैं, प्रस्थापित विधान नहीं हैं।

श्री ए० सी० गुह : इस लैजिस्लेशन में तो सब कुछ नहीं आया है, दूसरा लैजिस्लेशन आने वाला है।

जहां तक स्थिरीकरण निधि का सम्बन्ध है, यह निधि न केवल रक्षित बैंक द्वारा स्थापित की जायेगी अपितु सहकारी बैंक भी इसे स्थापित करेंगे। रक्षित बक इस सुविधा को राज्य सहकारी बैंकों के लिये सप्रतिबन्ध रखेगा। रक्षित बैंक इस बात पर भी आग्रह कर सकता है कि कालातीत दायिता का कुछ भाग इस स्थिरीकरण निधि से पूरा किया जाये। अन्य संभाव्यताओं का मुक़ाबला करने के लिये स्थिरीकरण निधि सम्बन्धी अन्य उपबन्ध भी हैं।

कुछ सदस्यों ने बहु-प्रयोजनीय-सहकारी समितियों का निर्देश किया था। यह विधेयक केवल सहकारी ऋण समितियों के सम्बन्ध में है न कि अन्य सहकारी समितियों के।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रामों का झुकाव बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियों की ओर है। वह विक्रय-विपणन आदि का कार्य करेंगी। वह ऋण भी देंगी।

श्री ए० सी० गुह : गोदाम प्रबन्धक तथा विपणन समितियां इस कार्य को करेंगी।

पंडित टाकुर दास भार्गव : वह ग्राम्य उद्योगों को भी ऋण देंगी।

श्री ए० सी० गुह : इससे बेकारी दूर होगी। एक करोड़ रुपया निम्नतम रक़म है,

कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियों को इस विधेयक के क्षेत्र से पृथक रखने का उद्देश्य है ?

श्री ए० सी० गुह : यह सारा काम गोदाम प्रबन्धक तथा विपणन बोर्डों द्वारा कर लिया जायेगा और उनके ऋण दान कार्य के लिए भी क्षेत्र बन जायेगा सहकारी विकास निधि भी तो है।

वह पुरःस्थापित किये जाने वाले खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विधान के अन्तर्गत आयेंगे ।

नवम्बर १९५३ में भारत का रक्षित बैंक अधिनियम का संशोधन करते समय धारा १७ में एक उप-धारा ४ (क) जोड़ी गई थी जिसमें राज्य सहकारी बैंकों को कृषि आयोजनों के लिये दिये गये ऋणों तथा अग्रिम धनों को निर्धारित अवधि के पश्चात पुनः देय रखा गया था । अनुमति दी गई रक़म पांच करोड़ रुपये थी । यह रक़म अधिकतम थी । उस समय माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत विरोध प्रकट किया था परन्तु वास्तविकता यह है कि गत १८ महीनों में रक्षित बैंक केवल २० लाख रुपया ही दे सका है । अतः जब तक हमारे पास व्यय करने के साधन न हों अधिक रक़म निश्चित करने से क्या लाभ है ।

हमने कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है । हमने केवल न्यूनतम सीमा निश्चित की है ।

श्री एस० एन० दास ने यह कहा था कि निरीक्षण प्रक्रिया असफल रही है और उन्होंने किसी प्रतिवेदन का निर्देश किया था । यह प्रक्रिया नवम्बर १९५३ में चालू की गई थी और १४ निरीक्षण हो चुके हैं । सभी शिखर बैंकों का निरीक्षण हो चुका है और कुछ केन्द्रीय बैंकों का निरीक्षण भी किया जा चुका है । ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती जिससे कि समझा जाये कि यह प्रक्रिया असफल रही है । इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक को सहकारी बैंकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसमें अभी तक कोई कठिनाई नहीं हुई है । हम और कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं और उनको निरीक्षण कार्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि रक्षित बैंक के पथ प्रदर्शन में वह समुचित रूप से कार्य करेंगे और भविष्य में देश के ग्राम्य-ऋण कार्यक्रम के सम्बन्ध में निधि अथवा कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

निरीक्षण का वास्तविक कार्य १९५३ के अन्त में प्रारम्भ हुआ था । यह निरीक्षण प्रणाली के समुचित रूप से लागू किये जाने से पहले हुआ था । माननीय सदस्य ने १९५२-५३ की बात कही थी परन्तु आज हम १९५५ में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम १९३४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ६

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २ से ६ में कोई संशोधन नहीं रखे गये हैं ।

खण्ड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ७ से ११ और १

श्री एन० बी० चौधरी : मेरे दो संशोधन हैं मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । रिज़र्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि ग्राम्य-ऋण के बढ़ने की प्रवृत्ति अब फिर दिखाई देने लगी है । ग्रामीण जनता का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का कहना है कि इसका कारण कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों का गिरना है। जितनी राशि का उपबंध किया गया है वह बहुत ही अपर्याप्त है । इसके लिये जो न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है वह १० करोड़ के

[श्री एन० बी० चौधरी]

स्थान पर २५ करोड़ रुपये होना चाहिये। हम यह भी चाहते हैं कि ५ करोड़ रुपये की वार्षिक राशि बहुत ही कम है, यह राशि १५ करोड़ रुपये होनी चाहिये क्योंकि यह समस्या बहुत बड़ी है और सरकार बहुत अधिक संख्या में सहकारी समितियां संगठित करने वाली है।

श्री श्यामनन्दन सहाय ने अपने तीन संशोधन (संशोधन संख्या ६, १० तथा ११) प्रस्तुत किये।

श्री एन० बी० चौधरी ने तीन संशोधन (संशोधन संख्या २, ४ तथा ८) प्रस्तुत किये।

उपाध्यक्ष महोदय : उपर्युक्त संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

श्री श्याम नन्दन सहाय : यदि आप इस विधेयक के उपबंधों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इस निधि का उपबंध इसलिये किया गया है कि राज्य सरकारों को सहकारी ऋण समितियों की अंश पूंजी में अंशदान देने क लिये ऋण तथा अग्रिम धन दिया जाये और यह ऋण या अग्रिम धन निश्चित अवधियों के बीतने पर लौटाये जायेंगे जो कि २० वर्ष से अधिक नहीं होगी। हमारा विचार है कि यह राशि अत्यन्त अल्प है। यदि सहकारी ऋण समितियों की अंश पूंजी में अंश-दान देने के लिये राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम धन देने का काम ही अच्छी तरह से किया गया तो सहकारी समितियों को अग्रिम धन देने के लिये कुछ नहीं बचेगा। इसलिये इस निधि का कुछ भाग सहकारी समितियों को अग्रिम धन देने के प्रयोजन के लिये अलग कर दिया जाये।

इसी के साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि उस परिस्थिति का भी विशेष रूपसे निर्देश किया जाये जिसमें कि कोई राज्य-सहकारी बैंक कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्य गिरने के कारण या अनावृष्टि या अन्य किसी दैविक आपदा के कारण देय राशियों के भुगतान करने की सामर्थ न रखता हो। इसका निर्देश करना आज बहुत आवश्यक हो गया है और जैसी परिस्थितियां हमारे सामने आती जा रही हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर भी राज्य सहकारी बैंकों को ऋण दिये जा सकते हैं बशर्ते कि उनमें इतनी सामर्थ हो कि वे उन राशियों का भुगतान कर सकें जो उनको उचित समय पर दी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकारी समिति अधिनियम या भूमि बंधक बैंक अधिनियम इस बात की अनुज्ञा देता है कि राज्य अंशधारी बन सकें?

श्री श्याम नन्दन सहाय : कितने ही भूमि बंधक बैंकों में राज्य सरकारें अंश धारी हैं : राज्य सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं परन्तु मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम में कोई निषेध नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके लिये विभिन्न राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन किये जा रहे हैं। मेरे राज्य में ऐसा एक विधेयक विचाराधीन है और मेरे राज्य की सरकार ने ४० लाख रुपये के अंश लेने का आश्वासन भी दिया है।

मेरी एक और प्रस्थापना यह भी है प्रत्याभूति सम्बन्धी उपबंध हटा दिया जाये क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी सहकारी समिति या राज्य सहकारी बैंक को रिज़र्व बैंक इतना दृढ़ समझता हो कि उसे किसी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के बिना ही ऋण देने को तैयार हो। बम्बई और मद्रास में ऐसा हुआ भी है। इसलिये यह खण्ड केवल आनुमातिक होना चाहिये।

श्री ए० सी० गुहा : यह परन्तुक केवल इसलिये रखा गया है कि राशि इससे कम न हो।

इस राशि को बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। यह तो केवल इस बात पर निर्भर होगी कि सहकारी समिति कितना ऋण ले सकती है।

पिछले संशोधक अधिनियम में मध्यम कालिक ऋणों के लिये पांच करोड़ रुपये का उपबंध किया गया था। उस समय भी यही आलोचना की गई थी कि यह राशि बहुत कम है। परन्तु इस पंद्रह मास की अवधि में रिज़र्व बैंक ने केवल २० लाख रुपये के अग्रिम धन दिये हैं। इसलिये किसी निधि विशेष में रुपया फंसाने से कोई लाभ नहीं है जब तक कि उसका उपयोग करने के लिये कोई उचित संगठन न हो। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन वापस ले लिये जायेंगे क्योंकि सहकारी बैंक कितना रुपया ले सकते हैं, इसकी वास्तव में कोई सीमा नहीं रखी गई हैं।

बम्बई और मद्रास में रिज़र्व बैंक कुछ शिखर सहकारी बैंकों को राज्य सरकारों की प्रत्याभूति के बिना अल्पकालिक ऋण देता है परन्तु इस खण्ड में मध्यम कालिक ऋणों की ओर निर्देश किया गया है। किसी भी केन्द्रीय बैंक के लिये राज्य सरकार की प्रत्याभूति के बिना मध्यम कालिक ऋण देना कठिन होगा। यह सहकारी बैंक राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करेंगे और राज्य सरकार इन सहकारी बैंकों में भागीदार होगी। इसलिये यह उचित है कि रिज़र्व बैंक से जो भी मध्यमकालिक ऋण मांगा जाये उसकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी जाये। अल्प-कालिक ऋणों के लिये इस शर्त का परिपालन अनिवार्य नहीं रखा गया है।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव तो सदा ही हुआ करता है इसीलिये केवल दैविक आपदाओं के लिये ही उपबंध बनाया गया है। हो सकता है कि किसी वर्ष कोई दैविक आपदा आ जाये परन्तु कम से कम अगले वर्ष में तो कृषक अपनी स्थिति को सुधार सकता है। इसलिये इस खण्ड के द्वारा केवल दैविक आपदाओं का ही उपबंध किया जा सकता है।

श्री श्याम नन्दन सहाय : मैं अपने संशोधन संख्या ६, १० तथा ११ वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन संख्या २, ४ तथा ८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ से ११, खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७ से ११, खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

स्थिति यह है कि भारतीय रेलवे अधिनयम की धारा १३७ उपधारा (४) के अनुसार रेलवे कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, सिवाय संहिता के परिच्छेद ९ के प्रयोजनों के लिये अन्य सभी अवस्थाओं में

[श्री अलगेशन]

लोक सेवक नहीं समझे जायेंगे । इस उपबंध का एक परिणाम यह है कि एक रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध अवैध परितोषण स्वीकार करने के लिये एक लोक सेवक की भांति अभियोग चलाया जा सकता है परन्तु उस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४०९ (लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग) के अंतर्गत अभियोग नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि धारा ४०९ इस संहिता के परिच्छेद १७ में है ।

१९४९ में गृहकार्य मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ के कार्यकरण की जांच करने के लिये तथा उक्त विधान तथा उसके परिपालन कराने वाले संगठन में सुधार के सुझाव देने के लिये बख्शी टेकचंद के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा १३७ का संशोधन किया जाये जिससे कि सरकारी रेलवे कर्मचारी सब प्रयोजनों के लिये लोक सेवक समझे जायें । चूंकि रेलवे कर्मचारियों की अधिकांश संख्या आज सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार से वेतन पाते हैं और भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थों में सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिये रेलवे कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता के अन्य उपबंधों की परिधि से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है ।

इस संशोधन का एक उद्देश्य तो यह है कि इस अनियमितिता को दूर किया जाये जिसका अभी अभी निर्देश किया गया है । दूसरे यह कि रेलवे कर्मचारियों पर भारतीय दण्ड संहिता के लागू होने में जो रोक लगी हुई है वह न रहे । तीसरे यह कि रेलवे समवायों के जो कि अभी तक चल रहे हैं, थोड़े से कर्मचारियों के लिये वर्तमान स्थिति बनी रहे और रूप भेद केवल इतना हो कि वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४०९ के लिये भी लोक सेवक समझे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ तथा २

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी खण्ड में कोई संशोधन नहीं रखा गया है ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : क्या गैर सरकारी रेलें नहीं हैं ? क्या वे भी इसके आधीन आ जायेंगी ।

श्री अलगेशन : भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४०९ के प्रयोजनों के लिये उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, विधेयक का नाम, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंश बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ और २ विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़दिये गये ।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

हिन्दू विवाह विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा हिन्दुओं में विवाह सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिता बद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार करेगी ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : इसके लिए कुल ३० घंटे नि रित किए गए

है। इनमें से सामान्य चर्चा पर खण्डवार विचार पर और तृतीय वाचन पर कितना कितना समय लें ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम तृतीय वाचन से ही प्रारम्भ करेंगे। इसके लिये एक घंटा प्रर्याप्त होगा। हम चार घण्टे खण्डवार विचार के लिए और शेष समय सामान्य चर्चा के लिए रख लें।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक विधान है। अतः मेरी अपील है कि इसके प्रत्येक सुझाव और, संशोधन पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाए। इसलिए इसकी खण्डवार चर्चा के लिए २० घण्टे होने चाहिए।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं भी श्री वी० जी० देशपाण्डे के इस कथन से सहमत हूँ कि इस विधेयक का सम्बन्ध हमारे सामाजिक जीवन से है, अतः इसकी खण्डवार चर्चा के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तो यदि आपका ऐसा ही विचार है तो सामान्य चर्चा के लिए १२ घंटे, खण्डवार विचार के लिए १६ घण्टे और तृतीय वाचन के लिए २ घण्टे होंगे।

बहुत से सदस्य : हम इससे सहमत है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : माननीय मंत्री महोदय कितना समय लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घण्टा।

श्री पाटस्कर : जहां तक खण्डों का सम्बन्ध है उन पर उतना ही समय लगेगा जितने संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि संशोधनों की संख्या कम हुई तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या इस पर लगातार चर्चा होती रहेगी अथवा आज केवल दो घण्टों के लिए ही चर्चा होगी और शेष किसी दूसरे दिन चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आज सारा दिन जारी रहेगी। अब माननीय मंत्री प्रारम्भ करेंगे।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि हिन्दुओं में विवाह सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिता बद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाय।"

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

इस समय मैं इस बात की ओर संक्षेप में निर्देश करूंगा कि यह मामला किन किन अवस्थाओं में से गुजरता हुआ आज इस अवस्था में पहुंचा है। जैसा कि इस सभा को ज्ञात है कि यह विधेयक मूल रूप से व्ययगत हिन्दू संहिता विधेयक का एक भाग है। उस विधेयक का यह भाग जिसका सम्बन्ध हिन्दुओं में विवाह से था, लगभग १२ या १३ वर्षों तक केन्द्रीय विधान सभा के सम्मुख विचार के लिये पड़ा रहा है। सभा को यह भी ज्ञात है कि हिन्दू विधि को संहिता बद्ध करने के कितने प्रयत्न किये गये हैं। अब इस समय जो हिन्दू विधि कहलाती है वह तो देश के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का एक उलझा हुआ ढांचा सा है। कुछ व्यक्तियों ने इसे संहिता बद्ध करने का विरोध इस आधार पर किया था कि ऐसा करना असंभव है और इसे हिन्दू समाज के लिये एक महान आपत्ति का भय है। तो भी, जनमत यही रहा है कि यह संहिता बद्ध कार्य जन हित में होगा, यह एक निश्चित विधि भी बना देगा और इसके साथ ही साथ यह भी बतायेगा कि हिन्दू समाज ने अभी तक कितनी प्रगति की है।

यह विधेयक सर्वप्रथम ११ दिसम्बर, १९५२ को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और २० दिसम्बर, १९५२ को सभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि इस विधेयक पर राय जानने के लिये इस परिचालित

[श्री पाटस्कर]

किया जाय, और यह प्रस्ताव पारित हुआ। फिर इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया गया और प्राप्त हुई रायें बतलाती हैं कि वे इस विधेयक के मुख्य-मुख्य उपबन्धों के पक्ष में हैं। २७ राज्यों से राय प्राप्त की गई थी, उनमें से १५ राज्यों ने इसके पक्ष में राय दी है, ८ ने अभी अपनी राय नहीं भेजी है। २ ने बहु-पत्नीत्व को रोकने के पक्ष में राय दी है परन्तु विवाह विच्छेद का समर्थन नहीं किया।

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड़) : ऐसे कौन कौन से राज्य हैं ?

श्री पाटस्कर : एक तो संभवतः अजमेर है और दूसरे का मुझे ध्यान नहीं।

राय प्राप्त करने के उपरान्त राज्य सभा ने मार्च, १९५४ में इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उसके उपरान्त इस विधेयक पर सभा में भी १०, ११, १२ और १३ मई, १९५४ को चर्चा हुई थी और वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस प्रस्ताव से यह विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया, इसमें कई परिवर्तन हुए। समिति ने बड़े ध्यानपूर्वक इस पर विचार किया और फिर २५ नवम्बर, १९५४ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फिर राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई और इस सभा ने १५ दिसम्बर, १९५४ को को यह विधेयक पारित कर दिया।

अतएव इस विधेयक को अब इस सभा में अन्तिम विचार करने और विधि के रूप में परित करने के लिये लिया जा रहा

इस प्रकार से इस विषय पर प्रवर समिति तथा संसद द्वारा पर्याप्त सोच विचार किया जा चुका है। परन्तु फिर भी अभी तक गत २ १/२ वर्षों से यह निलम्बित है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में, बिना किसी प्रकार का आवश्यक विलम्ब लगाये, शीघ्र ही निर्णय किया जाये।

इस विधेयक में मुख्य रूप से तीन बातें सम्मिलित हैं : (१) मान्य विवाह के आवश्यक तत्वों में जातिपांति का उत्सादन ; (२) एक पत्नीत्व को लागू करना ; तथा (३) कुछेक विशेष आधारों पर विवाह विच्छेद।

जहां तक प्रथम बात का सम्बन्ध है, संसद ने पहले ही हिन्दू विवाह मान्यीकरण अधिनियम, १९४९ को पारित किया है और इस प्रकार के उपबन्ध के मौलिक सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। यह विधेयक पंडित ठाकुर दास भार्गव के भाररूप ही पारित हो सका है। अतः इसके लिये हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

एक पत्नीत्व के लागू करने के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि हिन्दू समाज में साधारणतया इसी एक पत्नीत्व का ही अनुसरण किया जाता रहा है ; बहु-पत्नीत्व के निवारण के लिये भले ही कोई विधि न हो, तथापि हमारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण अब बहु-पत्नीत्व हमारे देश से समाप्त हो रहा है। हो सकता है कहीं पर ऐसे व्यक्ति हों जो कि बहु-पत्नीत्व का अनुसरण कर रहे हों, परन्तु साधारणतया तो एक पत्नीत्व का ही अनुसरण किया जाता है। आज ऐसा समय आ गया है जब कि इस बहु-पत्नीत्व को पूर्णरूपेण रोक दिया जाये। जहां तक तीसरी बात का सम्बन्ध है, इसका अभी तक कई व्यक्तियों की ओर से विरोध किया जा रहा है, और इसके सम्बन्ध में मैं बाद में विचार प्रकट करूंगा

अब मैं इस बात की ओर निर्देश करूंगा कि विधेयक के पारित होने से पूर्व इसमें संयुक्त प्रवर समिति और राज्य सभा ने क्या क्या परिवर्तन किये थे ।

राज्य सभा ने इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि इसका शीर्ष बदल दिया । मौलिक रूप में इस विधेयक का नाम "हिन्दू विवाह और विवाह विच्छेद विधेयक" था । अब इसका नाम बदल कर इसे 'हिन्दू विवाह विधेयक' कर दिया गया है । मुझे आशा है कि इस सभा के सभी सदस्य सच्चे हृदय से इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे, क्योंकि इस परिवर्तित नाम के अनुसार तो विवाह विच्छेद पर बल नहीं दिया गया है, अपितु विवाह की स्थिरता पर दिया गया है और यह अत्यन्त आवश्यक है ।

राज्य सभा द्वारा किया गया द्वितीय अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन विधेयक के खंड २ में है । इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड २५ के अधीन आने वाली अनुसूचित आदिम जातियों को विधेयक के प्रभाव से मुक्त रखा गया है, क्योंकि विवाह के सम्बन्ध में उनके अपने रीति रिवाज हैं । तो भी किसी उपयुक्त अवसर पर एक अधिसूचना के द्वारा उन लोगों पर भी यह विधि लागू करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिये गये हैं ।

संयुक्त प्रवर समिति ने विधेयक के खण्ड ३ में 'जिला न्यायालय' की परिभाषा को संशोधित किया है, और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पर नगर व्यवहार न्यायालय है, वहां पर वह न्यायालय भी इस विधि के अधीन यह कार्य कर सकेगा । इसके अतिरिक्त मौलिक विधेयक में तो इस कार्य के लिये छोटे न्यायालयों को, जिला न्यायालयों का अधिकार सौंपने का कार्य केन्द्रीय सरकार के हाथों में था । परन्तु अब यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है ।

संयुक्त प्रवर समिति ने 'निषिद्ध सम्बन्ध की पीढ़ियों' और 'सपिण्डों' की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया है । हां, कुछेक और सम्बन्धियों—जैसे भाई और बहन के बच्चों और भाई की विधवा नारी— को भी निषिद्ध सम्बन्धों की पीढ़ियों में सम्मिलित कर लिया है । विरोधी स्थानीय रीति रिवाजों को विधेयक के खण्ड ५ (४) और ५ (५) के उपबन्धों में रख लिया गया है ।

विधेयक के खण्ड ५ में प्रवर समिति ने दूल्हे और दुल्हन की आयु १८ और १५ वर्ष के स्थान पर क्रमशः २१ और १६ वर्ष कर दी थी । ऐसा करते समय समिति सम्भवतः आधुनिक विचारों से अधिक प्रभावित थी । तथापि राज्य सभा ने मूल विधेयक में प्रस्तावित आयु १८ वर्ष और १५ वर्ष को ही स्वीकार किया है । यह परिवर्तन बाल-विवाह निषेध अधिनियम १९२९ के उपबन्धों के अनुसरण में है ।

जहां तक खण्ड ६—अर्थात् विवाह में संरक्षण का सम्बन्ध है, प्रवर समिति ने ऐसा अनुभव किया था कि अभिभावकों की एक लम्बी सी सूची तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

उन्होंने यह भी उपबन्ध किया है कि जहां संरक्षक सौतेला हो वहां यह आवश्यक है कि वध उसके पास रहती हो और उसी द्वारा उसका पालन पोषण हुआ हो, तभी वह संरक्षक हो सकता है । संरक्षकों की मूल सूची में नाना और मामा समिलित थे । परन्तु राज्य सभा ने नाना, नानी और मामा को इस शर्त पर सम्मिलित किया कि वधु उनके पास रहती हो और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया हो । मूल विधेयक में से केवल सौतेले मामा और शेष सम्बन्धियों को ही निकाला गया है ।

फिर न्यायायिक सम्बन्ध विच्छेद, विवाह रद्द करने और विवाह विच्छेद के बारे

[श्री पाटस्कर]

में खण्ड है, विवाह विच्छेद के अधिकार की व्यवस्था केवल उस अपवाद के मामलों के लिये की गई है जहां पीड़ित पक्ष के लिये इसके सिवाय और कोई चारा न हो। इस विधेयक में इन उपबन्धों के बारे में संयुक्त प्रवर समिति द्वारा अपनाई गई योजना विशेष-विवाह-अधिनियम में योजना से कुछ भिन्न है जो हम पारित कर चुके हैं और जहां उसी आधार पर एक पक्ष न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद अथवा विवाह विच्छेद कर सकता है। इस विधेयक में न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद और विवाह विच्छेद के आधार एक ही नहीं हैं। न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद की आज्ञप्ति के दो वर्ष पश्चात् विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति भी दी जा सकती है और दोनों पक्षों के एक साथ आने से उसे समाप्त भी किया जा सकता है। विधेयक में विवाह के बन्धन को जहां तक सम्भव हो बनाये रखने पर अधिक जोर दिया गया है और यह हमारी परम्पराओं के अनुसार है।

संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक के खण्ड १० में शब्द "निर्दयता" में ही उसकी परिभाषा आ गई है और "छोड़ देना" की परिभाषा को विस्तृत करके जानबूझ कर उपेक्षा करना भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

यथा पुरःस्थापित और संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के खण्ड ११ में एक उपबन्ध था जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा याचिका देने पर उन विवाहों को शून्य घोषित किया जा सकता था जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले हो चुके हैं। राज्य सभा ने इस उपबन्ध को अनावश्यक समझ कर निकाल दिया है। यह अधिनियम लागू होने से पूर्व यदि उस समय की विधि के अन्तर्गत वह विवाह शून्य था तो इस अधिनियम द्वारा उसे मान्य नहीं बनाया जा सकता और किसी ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता नहीं जो इसे किन्हीं विशेष आधारों पर शून्य घोषित करने के लिये कहे। और फिर ऐसे उपबन्ध का यह गलत अर्थ समझा जा सकता है कि अधिनियम के पहले के सब विवाह शून्य घोषित किये जा रहे हैं। इसलिये राज्य सभा के खंड ११ में अधिनियम से पहले के विवाहों के बारे में उपबन्धों को निकाल दिया। परन्तु खण्ड १३ (२) में संशोधन करके एक पत्नी को अधिकार दिया गया है कि वह इस आधार पर कि उसके पति ने अधिनियम लागू होने से पूर्व दूसरा विवाह कर लिया, अथवा अधिनियम लागू होने से पहले जब उनका विवाह हुआ तो उनके पति की एक और पत्नी जीवित थी, विवाह विच्छेद की डिक्री लेकर अपने विवाह सम्बन्ध को तोड़ने के लिये याचिका दे सकती है। यह बम्बई, मद्रास और सौराष्ट्र अधिनियम के इसी प्रकार के उपबन्धों के अनुकूल है और यह याद रखना चाहिये कि यह आधार विवाह विच्छेद के लिये है न कि विवाह को शून्य घोषित करने के लिये।

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक के खण्ड १२ में दिये गये विवाह को शून्य करने के आधारों में एक यह भी बढ़ा दिया गया है अर्थात् " कि विवाह के समय वधु को याचिका करने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भ था।"

विधेयक के खण्ड १३ में समिति ने संयुक्त विवाह विच्छेद के आधारों में दोनों में से किसी एक ने "व्यभिचारी जीवन" "(leading an adulterous life)" को भी एक आधार के रूपमें सम्मिलित किया परन्तु इसका अर्थ स्पष्ट न होने के कारण राज्य सभा ने इसे बदल कर "व्यभिचार कर रहे" शब्द रखे। इसमें कोई अन्तर नहीं

है। एक बार व्यभिचार करने पर न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है—खण्ड १० (१)(छ)—परन्तु विवाह विच्छेद के लिये व्यभिचार का प्रमाण देना पड़ेगा। जान बूझ कर यह अन्तर रखा गया है। संयुक्त समिति ने विवाह विच्छेद के आधारों में दो और की वृद्धि की है अर्थात् "दोनों में से किसी एक के द्वारा संसार का त्याग और पति के कुछ घृणित कार्य।" राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक के खण्ड १३ में अधिनियम से पूर्व बहु-विवाह सम्बन्धी एक नया उपखण्ड (२)(i) जोड़ा गया है।

खंड १५ के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने पुनर्विवाहों में अशिष्ट जल्दी को रोकने के प्रयोजन से विवाह विच्छेद की तिथि से कुल एक वर्ष की कालावधि को पर्याप्त समझा।

खंड १६ में विशेष विवाह अधिनियम की धारा ३४ से संगत एक उपबन्ध सम्मिलित किया गया है ताकि किसी भी हालत में बच्चों को जारज न कहा जाये।

विधेयक का खण्ड १८ नया है और उसे संयुक्त समिति ने खण्ड ५ में दी गई शर्तों को भंग करने को दंडनीय करार देने के लिये इसे निविष्ट किया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा न होने से लोगों के लिये उन शर्तों को तोड़ना और दंड से बच निकलना संभव होता। विधेयक के खंड ११ और १२ के अन्तर्गत सब प्रतिकूलतायें नहीं आती और शेष के लिये स्वीकृति अपेक्षित है।

विधेयक के खण्ड २२ में संयुक्त समिति ने एक सुझाव दिया है जिसके अनुसार विवाह विच्छेद की कार्यवाही का अवांछनीय व्योरा न्यायालय की अनुज्ञा के बिना प्रकाशित नहीं संयुक्त समिति ने खण्ड २३ को फिर से बनाया है जिसके अनुसार न्यायालय पहले यह प्रयत्न करेगा कि विच्छेद की बजाये दोनों पक्षों में समझौता हो जाये।

संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक के खण्ड २४ और २५ में पत्नी पर भी कुछ अवस्थाओं में निर्वाह व्यय देने का उत्तरदायित्व डाला गया है। विशेष विवाह अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था।

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक के खण्ड ३० में बम्बई, सौराष्ट्र और मद्रास में लागू तत्सम्बन्धी अधिनियमों को निरसन करने के लिये सम्मिलित किया गया है क्यों कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक के उपबन्धों में राज्य सभा और संयुक्त समिति द्वारा किये गये प्रमुख परिवर्तनों की ओर मैंने निर्देश किया है। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक के उपबन्धों पर उस समय विस्तार पूर्वक चर्चा की जायेगी जब सभा विधेयक पर खण्डशः विचार करेगी। इसलिये मैंने राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक के विभिन्न खण्डों में दिये गये विस्तृत उपबन्धों पर चर्चा नहीं की।

अब मैं विधेयक के अन्तर्गत सिद्धान्तों पर की गई आपत्तियों का उत्तर दूंगा। अधिकतर इन तीन आधारों पर आपत्तियां की गई हैं (१) कि हम प्राचीन विधान में हस्तक्षेप कर र हैं (२) कि हम वर्णशंकर की उत्पत्ति करना चाहते हैं, और (३) कि हम विवाह विच्छेद की अनुज्ञा देकर विवाह की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं।

यह देखना उचित होगा कि प्राचीन विधान क्या था जिसके आधार पर हमारे मित्र ऐसे विधान पर आपत्ति करते हैं। उदाहरणतः इस विषय पर सबसे पुरानी पुस्तक मानव धर्म शास्त्र है। इसके पांच

[श्री पाटस्कर]

शताब्दी पश्चात् याज्ञवल्क्य ने इस पर टीका की और कुछ सौ वर्ष पश्चात् नारद ने । फिर कौट्टल्य का अर्थ शास्त्र है । वस्तुतः यह प्राचीन विधान क्या था ? क्या प्राचीन विधान में परिवर्तन नहीं हो सकता ? क्या इसे इस उद्देश्य से बनाया गया था कि इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा मेरे विचार में तो यह शास्त्र लिखने वालों का भी यह विचार नहीं था । मनु ने अध्याय २, श्लोक १२ में लिखा है :

वेदः स्मृति सदाचारः
स्वस्थच प्रियम् आत्मनः

एतत् चतुर्विधं प्राहु
साक्षात धर्मस्य लक्षणम् ।

धर्म को इस दृष्टि से नहीं देखा जाता था जैसे कि हम ईसाई अथवा इस्लाम धर्म को देखते हैं । धर्म मानव जाति और सारे समाज के लिये बनाया गया एक व्यवहार क्रम था । शायद यह शास्त्र तब से केवल भारतवर्ष तक ही सीमित था । परन्तु मनु ने जो कहा उसके नाम से ही पता चलता है कि यह मानव धर्म शास्त्र है । जब से ईसाई और इस्लाम धर्म की नई धारणायें बनी हैं तब से कुछ लोग इसे भी धर्म समझने की गलती करने लगे हैं । उदाहरणतः मुस्लिम धर्म क्या है ? जो कोई मुहम्मद का अनयायी है और कुरान में विश्वास रखता है वह मुस्लिम है । इसी प्रकार जो बाइबिल का अनुसरण करता है और ईसा को परमात्मा का सुपुत्र समझता है वह ईसाई है । परन्तु क्या यह हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जिन पर हम इतना ज़ोर देते हैं ठीक है ? इसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है । इसमें मूर्ति की पूजा करने वाले, मूर्ति की पूजा न करने वाले ईश्वर में विश्वास रखने वाले और न रखने वाले सभी शामिल हैं । यह इस दृष्टिकोण से धर्म कि प्राचीन मनु ने मानव के पथ प्रदर्शन के लिये जो व्यवहार क्रम उचित समझा नियत कर दिया । दूसरे धर्मों के साथ इसकी तुलना करके और उसी दृष्टिकोण से यह कहना ठीक नहीं कि हिन्दू धर्म के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है । यह श्लोक मैंने यह दिखाने के लिये पढ़ा है जैसे मनु ने कहा वेद और स्मृतियों के सदाचार हैं । अच्छा व्यवहार जिसका अवश्य पालन करना चाहिये और स्वस्यच प्रियम् आत्मनः अर्थात् जिससे अपना और अपनी आत्मा का संतोष हो । इस दृष्टिकोण से हमे इस देखना है । मनु ने भी यह पहले से जान लिया कि धर्म ऐसा होना चाहिये जिससे व्यक्ति और उसकी आत्मा को लाभ हो । इस दृष्टिकोण से मैं इसे देखने के लिये तैयार हूं । वर्तमान परिस्थितियों पर इसे कहां तक लागू किया जाना चाहिये ? इससे मेरे मन की उलझन दूर हो जाती है । मनु ने केवल वेद और स्मृतियों की ओर ही निर्देश नहीं किया । उन्होंने सदाचार और स्वस्यच प्रियम आत्मनः के बारे में भी कहा अर्थात् जो शरीर और आत्मा के अनुकूल हो । माननीय सदस्य अपने अन्तःकरण को टटोल कर देखें तब वे जानेंगे कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं परन्तु बहुत से लोग ऐसा नहीं करना चाहते । मैं जानता हूं कि हर बात पर मतभेद हो सकता है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं । परन्तु वर्तमान समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना यह सोचना ठीक नहीं कि मनु ने २००० वर्ष पहले क्या लिखा था । उस युग के लिये मनु ने जो लिखा वह ठीक था या गलत हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्यों कि उस समय की परि- स्थितियों का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हैं । अतः मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो वर्तमान दृष्टिकोण अथवा वर्तमान परिस्थितियों के प्रभाव में रहते हुय इस बात का निर्णय करते हैं कि मनु ने जो कुछ

लिखा वह और निन्दनीय है या कि प्रशंसनीय। मैं देखता हूं कि प्राचीन विधान बनाने वालों के नाम पर कुछ माननीय सदस्य आपत्तियां करते हैं जो वस्तुतः निराधार होती है। मनु ने २००० वर्ष पूर्व जो कुछ लिखा उसकी निन्दा करना या अक्षरशः उसका अनुसरण करना मेरे विचार में ठीक न होगा।

भारत म धर्म अथवा व्यवहार के नियमों का इतिहास भी देखने योग्य है। मनु के पश्चात् चतुर्थ शताब्दि में याज्ञवल्क्य, पांचवीं शताब्दि में नारद और छठी अथवा सातवीं शताब्दि में वहस्पति आये। यदि कुछ लोग आपत्ति करते हैं तो मैं उन्हें टीकाकार नहीं कहता। उन्हें किन्हीं विशेष नामों से पुकारने में मुझे रुचि नहीं है। अपने ज्ञान के अनुसार मैं उन्हें मनु के टीकाकार ही कहता रहा हूं क्योंकि वे मनु द्वारा कही गई बातों में समय के अनुसार कुछ परिवर्तन करके उनकी व्याख्या करते रहे हैं। अपने अपने युग के उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल मूल शास्त्र में परिवर्तन किये हैं। आज की हिन्दू विधि मनु, याज्ञवल्क्य अथवा उन प्राचीन महात्माओं में से किसी एक द्वारा बनाई गई विधि से बिल्कुल भिन्न है। अतः इस समय यह कहना उचित न होगा कि यह प्राचीन दैवी विधान है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। समय समय पर सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार इसे बदला गया है। ऐसा करने के साधनों में चाहे अन्तर हो। समाज परिवर्तनशील होता हैं और विधि को भी ऐसा ही होना चाहिये। मनु की मूल विधियों में सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का उल्लेख था न कि केवल विवाह अथवा उत्तराधिकार का वरन् उनमें प्रशासन और जिसे आज-कल दंड विधि कहा जाता है और समाज के नियंत्रण की वर्तमान व्यवहार विधि की अन्य शाखाओं का भी उल्लेख है। विवाह और उत्तराधिकार को छोड़कर शेष सब मामलों में वे विभिन्न अधिनियमित विधियां लागू होती हैं, जो पिछले ढाई सौ वर्षों में ब्रिटिश प्रशासकों ने बनाई हैं। इनका किसी ने विरोध नहीं किया। जीवन की बदली हुई परिस्थितियों में ये उपयुक्त थीं। इस हद तक पुरानी विधियों में परिवर्तन हो चुका है।

१८५६ में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, क्योंकि हिन्दुओं के कुछ तथाकथित उन्नत वर्गों में पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। उस समय भी इस प्रकार की भावुकता प्रधान आपत्तियां उठाई गई थीं। किन्तु वर्तमान स्थिति क्या है? यह विधि इस प्रकार के निर्वाचित सदन द्वारा पारित नहीं की गई थी। इसे पांच या छः यूरोपियनों ने जो कि उस समय परिषद् में थे, पारित किया था। इससे कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके विपरीत इसका अधिक प्रयोग उन लोगों ने किया है, जिन्होंने एक अवस्था पर इस सुधार का विरोध किया था।

यह भी याद रखना चाहिये कि मुस्लिम शासन के दौरान में भारत के कुछ भागों में मुस्लिम विधि ही प्रचलित थी। किन्तु उत्तराधिकार के मामले के साथ इसका सम्बन्ध नहीं था।

हिन्दुओं के विवाह के मामले में भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। मैं इसके लिये प्रशंसा करता हूं, क्योंकि यह बात उचित है कि उन लोगों को जिनका धर्म, संस्कृति और समाज का आधार बिल्कुल भिन्न है, शेष लोगों पर लागू होने वाली विधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। स्वशासन के बाद स्थिति बदल जाती है और हमारे लिये स्वयं इन बातों का निर्णय करना आवश्यक है।

२००० वर्षों की इस अवधि में सामाजिक विधियों का प्रशासन भारत के भिन्न भिन्न

[श्री पाटस्कर]

भागों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता था। इस कारण विधि रूढ़ि का रूप धारण कर लेती थी और भिन्न भिन्न स्थानों पर रूढि भिन्न भिन्न होती थी।

इस बात का पता लगाने की क्या आवश्यकता है कि २००० वर्ष पहले को स्मृतियों में क्या लिखा है। इसका एक ऐतिहासिक कारण है। वर्तमान न्याय प्रशासन प्रणाली ईस्ट इंडिया कम्पनी और ब्रिटिश संसद् ने जारी की थी। इसका अर्थ यह नहीं कि हम असभ्य लोग थे। जैसा कि मैंने कहा है, ब्रिटिश प्रशासन से पहले झगड़ों का निर्णय रूढ़ि के अनुसार किया जाता था। वर्तमान प्रणाली अभी हाल में शुरू हुई है। सब से पहले इसे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के कारखानों के क्षेत्रों में लागू किया गया था और वह भी केवल यूरोपियनों पर। वे इसे अन्य लोगों पर लागू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन के पास सम्पूर्ण प्रभुत्व शक्तियां नहीं थीं। एक शताब्दी के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने दिल्ली के सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिये थे। केवल तब उन्होंने न्यायालयों द्वारा प्रशासन की प्रणाली जारी की थी। ऐसे प्रशासन के लिये कुछ निश्चित एकरूप विधियों को आवश्यकता पड़ती है। शनैः शनैः उन्होंने दंड संहिता, प्रक्रिया संहिता संविदा विधियों, साक्ष्य विधि आदि को संहिताबद्ध किया। किन्तु शासक होते हुये उन्होंने धर्म के मामलों में हस्तक्षेप न करना उचित समझा। उन्हें समाज के विकास में इस प्रकार की रुचि नहीं थी जो कि हमें है। उनका काम ४००० मील की दूरी से जनसंख्या पर शासन करना था। उन्हें अन्य विधियां जारी करने की चिन्ता नहीं थी।

किन्तु मैं बताना चाहूंगा कि १८३३ के बाद लार्ड मैकाले और अन्य प्रशासकों की यह प्रवृत्ति थी कि लोगों पर लागू होने वाली विधियों को संहिता बद्ध किया जाये। परन्तु कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के कारण उन्होंने यह सोचा कि धर्म के मामलों में हस्तक्षेप न करना ही उचित है। १८६० के बाद पहली बार उन्होंने यह विनियम जारी किया कि जाति, विवाह और उत्तराधिकार सम्बन्धी मामलों में कोई विधियां नहीं बनायेंगे और लोगों पर पहले की प्रचलित विधियां ही लागू होंगी।

यह देखना बहुत रुचिकर होगा कि शूरू में उन्होंने क्या किया। उन्हें मालूम नहीं था कि इन लोगों पर कौन कौन सी विधियां लागू होती हैं और उनकी रूढ़ियां क्या हैं। वे पंडितों की सलाह लेते थे। मद्रास, बम्बई और बंगाल के विभिन्न भागों में, जहां भी कोई युरोपियन न्यायाधीश था, वह हिन्दुओं के मामलों में दो हिन्दू पन्डितों को और मुसलमानों के मामलों में दो मौलवियों या काजियों को बुला लेता था। किन्तु उन की राय भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होती थी। वर्तमान विधि इन मामलों के निर्णयों से ही बनाई गई है। यह लगभग १०० वर्ष तक तक जारी रहा। इस अवधि के बाद उन्होंने सोचा कि चूंकि भिन्न भिन्न उच्चन्यायालयों के निर्णय भिन्न भिन्न हैं, इसलिए एकरूपता लाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। किन्तु उन्होंने अनुभव किया कि ऐसा करना असंभव है। उनका विचार था कि इन मामलों में मतभेद रहने से उनको लाभ होता है, क्योंकि मतभेद जारी रहना विदेशी प्रशासन के लिए हितकर है। वर्तमान हिन्दू विधि जिसे मेरे कुछ माननीय मित्र बनाये रखना चाहते हैं, प्राचीन विधि या मनु या याज्ञवल्क्य की बनाई हुई विधि नहीं है। यह न्यायिक निर्णयों से बनाई गई है। ये निर्णय किसने दिये थे? विधि क्या ज्ञान रखने वाले न्यायाधीशों ने। किन्तु

संस्कृत के लिए वे पंडितों पर निर्भर थे । ये निर्णय उन न्यायाधिषों की राय पर निर्भर थे जो संस्कृत नहीं जानते थे और उन संस्कृत के पंडितों की राय पर जिन्हें विधि का कोई ज्ञान नहीं था । हिन्दू विधि यही है । मैं पुराने स्मृतिकारों के विरुद्ध नहीं हूं । किन्तु हमें यह देखना है कि वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें सुधार कैसे हो सकता है ?

२०० वर्ष पूर्व इस देश में किसी को हिन्दू नहीं कहा जाता था । यह शब्द ब्रिटिश प्रशासन के साथ ही यहां आया है । अंग्रेजों ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया था, किन्तु यह हिन्दुओं और मुसलमानों पर नहीं केवल ईसाइयों पर लागू होता था । अंग्रेजों की दृष्टि में हिन्दुओं और मुसलमानों के सिवाय और सब भारतीय थे । वे हिन्दुओं और मुसलमानों के विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे । मुझे यह कहने में गर्व है कि मैं भारतियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और यहां जो कुछ कर रहा हूं भारतियों के हित के लिए कर रहा हूं ।

अत: वर्तमान हिन्दू विधि न्यायिक निर्णयों पर आधारित है और इन निर्णयों में कोई एकरूपता नहीं है और यह आगे के निर्णयों द्वारा इस आधार पर बदले भी जा सकते हैं कि ये अब बहुत पुराने हो चुके हैं । इसलिए हमें इस समय जो कुछ भी करना है, वह विधायिनी प्रक्रिया के द्वारा ही करना है । यदि विधानमंडल विधान न बनाये, तो यह काम न्यायालयों को करना पड़ेगा क्योंकि किसी सभ्य शासन में यह काम किसी न किसी अभिकरण द्वारा जारी ही रहेगा । यदि कुछ भी न किया जाये, तो आजकल जो अव्यवस्था है, वह जारी रहेगी ।

१८७७ में कनिंघम ने इन न्यायिक निर्णयों का एक संग्रह इसलिए तैयार किया था कि उनमें कुछ स्थिरता और एकरूपता लाई जा सके, किन्तु अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इसका एकमात्र तरीका संहिता बद्ध करना है । उसे यह मालूम हुआ कि हिन्दू विधि में जितने भी न्यायिक निर्णय किये जा चुके हैं, उन सब में यही दिखाई देता है कि विधि को प्राचीन स्मृति ग्रन्थों या रूढ़ियों के आधार पर यथावत् समझाया गया है और यह नहीं बताया गया है कि वह (विधि) किस प्रकार की होनी चाहिए । १८७७ में इस विधि के बारे में यह राय दी गई थी । ऐसी स्थिति में क्या यह माना जा सकता है कि वे प्राचीनतावादी न्यायिक निर्णय आजकल के विधान मंडलों के उन निर्णयों से अधिक अच्छे हैं जो सार्वजनिक हित और कल्याण की दृष्टि से लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाते हैं ।

मैं समझता हूं कि मैं अपने कुछ आलोचकों को यह बात समझा सका हूं कि पुराना विधान जो आज से कई शताब्दियां पहले लागू था अब लागू नहीं है, इसे कदापि पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता और यह कि इस विषय में वर्तमान विधान न तो तर्क संगत है और न एकरूप है । यह समाज की वर्तमान अवस्था से भी नितान्त असंगत है । जहां तक इस पुराने विधान सम्बन्धी आपत्ति का सम्बन्ध है और इस विचार का सम्बन्ध है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि मैंने स्थिति को यथासंभव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है ।

दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि हम वर्णसंकर की उत्पत्ति कर रहे हैं । यह भेद-भाव उत्पन्न करने अथवा उन्हें बनाए रखने का समय नहीं है । एक ओर तो मुझे यह कहा जा रहा है कि आप केवल हिन्दू विधेयक क्यों ला रहे हैं, ऐसा विधेयक क्यों नहीं लाते जो सभी भारतियों को लागू हो सके । दूसरी ओर उसी प्रकार के वर्ग यह आपत्ति उठाते हैं कि आप वर्णों को नष्ट कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कि

[श्री पाटस्कर]

यह कहां तक तर्क संगत है। यह वर्ण क्या चीज है ? भगवद्गीता में कहा गया है :

चातुवर्णयं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः

वर्णव्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित हुआ करती थी। किस प्रकार वह बाद में गुण, कर्म से हट कर जन्म पर आधारित हो गई इस बात की जांच इस समय निरर्थक होगी। यह सत्य है कि मनु ने जन्म के आधार पर मनुष्यों के इस वर्गीकरण को माना है। स्त्रियों और शूद्रों को बहुत घटिया स्थान दिया था। किन्तु आज से दो हजार वर्ष पहले मनु द्वारा निर्धारित की गई यह व्यवस्था वर्तमान समाज को लागू नहीं हो सकती। मैं न तो इसका खंडन ही करता और न इसे न्याय संगत बताने को तैयार हूं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि मनु ने समाज में किसी समय हुई गड़बड़ की प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा किया हो। उसने कहीं भी नहीं कहा है कि इस व्यवस्था का सदैव पालन किया जाना चाहिए। उसने स्वयं कहा है कि धर्म में सदाचार भी आता है और व्यक्ति तथा समाज का हित भी सम्मिलित है। उसने सदाचार में वह चीजें भी सम्मिलित की हैं जो हमारे आत्मा को अच्छी लगती हों। अतः ऐसी चीजों का समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना अवश्यम्भावी है।

भगवद्गीता में गुण तथा कर्म के आधार पर निश्चित किए गए वर्णों का कहीं भी अस्तित्व नहीं है और वर्तमान जातिभेद उसी पुरातन वर्गीकरण का विकृत रूपमात्र है। आज से दो हजार वर्ष पूर्व इसके गुण प्रकार कुछ भी क्यों न हों अब यह पद्धति बहुत निकृष्ट रूप धारण कर चुकी है। अतः इसका अन्त अवश्य होना चाहिए।

जहां तक इस विधेयक के इस उपबन्ध का सम्बन्ध है कि हिन्दुओं में अन्तर्जाति विवाह मान्य होंगे यह चीज तो पहले ही संसद द्वारा हिन्दू विवाह मान्यता अधिनियम पारित किये जाने से मानी जा चुकी है।

तीसरी तथा अन्तिम आपत्ति यह है कि विवाह विच्छेद का उपबन्ध रख कर हम पुरातन हिन्दू विवाह पद्धति के संस्कारात्मक लक्षण का अन्त कर रहे हैं। किन्तु हमारे पुराने विधि वेत्ता कभी भी विवाह को अटूट सम्बन्ध नहीं मानते थे यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्मृति में विवाह विच्छेद के बारे में किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। किन्तु उन दिनों स्त्री को बेचा अथवा उसका परित्याग किया जा सकता था। अध्याय ९, श्लोक ४६ में इस प्रकार लिखा है :

न निष्किम विसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते।
एवं धर्म विजानीमः प्राक् प्रजापति निर्मितम्॥

अर्थात् बिकने अथवा परित्याजन परिणामस्वरूप भी कोई स्त्री अपने पति से छुटकारा नहीं पा सकती। इस प्रकार हम प्रजापति द्वारा निर्मित पुराने विधान का पूर्णतया मान करते हैं।

दूसरा श्लोक ४७ है :

सकृदंशो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते।
सकृदाह ददाभीति भिज्येतानी सतां सकृत्॥

अनुवाद यह है: —उत्तराधिकार का विभाजन एक ही बार होता है, कुमारी का विवाह एक ही बार होता है और एक व्यक्ति एक ही बार यह कहता है कि "मैं इसे विवाह में देता हूं" भले व्यक्ति यह बात एक ही बार करते हैं और यह कभी टूट नहीं सकतीं। इनकी व्याख्या इस रूप में की गयी है कि यह इस बात का प्रमाण है कि विवाह एक ही बार होता है और इस कारण वह पवित्र है।

श्री एस० एस० मोरे : यह बात सभा के सदस्यों पर लागू की जानी चाहिए।

श्री पाटस्कर : हमें इस पर अधिक गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : जो लागू है, हम उसे हटा रहे हैं और आप उसे लागू करने की बात कह रहे हैं ।

श्री पाटस्कर : वे श्लोक हैं । संस्कार का समानार्थी शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है । मैं चुनौती देता हूं, यदि कोई बता सके तो बताये। श्लोक ४६ में पत्नी को बेचने या छोड़ने की बात कही गई है, आगे बताया गया है कि ऐसी अवस्था में भी वह पति से अलग नहीं मानी जायेगी । इसी में महत्व की बात है । यह लोग पूरी बात नहीं पढ़ते । हमें इस बात पर विचार करना है कि किन बातों में ऐसी बेची गयी या छोड़ी गयी पत्नी पति से अलग नहीं समझी जायेगी । उसके बाद के श्लोकों में मनु ने स्पष्ट किया है कि ऐसी बेची गयी या छोड़ी गयी पत्नी के बच्चों का मालिक कौन होगा। श्लोक ४८ में स्पष्ट किया गया है कि यह बच्चे पति के समझे जायेंगे, न कि उस व्यक्ति के जिसके हाथ वह बेची जाती है । संभव है कि इस समय हम इन सभी बातों को सन्तति निरोध के दृष्टिकोण से देखें । यदि एक पत्नी बेच दी जाती है और उसके एक बच्चा है तो वह बच्चा उसके पति का माना जायेगा, न कि अपने नैसर्गिक बाप का ।

श्री वी० जी० देशपांडे : बच्चा नहीं बेचा जाता है ।

श्री पाटस्कर : हमें सारी बात का प्रसंग देखना चाहिए । किस प्रकार में ऐसा कहा गया है ? इस बात का अभिप्राय क्या था कि एक बेची गयी या छोड़ी गयी पत्नी का क्या होता है ? आपको सारी बात पढ़नी चाहिये हमें किसी पंडित से कहना चाहिय कि वह सम्पूर्ण अध्याय को पढ़े और किसी आधुनिक समाज के लोगों को जो उचित ढंग से सोचते हों, यह बताये कि ऐसे कहने के प्रयोजन से प्रयुक्त किये जा सकते हैं कि विवाह एक संस्कार है, संविदा नहीं। यह बिल्कुल गलत धारणा है । चूंकि यह बात मेरे सामने रखी गई थी और मैंने उचित समझा कि जो बातें मुझसे कही गई हैं उनके बारे में कुछ कहूं और पता लगाऊं कि वास्तव में अध्याय ९ में क्या है ।

जिन लड़कियों का विवाह किया गया था उनकी आयु बहुत थोड़ी थी, क्यों कि ऐसा भी उपबन्ध है कि उनका विवाह ८ या १० वर्ष की आयु में कर दिया जाना चाहिये। श्लोक ४७ में बताया गया है कि ऐसा कार्य केवल एक बार ही किया जाना चाहिये । इसमें क्या अनुचित है ? मनु आचरण नियमों को निश्चित करते समय कहते हैं कि पिता को अपनी पुत्री को वर के हाथ में एक बार ही सौंपना चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपबन्ध की आशा उनसे किसी को नहीं थी । आपको इन बातों की व्याख्या उनके उचित प्रसंग और समुचित दृष्टिकोण से करनी चाहिये । मैं उत्तर देते समय इन सब बातों को व्योरेवार बता सकता हूं । बाद में गलत व्याख्या के कारण चली हुई प्रणाली के बारे में भी मैं बता चुका हूं ; और वह एक भिन्न बात है । कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में भी इस प्रकार की सिफारिश की गई है । यदि कोई माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं । नारद स्मृति में भी यह उपबन्ध है कि कुछ विशेष मामलों में एक पत्नी को भिन्न पति रखने की अनुमति है और उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

नष्ट मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ
पंचत्सु आयत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते ।

यदि वह मृत हो, नपुंसक हो, आदि आदि कुछ लोगों ने इसकी अनोखी व्याख्या की है कि यहां पति का अर्थ पति नहीं बल्कि मंगे-

[श्री पाटस्कर]

तर है। और यदि किसी मंगेतर की मृत्यु हो जाती है, आदि .... तो यह उपबन्ध लागू होगा। यह बेकार बात है। पति शब्द का अर्थ पति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई भी तर्क इसके अर्थ को बदल नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य : वहां उसका अर्थ है सभापति।

श्री पाटस्कर : विवाह में सभापति की कोई आवश्यकता नहीं। विवाह के प्रसंग में इसका अर्थ है पति। इन सभी बातों को संभवतः कुछ लोगों और पंडितों ने गलत व्याख्या की है, जिस पर धर्म, प्राचीन सभ्यता आदि के नाम पर विरोध किया जाता है। यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि विवाह-बन्धन के इस सांस्कारिक रूप को ब्रिटिश शासन काल में ही इतना महत्वपूर्ण माना गया है और यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि हजारों वर्ष पूर्व कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों में जाति के आधार पर हुए विवाह पक्के माने जाते थे तो आज के युग में उस प्रथा को जारी रख कर किसी विशेष जाति के लिये ऐसे उपबन्ध की व्याख्या करना उचित नहीं है। जाति प्रथा के कारण भूतकाल में और इस समय भी हमें अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ीं। पर आज यह एक सामाजिक कुरीति है जिसे देश के हित के लिये शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर देना चाहिये। कुछ ऐसी संस्थाओं ने मेरे पास अभ्यावेदन भेजा है जो अपने को प्राचीन हिन्दू धर्म की रक्षा करने वालों का प्रतिनिधि समझती है।

अभी हाल में एक अभिसमय में, जिसमें श्री वी० जी० देशपांडे भी उपस्थित थे, सभापति का भाषण पढ़ कर हमें आश्चर्य हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अभिसमय का यह उचित कर्तव्य है कि वह विधान मंडल में हमें परामर्श दें और कांग्रेस दल के बेसमझी के काम, जिसमें बहुमत की बातों को कोई महत्व नहीं है, में उचित राय दें। समाचार-पत्र में ऐसा प्रकाशित हुआ था। परामर्श देना कोई बुरी बात नहीं है; कोई भी राय दे सकता है। पर मुझे आपत्ति इस बात पर है कि वे हमें पक्षपात करने वाला अविवेकी समझते हैं और यह समझते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है। वे हमें अदूरदर्शी बताते हैं। वह यह कहते हैं कि हमारे अन्दर दलबन्दी की भावना है और हम बहुमत को कुछ भी जानने का अवसर नहीं देते। प्रजातंत्रात्मक युग में चूंकि थोड़ से सदस्य बहुमत द्वारा किये गये कार्यों से सहमत नहीं हैं तो उन्हें इस प्रकार भी कोई किसी न्यायशास्त्री द्वारा बात कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर निर्णय करने का कार्य मैं सभा पर छोड़ता हूं। उनका अभिप्राय यह है कि यह विधेयक हमारे अविवेक और दलबन्दी की भावना के कारण पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि सभापति ने उस वातावरण से प्रभावित हो कर यह बात कही, अन्यथा ऐसा प्रसिद्ध न्यायशास्त्री ऐसी बात न कहता।

मैं ज़ोरदार शब्दों में यह अस्वीकार करता हूं कि यह विधान किसी अविवेक-पूर्ण दलबन्दी की भावना के कारण रखा गया है। हम लोग जानते हैं कि यह मामला १९३९ से विचाराधीन है जब कि हमारे दल की सरकार नहीं थी। फिर, वयस्क मताधिकार पर बने विधान मण्डल पर यह आरोप लगाना कि यहां नेता लोग ही नीति निर्धारित करते हैं और बहुमत को तो यह भी अवसर नहीं मिलता कि वह किसी बात पर विचार करे, एक अप्रजातंत्रात्मक बात है और प्रजातंत्र का अपमान करना है और ऐसा समझना है कि

जैसे सारी बुद्धिमता उसी व्यक्ति में केन्द्रित हो। मैं समझता हूं कोई व्यक्ति, चाहे कितना भी महान हो, निर्भीकतापूर्वक यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि जिस संविधान के अधीन हम काम कर रहे हैं उसमें ऐसे लोगों का झुंड है जो कुछ सोच विचार नहीं कर सकते।

प्रजातंत्र तथा विधान मण्डल की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में ऐसी प्रवृत्ति रख कर ही सभापति महोदय ने अभिसमय में उपस्थित लोगों के साथ महान पक्षपात करते हुए कहा कि हिन्दुओं के यहां विवाह केवल स्त्री पुरुष की वासना शान्त करने का नाम नहीं है, बल्कि एक स्थायी बन्धन है। इससे डिगने पर हमारी वह आध्यात्मिक बपौती नष्ट हो जायेगी, जिसके कारण हम संसार के अनेक लोगों से श्रेष्ठ थे। इस प्रकार उनका विश्वास है कि वह संसार के अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं। वरिष्ठता की यह धारणा आत्माभिमान के कारण है। अन्यथा इसका क्या मतलब है? कोई व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान हूं।

अभिसमय के आयोजक ने भी कहा कि विवाह विच्छेद प्रथा हमारे यहां किसी समय थी पर हमने उसे त्याग दिया था अब हम उसे पुनः क्यों चालू करना चाहते हैं। पर मैं कहता हूं कि किसी बात से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे यहां विवाह-विच्छेद प्रथा कभी थी भी। मैं नहीं समझता कि उनके इस कथन का क्या आधार है।

हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता में विवाह-विच्छेद प्रथा प्रचलित है। अतः यह कहना व्यर्थ है कि यह प्रथा टूट गई थी और हम उसे फिर से जारी कर रहे हैं।

एक दूसरा भय यह भी बताया गया कि यदि विवाह-विच्छेद का उपबन्ध रहेगा तो लोग अनुचित या अवांछित आधारों पर इसके सहारे विवाह-विच्छेद करेंगे। अभिसमय के सभापति तथा संयोजक ने कहा कि विवाह-विच्छेद करने या पुनः विवाह करने के लिये बहुतेरे लोग अपनी पत्नियों पर निष्ठाहीनता का आरोप लगायेंगे। विवाह-विच्छेद की व्यावहारिक ग्राह्यता की बात पर विचार किये बिना ही उस पर इस प्रकार सोचना हिन्दुओं के सामाजिक संगठन को गलत समझना है।

हिन्दुओं के लिये इस प्रकार बनाये जाने वाले किसी भी विधान का विरोध करने वाले वर्गों में से कुछ लोग प्रचार करते और परचे बांटते हैं। एक परचा जो हमें दिया गया है वह है पाश्चात्य समाज के वासनात्मक जीवन का विवाह-विच्छेद से सम्बन्ध का स्मरण-पत्र। यह परचे का शीर्षक है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात से किसी को गलतफहमी नहीं होगी। किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को सुलझाने का यह गलत तरीका है। हमें अमरीका या अन्य किसी देश की बुराइयों को नहीं लेना चाहिये। अमरीका के एक न्यायाधीश लिंडसे ने कई वर्ष पूर्व वासनात्मक बुराइयों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन निकाला था। कई बार लोगों ने इसका नाम उदाहरण रूप में दिया है। इन लोगों का कहना है कि विवाह-विच्छेद प्रथा के परिणामस्वरूप यह सब बुराइयां हमारे अन्दर पैदा हो जायेंगी। मैं तो कहता हूं कि किसी भी स्वतंत्र देश के नागरिकों द्वारा इस प्रकार के प्रचार का विरोध किया जाना चाहिये। हम अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकते हैं।

मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि मिस मेयो भारत में आई थीं और उन्होंने जब भारतीय समाज की कुछ बुराइयों का संग्रहीत रूप बताया तो हमने उनकी इन बातों का विरोध किया और भर्त्सना की। हमें कहीं अपने लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार

[श्री पाटस्कर]

न करना पड़े। यदि लोग इस प्रकार का आचरण करते रहेंगे तो इसकी बहुत खराब प्रतिक्रिया होगी। अतः हमारी प्राचीन हिन्दू सभ्यता की रक्षा की बात के बहाने ऐसे परचों को प्रकाशित करने के ऐसे उदारण देना उचित नहीं है। हमें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है ?

अभिसमय के सभापति ने आगे कहा है :

"कि हमें अनुभव से लाभ उठाना चाहिये और विशेष विवाह विधेयक में जो विवाह-विच्छेद की व्यवस्था है उससे संतुष्ट रहना चाहिये।" उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दू समाज के सदस्य केवल ऐसे उत्तरदायित्वहीन पात्रों की भांति नहीं हैं जो ऐसा अभिनय करते जा रहे हैं जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानते और न जिन्हें कुछ जानने की आवश्यकता है। हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता हिन्दू है और हम उसके प्रतिनिधि हैं ; अतः इस प्रकार का आरोप लगाना कहां तक उचित है कि हम हिन्दू समाज के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है, जिससे प्रगति में बाधा पड़ती हो।

हमने अब तक इसी सम्बन्ध में विचार किया है कि हम यथासंभव कौन सी कार्यवाही कर सकते हैं। हमने इस विषय पर प्रत्येक सम्भव पहलू से, विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के साथ विचार विमर्ष किया है और अभी इस विषय पर सभा में विचार होगा। किन्तु यह कहना कि यह सब लोगों के पीठ पीछे हो रहा है एक ऐसी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती है।

सभापति के भाषण में भी हम लोगों के प्रति यह एक हल्की सी धमकी है :

"हमारे विधान निर्माताओं के लिये यह स्मरण रखना हितकारी होगा कि जिन साधनों का वे उपयोग कर रहे हैं वे उनकी इच्छाओं के प्रतिफल हैं"।

इसका तात्पर्य यह है कि हम चाहते हैं कि विवाह-विच्छेद, इत्यादि प्रकार की बातें हों और हम अपनी पुरातन संस्कृति को नष्ट करके विश्रंखलता उत्पन्न करना चाहते हैं।

उन्होंने अग्रेतर कहा है :

". . . . . वे जिन साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, वे केवल उनकी इच्छाओं का प्रतिफल हो सकते हैं, किन्तु उससे लोगों की इच्छाओं में परिवर्तन तथा विद्रोह पैदा होगा तथा समय आने पर वह हमसे पूरा प्रतिशोध लेंगे।"

हमें यह धमकी दी गई है। यदि आप विधेयक के उपबन्धों का अध्ययन करें तो आपको ज्ञात होगा कि वहां कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे ऐसे परिणाम होने का भय हो। मैंने इस चेतावनी का आधार समझने का प्रयत्न किया है, किन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन दिला सकता हूं कि हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे हम पूरी तरह समझते हैं तथा जो कुछ भी हम करते हैं पूर्ण दायित्व की भावना से करते हैं। इसलिये हमें ऐसी थोथी धमकियों की चिन्ता न करनी चाहिये उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम हिन्दू विधि को जनता की सहमति से ही संहिताबद्ध कर रहे हैं। यह एक ऐसी संस्था के द्वारा हो रहा है जो अल्पाधिक रूप में उस जनता का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर कि यह विधि प्रयुक्त की जायेगी। यह चेतावनी इस बात का संकेत है कि कुछ

लोग सामाजिक तरतीब को राजनैतिक रूप देना चाहते हैं तथा राजनैतिक प्रचार के लिये उसका प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के अभिसमय का कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। अभिसमय में एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि :—

"हिन्दुओं के लिये विवाह एक अविच्छेद्य बन्धन है।" यह शब्द एक भूतपूर्व न्यायाधीश ने कहे थे। क्या हिन्दू शब्द से उनका तात्पर्य जन संख्या के उस थोड़े से प्रतिशत से है जिसमें विवाह-विच्छेद प्रचलित नहीं है ; अथवा हिन्दू शब्द से उनका तात्पर्य हिन्दू कहे जाने वाले सभी व्यक्तियों से है। उन्होंने न्यायाधीश लिंडसे की पुस्तकों का भी स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग किया है।

अभिसमय की कार्यवाही से यह प्रगट हुआ कि मानों वे हमसे कह रहे हों "देखिये कुछ वर्ष पूर्व लिंडसे ने यह कहा था कि अमरीका में यह हुआ है। सावधान रहिये यदि आप यहां ऐसा करेंगे तो यहां भी यही होगा।" मैं नहीं जानता कि ऐसे विचार कहां तक न्यायोचित कहे जा सकते हैं। निःसंदेह हम इन कई मामलों के सम्बन्ध में विधान बना रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार अंग्रेज़ी प्रशासकों को इसे संहिताबद्ध करना अपने हित में अच्छा ज्ञात नहीं हुआ। उनका पहले इसे संहिताबद्ध करने का विचार था। वस्तुतः यदि उन्होंने यह पहले ही कर दिया होता तो हमें आज यह कष्ट न उठाना पड़ता। आज भारतीय दंड संहिता, दण्ड-प्रक्रिया संहिता, संविदा अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों की कौन शिकायत करता है जिसमें इस प्रकार की कई व्यवस्थायें हैं। कोई भी शिकायत नहीं करता। मैं उन दिनों पारित हुए अधिनियमों का संक्षिप्त उल्लेख करूंगा। वे हैं—बंगाल सती विनियमन अधिनियम, १८२९, हिन्दू विधवा-पुनर्विवाह अधिनियम, १८५६, आर्य विवाह वधता अधिनियम, इत्यादि। स्वाभाविक था कि दूसरे अधिनियम के सम्बन्ध में पहिले कुछ विरोध हुआ किन्तु १८५६ से अब तक यह सफलतापूर्वक चल रहा है। तत्पश्चात् आर्य विवाह वैधता अधिनियम तथा १९४९ का हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम जिससे अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति दी गई तथा हिन्दुओं की परिभाषा में वे सभी व्यक्ति जोड़ दिये गये जिन पर यह विधेयक प्रयुक्त होता है।

जब विभिन्न जातियों, हिन्दू के बीच, हिन्दू जैन के बीच तथा हिन्दू तथा ऐसे किसी अन्य जाति के बीच जिस पर यह विधेयक प्रयुक्त होता है विवाह को मान्यता प्राप्त है तब विवाह के ब्रह्म रूप का क्या तात्पर्य है ? मुझसे यह प्रार्थना की गई है कि विवाह का ब्रह्मरूप सुरक्षित रहे तथा कोई एसा उपबन्ध रखा जाय कि कम से कम ब्रह्म विवाह का विच्छेद न हो। मुझे आग्रहकर्ताओं की भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति है; किन्तु वर्तमान अवस्था क्या है ? पहले हमारे यहां आठ प्रकार के विवाह होते थे, जिन्हें ब्रह्म, गन्धर्व, असुर, पिशाच, राक्षस इत्यादि नाम दिये जाते थे। वे सब मिट चुके हैं तथा न्याय-निर्णय से विहित वर्तमान विधि यह है कि हिन्दू के बीच का विवाह ब्रह्म विवाह है। मैं नहीं जानता कि विभेद किस प्रकार किया जाय। यही मेरी कठिनाई है।

साथ ही साथ इस समय यदि हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस वर्तमान असंतोषजनक अवस्था को, कि विधि का निर्णय न्यायाधीशों द्वारा किया जाय तथा संसद् जिसका यह कर्तव्य है, हाथ बांध कर निष्क्रिय बैठी रहे तब तो दूसरी बात है। मुझे उन

[श्री पाटस्कर]

लोगों से पूरी सहानुभूति है जो यह आग्रह करते हैं कि ब्रह्म विवाह का विलयन नहीं होना चाहिये, क्योंकि कुछ भी हो, विवाह ऐसी हल्की वस्तु नहीं है कि लोग इसे इस दृष्टि-कोण से देखें कि एक व्यक्ति आज विवाह करे और वही कल विवाह-विच्छेद के लिये प्रस्तुत हो जाय। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति इस रूप-में विचार नहीं करता। विधेयक के समर्थक भी इस पर उक्त दृष्टिकोण से विचार नहीं करते हैं।

वर्तमान समय में विधि इस प्रकार की सभी व्यक्तियों के मामलों में विवाह को ब्रह्म विवाह ही समझा जायगा। इसलिये हम इस तथा अन्य प्रकार के विवाहों में किस प्रकार अन्तर कर सकते हैं? अग्रेतर प्रश्न यह है कि यदि आप इसे अपवाद मानते हैं तो यह किस प्रकार का होगा? यह द्विजों के आधार पर होगा अथवा संस्कार विहीन हिन्दुओं के आधार पर? द्विज कौन हैं तथा संस्कार विहीन कौन हैं। हम जानते हैं कि इस सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई हुई है। विंध्याचल के दक्षिण में रहने वाले हमें हिन्दू लोग जानते हैं कि द्विज तथा संस्कार-विहीन जातियों के भेद के कारण हमें कितनी कठिनाई होती है। हममें से जो लोग दक्षिण भारत में रहते हैं वे जानते हैं कि आज हम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन सबका कारण भी यही है। और मैं इस प्रकार के विभेद को स्थायी रखने का कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं जो लोग विवाह को अटूट बन्धन मानते हैं उनकी भावनाओं का आदर करने के लिये मैं सब कुछ करने को प्रस्तुत हूं। वास्तव में उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिये इस विधयक में कुछ भी नहीं किया गया है, किन्तु मैं द्विज तथा इतर जातियों के विभेद को जो पिछली शताब्दी से हमारे कई कष्टों एवं संघर्षों का मूल कारण रहा है, बनाये रखने का कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं।

अब मैं कुछ बातें कह कर भाषण समाप्त करता हूं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह एक सामाजिक महत्व का मामला है जो देश तथा उसके प्रत्येक वर्ग के लाभ के लिये प्रस्तुत किया गया है विशेषतया स्त्रियों के लिये; क्योंकि अब तक पुरुष जाति इस सम्बन्ध में स्त्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकारों एवं पूर्ववर्तिताओं का उपयोग कर रही थीं। देश की वर्तमान स्थिति में प्राचीन संस्कृति की पवित्रता को स्थिर रखने के नाम पर हम इस प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना समाज के साथ विद्रोह होगा। जो लोग धर्म के नाम पर इन पूर्ववर्तिताओं को बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं उनसे यह अपील करता हूं कि वे तनिक उन परिणामों पर विचार करें जो कि स्त्रियों को जिनकी संख्या देश की कुल जनसंख्या की आधी है तथा संविधान के अनसार जिन पर राज्य सत्ता आधारित है, इन अधिकारों से वंचित करने पर होंगे। यदि हमने इन समस्याओं को न्याय्य रूप से तथा सुचारुता से सुलझाने का प्रयत्न न किया तो केवल भावनाओं को स्पर्श करने से असामाजिक तथा अन्यायपूर्ण अधिकार नहीं बने रह सकते हैं।

मैं जानता हूं कि विवाह-विच्छेद का विचार कुछ व्यक्तियों के लिये इतना ही अच्छा है जितना कि धार्मिक निष्ठा अथवा विश्वास। मुझमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव है। मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है क्योंकि सभी को इन मामलों में अपने निजी सिद्धान्त रखने का अधिकार है मुझे विश्वास है कि मैं इस विधेयक से इन लोगों के सिद्धान्त, विश्वास तथा भावनाओं पर आघात नहीं

कर रहा हूं। विधेयक के पारित होने के पश्चात् यह अनिवार्य नहीं है कि लोग विवाह-विच्छेद करेंगे, यदि कुछ लोग अपने आदर्श तथा विश्वासों को दृढ़ रखने के निमित्त विवाह-विच्छेद को दूर रखना चाहते हैं तो यह वास्तव में इस विधेयक की भावना के अनुकूल ही होगा। वस्तुतः हमने यह व्यवस्था रखी है कि यदि दोनों पक्ष न्यायालय में चले भी जायें तो न्यायालय भी उनमें मेल करवाने का ही प्रयत्न करेगा। कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार का विच्छेद हो। इसलिये मैंने कहा है कि मुझे इस भावना से पूर्ण सहानुभूति है। किन्तु उन्हें अपनी भावना दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिये। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे दूसरे को हानि हो। ऐसा नहीं है कि विवाह-विच्छेद की अनुमति मिल जाने पर प्रत्येक विवाहित व्यक्ति दूसरी स्त्री की ओर दौड़ पड़ेगा। यह भी नहीं होगा कि कुछ समय पश्चात् बहुत से विवाहित लोग विवाह-विच्छेद के लिये दौड़ पड़ेंगे। हमारे देश में इसकी संभावना नहीं है, हमारे समाज में, जिस पर हमें गर्व है यह नहीं हो सकता।

इसके प्रतिकूल मैं उन लोगों से जो इस प्रश्न को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं यह निवेदन करता हूं कि जो लोग किसी एक अथवा अन्य कारण से अपने को प्रजातंत्रात्मक देश के परिवर्तित समाज के अनुरूप नहीं ढाल सकते हैं तो वे अपने को यथाशीघ्र देशकाल के अनुरूप बदल लें। व्यक्तिगत आदर्श धर्म तथा भावना का आदर करना चाहिये। उनका आदर किया जाता है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे समाज की प्रगति को अवरुद्ध कर द तथा दूसरों की इच्छाओं पर हावी हो जायें।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इन मामलों को विशुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिये हम किसी भी राजनैतिक परिवर्तन की चेतावनी से भयभीत नहीं हो सकते।

हम इस विधेयक को किसी दल विशेष के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, प्रत्युत देश की जनता के प्रतिनिधियों के रूप में लाये हैं। हम अपने समस्त ज्ञान तथा योग्यता से वही करना चाहते हैं जो कि समाज तथा देश के निमित्त उचित तथा हितकारी होगा। हमारा आदर्श यह है :

सर्वे सुखिनः सन्तु
सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
न कश्चित दुखम आप्नुयात्॥

यह हमारा आदर्श है। हम उक्त आदर्श की प्राप्ति करना चाहते हैं। अपने आदर्श की प्राप्ति के लिये इस प्रकार की तरकीब आवश्यक है। उक्त दृष्टिकोण अर्थात् विशुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा तथा विश्वास है कि विधेयक शीघ्र ही पारित होगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वी० जी० देशपांडे : श्रीमान् मेरा विनम्र निवेदन है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १४ तथा २५ का विरोधी है।

सभापति महोदय : मैं आपको भाषण देने के लिये सर्व प्रथम अवसर दूंगा ; तब आप इस प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री लोक नाथ मिश्र (पुरी) : इस विधेयक पर सजीव तथा दिलचस्प चर्चा होने की आशा है, इसलिये हममें से प्रत्येक को मंत्री जी के भाषण की एक प्रति दी जाये तथा भाषण कर्ताओं के नाम सूचित किये जायें, जिससे कि हमें निराश न होना पड़े। यह एक सामाजिक विषय है इस पर प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार पूरी चर्चा होनी चाहिये

सभापति महोदय : मैं प्रयत्न करूंगा कि भाषण की प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जाये। जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत होता है तो उस पर भाषण करने के लिये सामान्य नियंत्रण होता है। यदि सदस्य चाहें तो वे सीधे अथवा दल के सचेतकों द्वारा अपनी चिट (सूचना) भेज सकते हैं ; किन्तु जब तक मैं पीठासीन हूं उन्हें अपने स्थान पर खड़े हो कर सभापति का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : भाषणकर्ताओं का चुनाव दल के आधार पर नहीं होना चाहिये ।

सभापति महोदय : इस पर सब सहमत हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस विधेयक के लिये ३० घंटे का समय नियत किया गया है। जिसमें से मंत्री महोदय एक घंटा दस मिनट ले चुके हैं। इतना ही वह अन्त में लेंगे। लगभग २ घंटे खंडों की चर्चा पर व्यय होंगे। इन सब का ध्यान रखते हुये इस विधेयक का समय पांच घंटे बढ़ा दिया जाये ।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणादात्री समिति इन सभी बातों पर पहले ही विचार कर चुकी है। अब हमें विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ करनी चाहिये ।

श्री वी० जी० देशपांडे : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक की विधान बाह्यता का सम्बन्ध है, उसके बारे में में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे अधिक समर्थ लोग इस विषय पर बोलने वाले हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमने भारतवर्ष में रहने वाले सब लोगों को अपने संविधान के द्वारा बड़ी गम्भीरता के साथ यह आश्वासन दिया था कि सबके साथ समान बर्ताव किया जायेगा, किन्तु आज आप यह विधेयक हमारे सामने ला रहे हैं, जिसका सम्बन्ध केवल हिन्दुओं की विवाह पद्धति से है। मैं देखता हूं कि यहां पर मेरे रोमन कैथोलिक मित्र बैठे हुये हैं, मुसलमान मित्र बैठे हुये हैं, किन्तु आप केवल हिन्दू स्त्री के लिये कानून बना रहे हैं, मुसलमान स्त्री के लिये नहीं, जब कि उनके यहां बहुपत्नीत्व मौजूद है। आपकी समानता की भावना मुसलमान स्त्रियों को मुक्त करने के लिये जाने की ताकत नहीं रखती। यह तो पहली बात है ।

दूसरी बात यह है कि तलाक के विषय में, विवाह-विच्छेद के विषय में हिन्दूओं की उन्नति करने की आपके हृदय में जितनी चिन्ता और भावना है, उतनी रोमन कैथोलिक और मुसलमान के लिये नहीं है और न ही उसके लिये आपके पास सामर्थ्य है। इस धर्म निरपेक्ष राज्य के संविधान में धारा १४ में आपने सबके साथ समानता का व्यवहार करने का निश्चय किया था। आपने उसको तिलांजलि दे दी। धारा २५ में यह आश्वासन दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को इस देश में अपने-अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है। मैं कानूनी बातों में जाना नहीं चाहता हूं कि धार्मिक रूप से आचरण करने का अधिकार का अर्थ क्या होता है। अभी विधान मंत्री जी ने बताया है कि धर्म के विषय में क्रिश्चियन और हिन्दू की व्याख्या में बहुत फर्क है। इसी कारण से मैं कहता हूं कि अपने धर्म के अनुसार ब्रह्म-पद्धति से मैंने जिस विवाह को संस्कार के नाते किया है, उसका कभी विच्छेद नहीं हो सकता है। इस विधेयक के द्वारा आप मेरे धर्म स्वातंत्र्य को आघात पहुंचाना चाहते हैं। इतनी वैधानिक आपत्ति करने के पश्चात् मैं विधेयक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

प्रारम्भ में मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि माननीय विधी मंत्री का भाषण सुन

कर मुझे बड़ी निराशा हुई है। बात यह है कि हम तो प्रतिगामी लोग हैं, केवल शास्त्रों की बातें बताते हैं, केवल श्लोक कहते हैं। इसलिये हमें तो यही मालूम होता है कि आज एक और मनु या शंकराचार्य या याज्ञवल्क्य संसार को एक नया विधान देने के लिये पृथ्वी पर आ गया है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारे समाज में ऐसा कौनसा परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण हजारों साल से चली आ रही और मानी जा रही हमारी इस विवाह-संस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता आ पड़ी है। इस बारे में एक भी दलील हमारे विधान मंत्री ने नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई और वह यह कि धर्म शास्त्र भी बदलता है और क्योंकि वह पहले भी बदलता था, इसलिये अब भी बदलना ठीक है। उसको कोई भी बदल दे। पहले स्त्री और पुरुष में विवाह होता था; आप पुरुष-पुरुष में विवाह करें। आखिर बदल ही तो करनी है – परिवर्तन ही तो करना है। "परिवर्तन करना चाहिये" केवल इतना कहने से आपकी बात चलने वाली नहीं है। मैं तो विधान मंत्री से इस बात की अपेक्षा करता था कि वह हमको बतायेंगे कि जिस मनोगाम एक पत्नीत्व को हम मानते आ रहे हैं, जिस विवाह-विच्छेद का हम विरोध करते आ रहे हैं, समाज की किन परिस्थितियों के कारण वह उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं और समाज में उनके कारण कितनी कुप्रथायें पैदा हो रही हैं। हमारे विधान मंत्री हिन्दुस्तान के बाहर जाना नहीं चाहते हैं। वह नहीं जानते कि अमरीका में क्या हो रहा है, इंगलैंड में क्या हो रहा है। लिंडजे का उन्होंने नाम ले दिया। मेरे सामने एक पुस्तक, है जिसमें लिंडजे के एक दो कोटेशन्ज होंग। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सी अतिरिक्त सूचना और आंकड़े हैं। इसमें कोट्स के डिसिज़न हैं। इसमें बताया गया है कि किस किस अवस्था में वहां विवाह-विच्छेद हुए हैं। इसमें यहां तक बताया गया है कि यू० एस० ए० में हर साल कितने विवाह होते हैं और कितने विवाहों का विच्छेद होता है। एक साल के आंकड़े दे कर बताया गया है कि ढाई विवाहों का परिणाम एक तलाक होता है अर्थात् अगर ढाई विवाह होते हैं तो एक तलाक होता है। जब यह बात यहां पर रखी जाती हैं, तो जवाब दिया जाता है कि हम ऐसी बात चुन-चुन कर यहां लाते हैं।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

दलील की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की दलीलें दे कर आप इस प्रकार का प्रगतिशील बिल, जैसा आप इसे समझते हैं लेकिन मेरे विचार में तो यह ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं तो इसे विल्कुल उल्टा मानता हूं—ले आयेंगे, यह मैं नहीं समझता था। हजारों वर्षों से जिन बातों पर हम विश्वास करते आये हैं और जिनको बिल्कुल ठीक समझते आय हैं उनमें परिवर्तन करने के लिये जब आप हमारे सामने आते हैं तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है, आपका यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि आप बताते कि जो दशा हिन्दू समाज की आज है उसमें सुधार करने के पश्चात् समाज में यह नई परिस्थितियां होंगी और यह सुधार होंगे। यह बताने का आपका कर्तव्य था लेकिन यह बताने की आपने कृपा नहीं की। आपने केवल इतना ही बताया कि प्राचीन काल में शास्त्रों में परिवर्तन होते रहे हैं। यह बड़े भाग्य की बात है कि हमारे विधि मंत्री को शास्त्रों का बहुत ज्ञान तो नहीं है, जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं उनके विरुद्ध तो कुछ कहना नहीं चाहता, मेरे से शायद ज्यादा ज्ञान हो यह मैं मानता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्रों का अध्ययन बड़ी गम्भीरता से करना पड़ता है। उन्होंने एक दो श्लोक यहां से ले लिये और एक दो वहां से ले लिये, बिना शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन किये, एकदम इस सदन के

[श्री वी० जी० देशपांडे]

सामने आ गये और कहने लगे हिन्दू विवाह या जो हिन्दू संस्कार हैं इनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उनके विचार में पहले तो हिन्दू विवाह एक सौदा होता था इस वास्ते इस प्रकार के सौदे को खत्म करने के लिये वे एक क्रान्तिकारी संशोधन यहां ले आये। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार जो हमारे १६ संस्कार हैं उनमें एक हिन्दुओं का विवाह, यह भी एक संस्कार माना गया है और यह एक प्रमुख संस्कार है। हिन्दू धर्म में जिस प्रकार एक स्त्री के लिये पातिव्रत धर्म का पालन करना आवश्यक है उसी प्रकार एक पुरुष के लिये भी पत्नीव्रत का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। जब एक हिन्दू का विवाह होता है वह तीन महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है और वे तीन महान उद्देश्य हैं, अर्थ, धर्म और काम। हिन्दुओं में विवाह केवल काम के लिये ही नहीं बल्कि धर्म के लिये और पुत्र उत्पादन के लिये किया जाता है। इस प्रकार की बातें हम हजारों वर्षों से मानते आये हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ शास्त्रों में लिखा है उसको आप अलग रख दीजिये। मेरा तो उनमें पूरा विश्वास है, लेकिन आप इस बात को छोड़ दीजिये और इन शास्त्रों की बात को छोड़ कर जो दो तीन बातें मैं देखता हूं, बाकी बातों पर जब क्लाज बाई क्लाज कंसिड्रेशन शुरू होगा उस वक्त बोलूंगा और बताऊंगा कि किसप्रकार यह शास्त्रों के विरुद्ध हैं, उनकी चर्चा करूंगा। पहले किस प्रकार के शास्त्रों पर आघात हुए हैं यह बताने की मुझे यहां बहुत आवश्यकता महसूस नहीं होती है। परन्तु मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि इस बिल की अनेक क्लाज़ेज़ जैसे ५(ए), ६, १२(१)(ए) इत्यादि हमारे शास्त्रों के बहुत दूर गयी हैं। परन्तु जसे मैंने कहा कि शास्त्रों से दूर जाने की बात को आप अलग रखिये और अलग रखने के बाद आप मुझ बतायें कि जो दो बातें जिनका मैं अभी उल्लेख करूंगा अपने पाश्चात्य लोगों के अनुकरण से आप यहां ला रहे हैं; उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने यहां पर ऐवालिशन आफ कास्ट, मोनोगैमी और डाइवोर्स इन तीन बातों पर ज़ोर दिया है और इन तीन बातों को इस बिल में ला रहे हैं। कास्ट के बारे में मुझ कुछ कहना नहीं है, क्योंकि यह आज एक प्रमुख विषय नहीं है। बाकी दो बातों पर मैं अपनें यहां पर विचार रखना चाहूंगा। मोनोगैमी का जो आपने अधिकार दिया है इस अधिकार को सिद्ध करने के लिये आपको यहां पर दलीलें देनी चाहिये थीं परन्तु ऐसा करने के बजाय आपने यह कह दिया है कि आज इसकी बहुत आवश्यकता थी कि समाज में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन आये। इस तरह के शब्द कह कर काम चलने वाला नहीं है। इस मामले के बारे में भी आप शास्त्रों में न जायें, वेदों में न जायें मनुस्मृति में न जायें लेकिन आपको इतना तो बताने की आवश्यकता थी कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस बात को आपने सिद्ध नहीं किया। एक एक विषय पर जो आक्षेप आते हैं मैं उन को बतलाऊंगा केवल धर्म का इंटरफीयरेस, केवल वर्ण-संकर सैक्रिमेंटल कैरेक्टर है यह तीन बातें कह कर काम चलने वाला नहीं है। आप पहली बात मोनोगैमी की जो है उसको लीजिये। हिन्दुओं में न केवल पातिव्रत है बल्कि पत्नीव्रत भी है।

मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक कांग्रेस दल के सदस्य मेरे माननीय मित्र श्री राने ने इसके बारे म एक संशोधन रखा है। अपने संशोधन में आपने लिखा है कि यह मीनोगैमी जो है इससे बड़ी तकलीफ हो रही है। और यह बढ़ती ही जा रही है बम्बई के प्रान्त में यह चीज़ें उन्होंने देखी हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम तो कांग्रेस पार्टी

के एक सदस्य हो, तुमने ऐसी समझदारी का संशोधन कैसे रखा है। इसके जवाब में वे कहने लगे कि भाई यह पार्टी का सवाल नहीं है। बम्बई में एक एक्ट है। मैं लोगों में घूमता हूं और बहुत ज्यादा तकलीफ देखता हूं। इस तकलीफ को देखते हुए मैंने यहां अपना एक संशोधन किया है कि कोई विशेष परिस्थिति में कोर्ट की अनुज्ञा से पुरुष को दूसरा विवाह करने की अनुज्ञा होनी चाहिये और जो परिस्थिति रखी गई है वह यह है कि अगर किसी स्त्री को कोई बीमारी हो जाये कि जो बीमारी ठीक न होती हो तो पुरुष को इनकी समझ में स्त्री को निकाल देने का हक़ होना चाहिये। उनको डाइवोर्स करने का अधिकार होना चाहिये। हमारे राने साहब का सुझाव है कि किसी की पत्नी को कोढ़ होता है, कोई बीमारी पड़ती है तो उसको अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार नहीं होना चाहिये किन्तु उसकी सम्मति से और कोर्ट की अनुज्ञा से दूसरा विवाह करने का अधिकार होना चाहिये। मैं तो आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरे एक मित्र हैं उनका लड़का दो साल से लुनेटिक हो गया है और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे अपने लड़के को घर से निकाल दें और कहें कि यह मेरा लड़का नहीं है। इस प्रकार से मेरी पत्नी जिससे कि मेरी दो साल हुये शादी हुई हो वह यदि लुनेटिक हो जाये और एक साल में या दो साल में अच्छी नहीं होती तो क्या मुझे उसे निकाल देना चाहिये, क्या मुझे उसे डाइवोर्स दे देना चाहिये। मैं समझता हूं यह जो आप कर रहे हैं यह कोई प्रगति की बात आप नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें यहां लाना ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ आप कहते हैं कि जो मोनोगैमी है यह ज्यादा उदारता की है। मुझे तो आपको बतलाना है कि आज इस देश में जो पोलोगैमी जो हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है। आप प्रदेशों की तरफ देखते नहीं हैं, आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखते नहीं हैं, आप तो केवल पाश्चात्य देशों का अनुकरण करना चाहते हैं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राव कमेटी जो दस साल पहले नियुक्त की गई थी और उसने जो रिपोर्ट दी थी उसके पश्चात् आपने कौन से स्टैटिस्टिक्स एकत्र किये हैं? आप तो लोगों की भावना को देखना नहीं चाहते। आप यह भी नहीं देखना चाहते कि कितने लोग इस देश में दूसरा विवाह करते हैं। किन किन परिस्थितियों में ऐसा करते हैं, किन किन कारणों से करते हैं। उनको सजा होनी चाहिये या नहीं। दिल्ली में, पूना में, नागपुर में—मैंने देखा कि दूसरे विवाह हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं? धर्म के ठेकेदार नहीं कर रहे हैं। इन विवाहों को तथाकथित प्रागतिक पुरुष और स्त्रियां कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे पुरुष का विवाह होता है। कुछ समय बाद एक पढ़ी लिखी स्त्री आकर उससे विवाह करती है और उसकी गृहस्थी को बिगाड़ देती है। इसको आपको रोकना चाहिये।

श्री यु० एम० त्रिवेदी : औचित्य प्रश्न के हेतु कहना चाहता हूं कि न तो यहां पर विधि मंत्री हैं और न कोई और मंत्री।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं भी एक मिनिस्टर हूं। मैंने भी शपथ ग्रहण की हुई है।

श्री वी० जी० देशपांडे : आपने देखा है कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों में बहु-पत्नीत्व बढ़ रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने परिपत्रक निकाल कर इस प्रकार के विवाह रोकने की कोशिश की थी। लेकिन इस कानून द्वारा पहली स्त्री को निकाल कर दूसरी स्त्री को करने का अधिकार उनको आप दे रहे हैं। अगर किसी को अपनी पत्नी अच्छी नहीं मालूम हुई और कोई दूसरी स्त्री उसकी

[श्री वी० जी० देशपांडे]

गृहस्थी पर डाका मारने आ गई तो आप उसको ऐसा करने का अधिकार इस कानून द्वारा दे रहे हैं। इस प्रकार के विवाह न हों इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध इस कानून में नहीं है, बल्कि आप इस प्रकार के विवाह करने वालों को एक प्रकार से बख्शीश देने की बातें कर रहे हैं। उन लोगों को कोई भी दंड इस कानून के अनुसार मिलने वाला नहीं है। इस बहु-पत्नीत्व को आपको रोकना है। लेकिन यह बिल उसका इलाज नहीं है। हमारे शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की जो बातें करते हैं उनको सजा देने का विधान है। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई स्त्री इस प्रकार से किसी के वैवाहकि जीवन को बिगाड़ने का प्रयत्न करे तो उसे सजा मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष को संबोधन करे।

श्री वी० जी० देशपांडे : जिसका पहले विवाह हो चुका है उसे आप दूसरा विवाह करने की अनुमति देते हैं। हमारी विवाह पद्धति स्त्री पुरुष को एक प्रकार की सेंस आफ सीक्योरिटी देती है। एक छोटी देहात की लड़की का एक बड़े से बड़े आदमी से विवाह हो जाता है, फिर वह आदमी चाहे मिनिस्टर बने या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, वह स्त्री समझती है कि मेरे पद को कोई ले नहीं सकता। वह आनन्द के साथ अपने जीवन क्रम को चलाती है। और पुरुष भी यह समझता है कि वह बाहर चाहे जितने धक्के खाये, चाहे जित ी लड़ाइयां लड़े, लेकिन उसके घर के अंदर एक निष्ठावान जीव बैठा है जो उसका आदर करता है और उससे प्रेम करता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब कोई छोटा आदमी बड़ा आदमी हो जाता है तो वह सोचता है कि पहली स्त्री को निकाल दे और एक पढ़ी लिखी प्रगतिशील से विवाह करे जो व्याख्यान दे सके, मन्दिरों में न जाये। वह आदमी ऐसी स्त्री को ले आता है। तो आज हमें उस पहली स्त्री का संरक्षण करने की अत्यन्त आवश्यकता है। आपने जो कानून बनाया है क्या उसके अनुसार एक स्त्री कोर्ट में जाकर अपना डिफेंस कर सकती है। उसको आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं दिया हुआ है। पुरुष अदालत में जा कर गवाही भी दे सकता है और स्त्रियों पर इल्जाम भी लगा सकता है और अपना संरक्षण करने में भी समर्थ है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस कानून से कोई फायदा उठा सकता है तो वह पुरुष वर्ग ही है और स्त्री उसके सामने असहाय हो जायेगी। इस देश में हिन्दू विवाह कानून ने जो एक प्रकार की सुरक्षितता पुरुषों को और विशेषकर स्त्रियों को दी थी वह इस कानून से नष्ट हो जायेगी। अभी बम्बई में एक अभिनेत्री नें एक मुसलमान के साथ शादी कर ली। उसके साथ दो चार महीने रही। कई दिन हुये तो उसको मालूम हुआ कि उसके पति ने उसको १५ दिन पहले तलाक दे दिया। उसको यह भी मालूम नहीं हुआ कि यह यूनीलेटरल डाइवोर्स कैसे हो गया। हमने जो हिन्दू विवाह कानून में सुरक्षा की भावना रखी है इससे हमारे यहां वैवाहिक जीवन में बहुत आनन्द का निर्माण हुआ। लेकिन आज जीवन के प्रति एक रोमांटिक एप्रोच दिखलायी देती है जिसमें एक अद्भुत रमणीय और प्रेम की भावना रहती है। और उसमें जीवन की एक प्रकार की स्वतंत्रता रहती है। आज उस भावना पर अधिक जोर है। हमने वैवाहिक जीवन में बाल बच्चों का पालन पोषण, समाज का संगठन आदि का ध्येय अपने सामने रखा था। आपने इस कानून में तलाक को रख कर स्त्री की हालत को खराब कर दिया है। अगर यह

कानून पास हो गया तो इससे स्त्री की अवस्था खराब हो जायेगी ।

मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि यदि कहीं अपवादात्मक परिस्थिति में किसी स्त्री या पुरुष के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसका प्रतिकार किया जाये । उसके लिये मेरे दिल में जगह है । मेरे दिल में उनके लिये सहानुभूति है । मैं चाहता हूं कि समाज में इस प्रकार की एक व्यवस्था हो कि किसी के साथ अन्याय न हो । इतना तो मैं मानने के लिये तैयार हूं । परन्तु अन्यथा वैवाहिक जीवन में परिवर्तन का मैं पक्षपाती नहीं हूं । सामाजिक जीवन को स्थिर बनाये रखने के लिये, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिये, उनकी शिक्षा आदि के लिये और कौटुम्बिक जीवन को स्वस्थ बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि स्त्री पुरुष तलाक न लें और केवल धर्म के ठेकेदार ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रगतिशील विचार वाले भी इस तलाक की प्रथा के विरुद्ध हैं । आज एक या दो पुरुषों या स्त्रियों को तकलीफ न हो इसके लिये हम पूरी प्रजा के जीवन को अस्वस्थ बना रहे हैं और जनता के जीवन में इस कानून द्वारा मत्सर और द्वेष का प्रवेश कर रहे हैं; जो प्रगतिशील लोग हैं उनके लिये हमने पहले ही यहां पर विशेष विवाह विधेयक पास कर दिया है । ऐसा करने के पश्चात् आप क्यों जान बूझ कर इस कानून द्वारा हिन्दुओं की भावना को ठस पहुंचाते हैं ।

मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने विधि मंत्री का भाषण सुना । वह तो समझते थे कि इसके पक्ष में एक भी दलील देने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हम इसमें शोधन कर रहे हैं, पर उसके पक्ष में दलील देने का उन्होंने सौजन्य नहीं दिखलाया । आप एक बहुत महत्व का विधेयक ला रहे हैं । मैं आपसे गम्भीरतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि ऐसा जल्दी में न करें। दस घंटे में या बीस घंटे में या तीस घंटे में इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन होने जा रहा है । कुछ लोग हमारी बात का और हमारे विवाह कानून का मखौल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह मखौल करने की चीज़ नहीं है । विवाह हमारे यहां एक बड़ी निष्ठा की चीज़ है । हमारे दुश्मन भी जब इस निष्ठा को देखते हैं तो हमारी प्रशंसा करते हैं । आप देख सकते हैं कि महरौली में अल्लाउद्दीन की टूम्ब पर लिखा है कि "हिन्दुस्तान की स्त्रियों ने मुझे हराया है ।" उस पर फारसी में लिखा है कि जलती हुई मोमबत्ती पर पतंग जलते हैं यह तो हमको मालूम है, लेकिन बुझे हुए दीपक पर मरने वाले पतंग मैंने इस देश की स्त्रियों के रूप में ही देखे हैं । इस प्रकार उसने यहां के स्त्रीत्व की प्रशंसा की है । उसने चित्तौड़ का जौहर देखा हुआ था । हमारे यहां के वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की निष्ठा है, इसलिये इसका मखौल नहीं करना चाहिये । हमने इस देश के अन्दर एक महान आदर्श का निर्माण किया था । उस उच्च आदर्श के अनुसार हम सैंकड़ों, हजारों वर्ष तक चलते रहे, जो लोग हमारे साथ नहीं चल सके उनको हमने स्वतंत्रता दे दी कि वे रिवाज के अनुसार चलें । लेकिन आज कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रगतिशील बने हुये इस निष्ठा का मखौल करते हैं और इसको अधोगति का लक्षण समझते हैं । ऐसे लोगों के लिये हमने विशेष-विवाह विधेयक का निर्माण कर दिया है । यह कानून बनाने के पश्चात् भी आप जान बूझ कर धर्म का मखौल कर रहे हैं और वह कार्य पाटस्कर जी जैसे सामान्य और वृद्ध पुरुष के द्वारा हो रहा है । वह कहते हैं कि पहले यहां विवाह संस्कार नहीं होता था, इसका निर्माण ब्रिटिश लोगों ने किया है । हम विवाह के अवसर पर यह प्रतिज्ञा लेते हैं :

[श्री वी० जी० देशपांडे]

"धर्म च अर्थ च कामे च, नाति चरामि नाति चरामि"

इतनी महान प्रतिज्ञा हम लेते हैं जीवन की पवित्रता के लिये, स्त्री की सुरक्षितता के लिये, बच्चों के पालन पोषण के लिये और समाज को स्वस्थ बनाने के लिये। इस कार्य के लिये हम विवाह द्वारा एकत्र होते हैं। हमने इस विवाह संस्था के मन्दिर का निर्माण किया है और हम इस पृथ्वी पर इसका गौरव समझते हैं। आप देखेंगे कि आपके बाक़ी सब सुधार नष्ट हो सकते हैं, बाक़ी आपका ऐश्वर्य नष्ट हो सकता है। "डिक्लाइन एंड फाल आफ रोमन एम्पायर" में दिया हुआ है कि जब रोम में विलासिता बढ़ गई और जर्मनी से जंगली टोलियों ने आकर वहां पर विजय प्राप्त की और उनकी विजय के दो ही कारण उसमें लिखे हैं, एक तो उनका विश्वास था कि जो मरता है वह स्वर्ग जाता है, यह भावना उनमें थी और दूसरी भावना यह थी वहां की स्त्रियां पतिव्रत धर्म की तरफ बहुत ध्यान देती थीं, इन दो महान भावनाओं के कारण उस रोमन एम्पायर, जिसका ऐश्वर्य दुनिया मानती है, उस महान रोमन साम्राज्य को उन जंगली लोगों न हराया और वह साम्राज्य पतन को प्राप्त हुआ। उसी तरह का पतिव्रत का एक महान आदर्श हमन इस देश में निर्माण किया है और जिस आदर्श को आज आप इस तलाक व्यवस्था और विशेष विवाह द्वारा ठुकराने जा रहे हैं और मैं फिर आज आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव या विधेयक रखते हुए इस बात की ज़िद मत कीजिये कि तीस घंटे के अन्दर यह जो हमने तीन हज़ार साल में या लाखों साल में अपनी संस्कृति निर्माण की है, उसको हम ठुकरा देंगे। मैं तो आपसे यह भी कहने के लिय तैयार हूं कि शास्त्रों पर यदि आपका विश्वास नहीं है तो उनको छोड़ दीजिये, लेकिन मेरी तो निष्ठा और विश्वास अपने धर्म शास्त्रों पर है और जिन हमारे प्राचीन पूर्वजों और आर्य ऋषियों ने इन शास्त्रों का निर्माण किया था उनके हृदय में अपने देश और समाज के प्रति देश भक्ति की भावना थी और इसी महान भावना को हृदय में ले कर उन्होंने धर्म शास्त्रों की रचना की थी। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारे उन प्राचीन ऋषियों को मनुष्यस्थ भावों का ज्ञान नहीं था। इस तरह के धर्म शास्त्रों का निर्माण बड़े संयम और गहन अध्ययन के बाद होता है। हमारे मनु याज्ञवल्क विज्ञानेश्वर का इस कार्य में बड़ा भाग रहा है और हमारा हिन्दू समाज उनका बड़ा ऋणी है।

मनुष्य स्वभाव बदलता होगा, लेकिन इतने क्रान्तिकारी रूपमें नहीं बदलता है। मनुष्य स्वभाव को देख कर अनादि काल के लिये नियम उन्होंने बनाये हैं, उन नियमों को आप परिवर्तन के नाम पर ठुकरा देते हैं और दावा करते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हममें अपना विश्वास प्रकट किया है और हमें इस प्रकार का परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है और पाटस्कर साहब इस तरह की भावना ले कर यहां आये और कहें कि हम इस देश के लिये एक नया कानून निर्मित करेंगे तो मैं उन से निवेदन करूंगा कि पहले आप इस देश की परिस्थिति का पूरा अवलोकन करें और हमारे सामन तथ्य रखें कि इस देश में स्त्री मात्र पर इनइन कारणों से अत्याचार होता है और इस-इस प्रकार के अत्याचार होते हैं और इनका निराकरण करने के लिये हम यह सुधार लाये हैं, यह करने के बजाय एक खाली-मूली ज़िद्द को लेकर समाज शास्त्र में जमाने के साथ "चेंज" आवश्यक है, इसलिये हम "चेंज" करेंगे ही, इस तरह की जिद्द में समझता हूं कि उचित नहीं है और

देश और समाज के लिये घातक सिद्ध हो सकती है क्योंकि किसी अच्छी चीज़ को बिगाड़ना तो आसान है, उसका निर्माण करना कठिन होता है। अगर कहीं किसी तालाब या बर्तन में पानी भरा है तो कोई भी ज़हर फेंक कर उसको विषैला बना सकता है और एक बार ज़हर फेंकने के पश्चात् फिर हम हेल्पलेस हो जायेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी समझ में ठीक आप वही कार्य प्राचीन हिन्दू विवाह पद्धति को तोड़ कर करने जा रहे हैं और केवल पाश्चात्य देशों के अन्धानुकरण में अपने देश और समाज की परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुये अपनी आदर्श और पुरातन विवाह प्रथा में परिवर्तन कर रहे हैं और साथ ही मैं समझता हूं कि देश की करीब ८० या ९० प्रतिशत आबादी इस प्रकार का विवाह में संशोधन नहीं चाहती, यह संभव हो सकता है कि दस, पांच प्रतिशत आबादी को कुछ बड़े लोगों को इस प्रकार के हिन्दू मैरिज बिल की आवश्यकता महसूस हो सकती हो तो केवल दस, पांच प्रतिशत बड़े बड़े लोगों के खातिर आप इस आदर्श और पुरातन विवाह प्रणाली को क्यों बदलना चाहते हैं और जिस तबदीली का असर हमारे देश और हमारे समाज पर पड़ने वाला है। अगर आप यह समझते हैं कि स्पेशल मरिज बिल पास होने के पश्चात् भी इस तरह का बिल पास होना अत्यावश्यक है तो आपका कर्तव्य है कि आप इस देश की परिस्थिति को पूरी तौर पर समझ लीजिये और बारीकी से उनका अध्ययन करने के पश्चात् आप इस तरह का विधान ला सकते हैं।

आखिर में मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं कि विधि मंत्री जो यह कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम एलैक्टोरेट से नहीं डरते तो यह तो मैं भी देख रहा हूं कि आप जनता से नहीं डरते, परन्तु आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि पिछले चुनावों के अवसर पर आपने अपने एलेक्शन मैनिफस्टों में इन बिलों को छोड़ दिया था, ऐसा किस कारण हुआ, मुझे पता नहीं लेकिन आप अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र को उठा कर पढ़ लीजिये, उसमें इन बिलों का कोई जिक्र नहीं पायेंगे . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य नें आध घंटे का समय तो ले ही लिया है। कितना समय वह और लेंगे ?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह विधेयक महान क्रान्तिकारी विधेयक है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : एक सदस्य एक घंटे तक का समय तो नहीं ले सकता।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं आध घंटे के भीतर समाप्त करूंगा।

श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) : यदि एक सदस्य एक घंटा ले तो दूसरे बोलने वाले भी हैं।

सभापति महोदय : सामान्य चर्चा के लिये १२ घंट का समय आवंटित हुआ ह, अन्य सदस्यों को भी अवसर मिलेगा।

श्री० वी० जी० देशपांडे : मैं समाप्त करूंगा। हां तो मैं आपको बतला रहा था आप अपने पिछले चुनाव पत्र को जो प्रकाशित हुआ था उठा कर पढ़ लीजिये। उस घोषणा पत्र में इस हिन्दू विवाह विधेयक और हिन्दुओं के पुरातन कानूनों पर आघात करने वाले क़ानूनों का ज़िक्र नहीं था। इस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय देश के सम्मुख आपने रखा हुआ था, रखने के पश्चात् उसके विषय में एक कमेटी बनाई गई थी और उस राव कमेटी ने देश के एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक जनमत जानने का प्रयत्न किया था और उसको जानने के पश्चात् उस समिति

[श्री वी० जी० देशपांडे]

के एक सदस्य श्री मित्र ने उसके बारे में लिखा है कि यह विधेयक जो सरकार लाने जा रही है, यह जनता में प्रिय नहीं है और जनता को इस प्रकार का विधेयक मंजूर नहीं है और उन्होंने उदाहरण दे कर बताया कि देश की ओवरव्हेल्मिंग मैजारिटी, प्रचंड जन संख्या इस विधेयक के विरोध में है। मेरा कहना है कि दस साल में एक दफ़ा चुनाव आया, चुनाव में यह बिल आपने जनता के सम्मुख रखा नहीं, मुझे जहां तक पता है, जान बूझ कर इस विवादग्रस्त विधेयक को एलेक्शन मैनिफेस्टो से आपने निकाल दिया और पावर में आने के पश्चात् आप इस विधेयक के बारे में प्रान्तीय सरकारों से पूछते हैं और उसमें भी मैं श्री राघाविनोद पाल से सहमत हूं जब वह कहते हैं कि ओन्ली वन लीडर हैज़ टु थिंक और जब ऐसा कहते हैं तब आपको गुस्सा आता है कि हमें ऐसा कहते हैं। जनता ने आपको ऐसा करने के लिये मैनडेट नहीं दिया है, आप कहेंगे कि यहां हम पालिटिक्स ला रहे हैं। लेकिन मेरा तो मत है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सोश्यल रिफ़ार्म्स तब आते हैं जब जनता उनको चाहती है। उनको करने से पहले जनता को समझाया जाता है कि हम ये चीज़ें करनें वाले हैं और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए और जो उनकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति करते हुये एक जनप्रिय सरकार क़ानून बनाती है। आप यदि यह बिल रखना ही चाहते हैं तो दो वर्ष के भीतर फिर चुनाव आने वाले हैं, उस वक्त तक आप ठहर जायें और इस अवधि के लिये जो तलाक के इच्छुक होंगे उनमें से आपकी तरफ से क्षमा मांग लूंगा और मैं चाहूंगा कि चुनाव के अवसर पर आप जनता में जायें और बतलायें कि हम इस तरह का बिल पास करने वाले हैं और उसके आधार पर आप चुनावों के अवसर पर जनता से अपने लिये वोट मांगें और एलेक्टोरेट से मैनडेट लेने के पश्चात् आप यहां पर आ सकते हैं और इस तरह का कानून पास करा सकते हैं और बिना हिचक के कह सकते हैं कि हमारे इस क़ानून के पीछे जनता की मंजूरी है और वह इस प्रकार का बिल चाहती है। अन्त में मैं और अधिक न कहते हुए सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि एक महान विवाह की प्रणाली, कौटुम्बिक जीवन का एक महान् आदर्श और अपनी एक अभिमान योग्य आदर्श संस्कृति हमने निर्माण की है और उसको आप इतनी लाइटली और इतनी गम्भीरतापूर्वक धक्का दे कर समाप्त न कीजिये। बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

श्री वीर किशोर रे (कटक) : मैं इस विधेयक का विरोधी नहीं हूं प्रत्युत मैं इसे अपना पूर्ण समर्थन तथा सहयोग प्रदान करता हूं ; किन्तु मेरे विचार से इस विधेयक में कुछ त्रुटियां रह गयी हैं जिनका संशोधन किया जाना चाहिये। जिससे इसके लागू करने में सरलता हो।

मैं इन बातों की तनिक भी चिन्ता नहीं करता कि मनु अथवा नारद ने क्या कहा था। समाज उनसे भी पहले विद्यमान था और रहेगा। वह निरन्तर प्रगतिशील है। अतः देश और काल के विपरीत जाना ठीक नहीं।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान विधेयक के तीन विशुद्ध पहलुओं की ओर आकर्षित करूंगा। पहिला यह कि यह संविधि सभी हिन्दुओं पर, चाहे वे भारत में रहते हों अथवा भारत के बाहर, लागू की जाये। यदि यह व्यवस्था अधिकार क्षेत्र के बाहर भी लागू नहीं की जा सकती तो मैं इसे एक त्रुटि समझता हूं। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग विदेशों में जाकर विवाह कर लेंगे ; तत्पश्चात् आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह आपके विधेयक में स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया है। इसलिये इसका

क्षेत्र अधिक व्यापक बनाया जाय अन्यथा यह विधेयक अपने प्रयोजन में बहुत अंशों तक सफल नहीं हो सकता ।

इस विधेयक को दूसरी त्रुटि यह है कि इस के पारित होने के पश्चात् से सभी प्राचीन शास्त्र, उनका निर्वचन अर्थात् हिन्दू विधि तथा प्रथा का निरसन हो गया है । इसके स्थान पर आपने यह व्यवस्था नहीं की है कि विवाहित पति-पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध किस आधार पर होगा ? इससे उन धाराओं के प्रशासन में कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी जिनमें न्यायिक पृथक्करण, विवाह-विच्छेद इत्यादि की विधियां अधिनियमित हुई हैं । इससे भविष्य में यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि न्यायालय यह कह दे कि अधिनियम में अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है । इससे प्रत्येक न्यायाधीश का निर्णय दूसरे से भिन्न होगा ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि पारस्परिक अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख अथवा व्याख्या करने वाले उपबन्धों का होना अनिवार्य है ।

इस विधेयक के कई खंडों की व्यवस्था के अनुसार पत्नी को प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने पर पति को पोषण तथा आश्रय देने के लिये बाध्य होना पड़ेगा तथा आज्ञप्ति के पश्चात् भी जब तक वह अविवाहित रहेगा उस पोषण व आश्रय देना पड़ेगा । यह नितांत गलत बात है क्योंकि इससे बहुत सी स्त्रियां पोषण व आश्रय देने के भय से; उचित कारण होने पर भी न्यायालय में नहीं जायेंगी ।

यदि इन तीन बातों पर उचित रीति से विचार नहीं किया जायेगा तो विधि में त्रुटि रह जायेगी तथा उसके प्रशासन में कठिनाई होगी और आपको शीघ्र ही इसका संशोधन करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) । सभानेत्री महोदया, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र श्री देशपांडे जी को मुबारिकबाद देना चाहती हूं कि आखिर कोई दिन तो उनको ऐसा मिला जब मुसलमान भाइयों से उनको बहुत सहानुभूति हुई और उन्होंने मुसलमान भाईयों को भाई कहा तथा मुसलमान बहनों को बहन कह कर पुकारा । उन्होंने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है कि इस किस्म का कानून पास किया जाय, इस किस्म का कोई अधिकार या खास कर सहूलियत किसी को दी जाय । मैं उनका ध्यान और अपने अन्य साथियों का ध्यान कान्स्टिट्यूशन की उस धारा की तरफ ले जाना चाहती हूं जिसमें यह दिया है किसी के खिलाफ किसी किस्म का जातिभेद या किसी और वजह से भेद नहीं किया जायेगा ।

सभानेत्री जी, अजीब बात है कि हमारे यहां इसकी गिनती तो हमेशा की जाती है कि हमारे यहां हिन्दू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, पारसी कितने हैं, रोमन कैथेलिक कितने हैं पर हमारें देश में स्त्रियां कितनी हैं और पुरुष कितने हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है । हमारे हिन्दुस्तान की जो आधी आबादी है, आज जब कानून उसके साथ भेदभाव करता है तो उनका ध्यान संविधान की उस धारा की तरफ नहीं जाता है । मैं कहना चाहती हूं कि अपने अपने घरों में कोई स्त्री और पुरुष पति-पत्नी और कोई भाई-बहन हैं । वह तो घर का रिस्ता है । अपने घर में कोई स्त्री अपने पति को प्रेमवश या बेवकूफ बनाने के लिये चाहे देवता कहे या चाहे भगवान कहे और चाहे परमात्मा कहे । इसी तरह कोई पुरुष अपनी पत्नी को दासी कहे, लक्ष्मी कहे या देवी कहे । यह तो अपने घर की रिस्तेदारी है । पर हंसी उस वक्त आती है जब कानून पुरुष को भगवान और स्त्री को दासी समझ ले । इस वक्त

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

हमारे यहां जो कानून है, उनमें स्त्री और पुरुष के प्रति कितना फ़र्क रखा गया है । फ़र्क हमने है इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है पर हकूमत और कानून उसमें फ़र्क करे, यह एक महामूर्खता की बात है । आज कानून के अनुसार पुरुष और स्त्री में यह फ़र्क है कि पुरुष चाहे जितनी शादियां करे, उस पर कोई बन्धन नही है; परन्तु स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है । आज पुरुष चाहे अपनी स्त्री को छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले, उसको घर से निकाल दे, पर अगर स्त्री चाहे, तो वह घर छोड़ कर बाहर नहीं निकल सकती है । इस वक्त हकूमत से कुछ मांगने का सवाल नहीं है । हम तो यह चाहते हैं कि कानून ने जो फ़र्क पैदा कर दिया है, उसको हटा दिया जाय । आज का कानून क्या है ? आज का कानून यह है कि फ़र्ज कीजिये कि एक भाई और बहन के बीच जायदाद का मामला है, तो बहन को कुछ नहीं मिल सकता है क्योंकि वह लड़की है--कानून के अनुसार लड़की को कुछ नहीं मिल सकता है। यह बात हमारे फंडमेंटल राइट्स के खिलाफ है । मैं देशपांडे जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि अगर केवल हिन्दुओं के लिये कोई कानून बनाना हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो इस वक्त कानून में जो स्त्री और पुरुष में फ़र्क किया गया है, वह तो फंडामेंटल राइट्स के और भी ज्यादा खिलाफ़ है । हम तो सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमको कानूनी अधिकार दिया जाये और किसी के साथ महज पुरुष होने की वजह से फ़र्क न किया जाय ।

इसके बाद देशपांडे जी ने कहा कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर बरबाद करने के लिये आ जाती हैं। इस देश में आज पढ़ी लिखी लड़कियों की जो हालत है, उसका ज़िक्र करके मैं इस सदन का सिर शर्म से झुकाना नहीं चाहती ।

विवाह-संस्कार की बात भी कही गई है । मैं देशपांडे साहब को कहना चाहती हूं कि वह न छेड़ें उस फोड़े को – उससे कोई भला होने वाला नहीं है । आज वह शास्त्रों का ज़िक्र न करें । आज अगर वह कानून में और शादी की बातों में शास्त्रों का ज़िक्र करके रुकावट पैदा करना चाहते हैं तो मैं कह देना चाहती हूं कि उन शास्त्रों को अलग हटा कर स्त्रियों के हाथों से दूसरे शास्त्र लिखे जायेंगे ।

सभानेत्री जी, आज शादी का ज़िक्र किया जात है । किसकी शादी का ? में कहती हूं कि मालूम होता है कि जब स्त्री का ज़िक्र होता है तो हमारे यहां अवसर पत्नी की बात सोची जाती है क्यों कि हमारे पुरुषों के ऐसे संस्कार बन गये हैं कि शादी होने के बाद उन के दिल में स्त्री के लिये प्रेम तो क्या; एक ज़िद, दुश्मनी और दासत्व की भावना आ जाती है और जब भी वे उसका ज़िक्र करते हैं तो एक और ही तरह का ज़िक्र करते हैं । मैं आपके द्वारा सभासदों का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहती हूं कि जिन स्त्रियों का आप मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, वे आपकी बच्चियां और बेटियां भी हैं और बहनें भी हैं – वे बेटियां और बहनें, जिन की शादी करने के लिये आप गली-गली और घर-घर भटकते हैं । जब पति उनको छोड़ देता है तो आप अपनी पगड़ी और टोपी उतार कर जवाई और ससुर के पावों में रख देते हैं और हर तरीके से इस बात की कोशिश करते हैं कि वह बेटी या बहन सुखी रहे । इसलिये में कहना चाहती हूं कि जब स्त्री का ज़िक्र होता है, तो अपनी पत्नी की बात के साथ ही साथ अपनी बच्ची और बहन की बात सोचें ।

अब मैं स्त्रियों की शादी की ज़िक्र करती हुं । आज हमारे मुल्क में क्या होता है ?

हम अपनी लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं,अच्छा बनाते हैं और जो कुछ हो सकता है करते हैं और उसके बाद कई लोग—अजीब अजीब शक्लों के लोग—उसको देखने के लिए आते हैं। कोई कहता है कि नाक टेढ़ी है, कोई कहता है रंग खराब है, कोई कहता है चलती ऐसे है—यह आपकी लड़की के लिए कहा जाता है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर कहा जाता है कि दहेज कितना दोगे। जब शादी होती है तो पहली बात हमारे दिमाग में यह आती है कि हमारी लड़की को खाने को मिलेगा या नहीं, पहनने को कपड़ा मिलेगा या नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि जो हमारी विवाह पद्धति है, वह प्रास्टीट्यूशन है—उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आप देखिये कि हमारी स्त्रियों को ऐसी शर्म की जिन्दगी बितानी पड़ती है। मैं आपसे कहती हूं कि.....

श्री लोक नाथ मिश्र : क्या यह नियमित है ? उन्होंने कहा है "वर्तमान विवाह वेश्या-वृत्ति है।"

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभानेत्री जी, मैं माफी चाहती हूं कि मुझे ऐसी कठोर भाषा इस्तेमाल करनी पड़ रही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संभवतः उनका यह अभिप्राय नहीं था कि वर्तमान वैवाहिक जीवन वैश्यावृत्ति है। उनका यह तात्पर्य नहीं था। वह केवल इस बात को कहना चाहती थीं कि....स्त्रियों से उचित व्यवहार नहीं किया जाता। मेरे विचार में ये शब्द निकाल दिये जायें, क्योंकि सदस्य का वह अभिप्राय नहीं था।

सभापति महोदय : उनका यह अभिप्राय नहीं था।

श्री वी० जी० देशपांडे : इसे अभिलेख से निकाला जाय।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभानेत्री जी, मैं आप से यह कहती हूं कि मैं इस बात के लिए माफी चाहती हूं कि जो कुछ मैं कह रही हूं, उसके लिए शब्द बहुत कठोर इस्तेमाल कर रही हूं।

एक माननीय सदस्य : कठोर नहीं अश्लील।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अश्लील बातें तो आप तीस घंटे तक सुनेंगे, जब कि इस बिल पर बहस होगी।

मैंने ये कठोर शब्द इसलिए इस्तेमाल किये हैं क्योंकि समाज की इस वक्त जो हालत है, उससे यह मालूम होता है कि जबतक एक बात बार बार न कही जाये, उस का कुछ असर नहीं होता है—जब तक एक कील ज़ोर से न लगाई जाये, तब तक दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा ही करने की इस वक्त मैंने कोशिश की है। यह तो ज़ाहिर है कि हर एक शादी ऐसी ही होती है और हर एक स्त्री का जीवन ऐसा ही होता है। आज स्त्री की हालत और जीवन इतना गिरा हुआ है कि हम अपमान से अपना सिर नहीं उठा सकते।

देशपांडे जी ने कहा कि स्त्री के लिए कानून पास हो जाने के बाद सिक्योरिटी नहीं रहेगी। मैं कहती हूं कि अब कौनसी सिक्योरिटी है ? आप जब चाहें अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गलत।

श्रीमती सभद्रा जोशी : जो लोग अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अगर उनको बुला कर पूछा जाये और कोशिश की जाये कि उसको न छोड़ें, तो अजीब-अजीब कारण बताये जाते हैं। अगर हमारे सभासदों का ध्यान जो पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, इस तरफ नहीं गया तो मैं चाहती हूं कि वह आज जाये। मैं इस सवाल की खोज करती हूं और बहुत से भाई बहिन करते है। अगर उनसे पूछा

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

जाय कि आपने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया तो कोई कहता है कि दहेज़ नहीं दिया था, कोई कहता है कि बच्चे नहीं होते थे, कोई कहता है कि लड़कियां होती थीं, कोई कहता है कि लड़की की सास से नहीं बनती थी। एक बहन मेरे पास आई । वह छोटी सी उम्र की बच्ची थी। उसके पति ने उसको इसलिये छोड़ दिया कि उसका रंग काला था। उसके पति ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे होटल में बरतन मांजो तो तुम्हें रख सकता हूं, वरना नहीं रख सकता।

यह हमारी बच्चियों की बात है । इसलिये मैं कहती हूं कि अब जब यह बिल पास हो जायेगा तो हम उनको यदि छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकेंगे। सिवाय उन केसिज में जिनका ज़िक्र कि इस बिल में किया गया है । अगर हम यह चाहेंगे कि चूंकि दहेज नहीं दिया गया है इसलिये उसको छोड़ दिया जाये तो हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बिल के पास हो जाने पर स्त्रियों में ज्यादा शक्ति आयेगी और उनकी ज्यादा रक्षा हो सकेगी।

अब मैं मन्त्री महोदय से चन्द एक दरख्वास्तें करना चाहती हूं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वे इस बिल में एक ऐसी प्रोवीजन करें कि स्त्रियों को बिना पैसा खर्च किये हुए उनके लिये वकीलों का इन्तजाम हो सके और इस तरह से डनके केसिस कोर्ट में लड़े जा सकें।

दूसरी प्रार्थना मैं मंत्री जी से यह करना चाहती हूं कि इस बिल में एक प्रोवीज़न यह की गई है कि एक खास उम्र तक की लड़की गार्जियन की इच्छा से शादी करेंगी और उस उम्र के बाद गार्जियन की इज़ाजत शादी करने के लिये आवश्यक नहीं होगी। मेरी प्रार्थना यह है कि आप उम्र एक कर दीजिये चाहे वह कितनी ज्यादा क्यों न रखी जाये। आप एक ऐसी उम्र मुकर्रर करें जिससे कि वह अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकें। अगर आप इसी तरह से रखना चाहते हैं कि गार्जियन उसकी शादी करे तो मेरी प्रार्थना यह है कि इस तरह की शादी करने से पहले लड़की की अनुमति भी ज़रूर लेली जाए। उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी न की जाये। किसी की भी जबरदस्ती जल्दी नहीं होनी चाहिये ।

इतना कहने के बाद मैं मंत्री महोदय को सच्चे दिल से मुबारकबाद देती हूं कि आखिर वह दिन आया जब कि उन्होंने इस सदन में यह कानून पेश किया और इसको पास कराने का निश्चय किया। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि वे इस बात की परवाह न करें कि देशपांडे जी इसके बारे में क्या कहते हैं। पाटस्कर साहब को यह कहना चाहिये कि मैं इस देश में कुछ करने के लिये आया हूं और जो हमारी बच्चियां हैं उनकी रक्षा करूंगा और चाहे जितनी देशपांडे जी इस के रास्ते में रुकावट डालें बे उनसे डरने वाले नहीं हैं। मैं उनको यकीन दिलाती हूं कि हिन्दुस्तान की भावी संतानें जो होंगी और जो हमारी बच्चियां हैं बे उनके गुण गायेंगी।

अन्त में मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि अगर कोई त्रुटियां हैं तो उनको दूर करने के बाद इस बिल को अच्छी तरह पास करना चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी : प्रस्तुत विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण और आमूल परिवर्तन करने वाला विधेयक है। अतः इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । संसार की और सभ्यताओं का जिनका कभी बोलबाला था,नाश हो चुका है किन्तु हमारी प्राचीन सभ्मता अभी जीवित है । इसमें जान भी बाकी है और गति भी। मैं अभी भी

दावे से कह सकता हूं कि हमारी यह सभ्यता विश्व के अन्य देशों को सिखाती रहेगी। भारत स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानी इसीलिये भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे कि यहां की सभ्यता विश्व की सभ्यता में कोई नई बात जोड़ सकेगी। भारत माता के लाल ऋषि अरविन्द ने जो अपने युग की न केवल एक महान विभूति थे अपितु एक बड़े भारी योगी और संत भी थे, यह कहा था कि भारत इसीलिये स्वतन्त्र होना चाहता है कि अभी इसने संसार को अपना संदेश नहीं सुनाया है। आखिर भारत की सभ्यता में ऐसी कौन सी चीज है जिसने इसे इतने युगों से जीवित रखा है? इसमें निश्चय ही कोई ऐसी बात होगी जो यहां की आत्मा को, यहां की संस्कृति को और यहां की परम्परा को युगों से जीवित रखती आ रही है। मुझे यह कहने में कुछ गर्व-सा हो रहा है कि भारतीय सभ्यता का तत्व इसके पारिवारिक जीवन की पवित्रता-शुद्धता और ब्रह्मचर्य का आदर्श, नारीत्व का आदर्श-आदि हैं जिस पर हम युग-युगान्तर से गर्व करते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द ने भी पश्चिमी सभ्यता पर विजय प्राप्त करके भारत को यही संदेश दिया था और यहां वालों को चेताया था कि यहां का परम पुनीत आदर्श नारी की शुद्धता और उसके आदर्श के रूप में सीता, सावित्री और दमयन्ती का-सा आदर्श चरित्र है। अब आप ही बताइये: क्या आप उस आदर्श को रखना चाहते हैं या यह विधेयक पारित करके उस आदर्श को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? हिन्दू सभ्यता भारी आघातों को सहते हुये भी जीवित रही है, और सदा के लिये जीवित रहेगी। कितना ही अच्छा होता कि प्रधान मंत्री यहां होते वह यहां नहीं हैं। अतः मैं अब श्री पाटस्कर से यह अपील करूंगा कि वह ऐसे विधेयक को जो भारतीय सभ्यता की मूलों पर कुठाराघात करता हो, पारित न होने दें। यहां सब लोग बैठे हुये हैं और प्रजातन्त्र की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक पारित करने का आपको क्या अधिकार है? आपके निर्वाचकों ने कभी ऐसा करने को नहीं कहा। हमारे प्रधान मंत्री इण्डोनेशिया, चीन और विश्व के अन्य देशों में प्रजातंत्र की डौंडी पीटते हैं, भला वह अपने देश में उसी प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों पर क्यों नहीं चलते? वह जनसाधारण पर ऐसा विधेयक क्यों लाद रहे हैं? मैं यहां तक भी कह सकता हूं कि यदि आप विवाह-विच्छेद विधेयक पर जनमत संग्रह करेंगे तो न केवल बहुसंख्यक हिन्दू अपितु मुसलमान भी ऐसे विधेयक के पक्ष में मत नहीं देंगे। स्वयं मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का हूं जहां की भूमि ने दो महान विभूतियों राजा राम मोहन राय और श्री रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया। उस निर्वाचन-क्षेत्र ने साधारण निर्वाचन में हिन्दू कोड के विरुद्ध मत दिया। अब आप यहां ऐसा विधेयक पारित करना चाहते हैं जिससे हिन्दू स्वीय-विधि, हिन्दुत्व और यहां के विधि-निर्माताओं ने दुतकारा है। हमारे विधि निर्माता मंत्री और राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि याज्ञवलक्य और मनु जैसे संत महात्मा और ईश्वर भक्त थे। उनकी कोई भी सांसारिक कामनायें नहीं थीं। उनमें वैराग्य था, त्याग था, भक्ति थी और साधना थी। उन्होंने जो कुछ भी किया, उसी त्याग-भावना के बल और आधार पर किया, किसी व्यक्तिगत लोभ से नहीं किया।

सभापति महोदय : अब पांच बजा है। सभा को स्थगित होना है।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २२ अप्रैल, १९५५ को पारित वित्त विधेयक को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

सभापति महोदय : अब सभा कल के ग्यारह बजे तक स्थगित होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा, बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPND—HS—151 LSD—25-11-54—८००